खण्ड-230, अंक-9
शुक्रवार, 28 वैशाख, शक संवत् 1884
(18 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७१९–७२३
प्रश्नोत्तर	७२३–७४८
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	७४९
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	७४९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	७४९–७५०
ग्राम बनगुवां कलां, जिला झांसी में अज्ञात रोग से बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना	७५०–७५१
उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	७५२–७५३
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं, अनुदान संख्या ३४—विद्युत् योजनाएं (अधिष्ठान छोड़ कर), अनुदान संख्या ३५—विद्युत् योजनाएं (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत (विचारोपरान्त पारित)	७५३–८०२
१ मई, १९६२ से गन्ने का निम्नतम मूल्य घटाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश के बारे में नियम ५३ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विवाद ..	८०२–८१२
उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम	८१३
नत्थियां	८१४–८२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५१

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंग्रईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज़ हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बबवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मेवालाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री

रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायणसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री

सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

मंत्रि परिषद् के निम्नलिखित सदस्य भी उपस्थित थे :—

१—श्री हरगोविन्दसिंह,
२—श्री अलगूराय शास्त्री,
३—श्री शिवप्रसाद गुप्त ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १८ मई, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

अन्तरिम जिला परिषद्, कानपुर के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन मिलने में विलम्ब

*१—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, कानपुर ने अपने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को जनवरी, सन् १९६२ से वेतन का भुगतान नहीं किया है ?

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—स्थिति यह है कि इस माह के आरम्भ में सरकार को सूचना मिली थी कि फरवरी तक का वेतन दिया जा चुका है और मार्च, सन् १९६२ का वेतन मई के अन्त तक दे दिया जायेगा ।

*२—श्री राजनारायण मिश्र—यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अजीज इमाम—सरकार द्वारा आवश्यक अनुदान दिया जा चुका है । परिषद् की जिम्मेदारी है कि समय से वेतन दे ।

श्री राजनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के द्वारा जो अनुदान कानपुर अन्तरिम जिला परिषद् को दिया जाता है उसको परिषद् दूसरे मदों में खर्च कर देती है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीज इमाम—इसकी कोई इत्तला सरकार को नहीं है ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह अनुदान अन्तरिम जिला परिषद् को कब दिया गया ?

श्री अजीज इमाम---अंतरिम जिला परिषदों को कान्ट्रैक्ट ग्रान्ट दी जाती है। मास्टरों के वेतन के सिलसिले में कानपुर को ग्रान्ट दी गयी, मगर उस कान्ट्रैक्ट को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसमें ऐसा होता है कि कुछ रुपया जिला परिषदें पूरा करती हैं और जब उसका सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाता है तब हम ग्रान्ट ईशू करते हैं। मगर कानपुर ने चूंकि वह नहीं दिया, इसलिये ईशू नहीं किया गया था। मगर अब हमने ३ ग्रान्ट कानपुर को ईशू कर दी बावजूद इसके कि उन्होंने कान्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया और उसका सर्टिफिकेट नहीं आया। अब यह जिम्मेदारी जिला परिषदों की है कि वे वक्त से वेतन देती रहें।

श्री राजनारायण मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब वह अंतरिम जिला परिषदों को अनुदान देती है और वह ठीक तरह से वेतन नहीं देतीं, तो क्या कोई जिम्मेदारी उसके लिये सरकार की नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---उसका जवाब आ चुका है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---छोटे वेतन पाने वाले अध्यापकों को वेतन समय से न मिलने से कितनी कठिनाई होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी जिससे वेतन जल्दी मिल जाय ?

श्री अजीज इमाम---इस सिलसिले में सारी जिम्मेदारी अन्तरिम जिला परिषद् की होती है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब अन्तरिम जिला परिषदें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करतीं तो माननीय मंत्री जी कौन-सी कार्यवाही उनके विरुद्ध करने जा रहे हैं ?

श्री अजीज इमाम---अध्यक्ष महोदय, यहां के माननीय सदस्य भी तो उसमें होते हैं, वे इस बात की कोशिश करें कि यह समस्या हल हो और यह परेशानी दूर हो जाय।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितना रुपया वेतन का अध्यापकों का बकाया है और कितना रुपया सरकार की ओर से अन्तरिम जिला परिषद् को दिया गया है ?

श्री अजीज इमाम---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। यों सरकार की तरफ से, जो आखिरी किस्त थी वह भी हम लोगों ने भेज दी है, सिर्फ टोकेन एमाउन्ट १ हजार की रोक ली गई है।

लखनऊ में विधान सभा मार्ग के फ्लावर पाट्स पर व्यय

*३---श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर) तथा श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ शहर में हजरतगंज के मुख्य चौराहे से लेकर स्टेशन तक विधान सभा मार्ग के दोनों तरफ सिमेन्ट के खम्भों पर जो फ्लावर पाट्स लगाये गये हैं उन खम्भों तथा फ्लावर पाट्स के बनाने में कितना खर्चा हुआ तथा उन पर सालाना खर्चा कितना होता है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)---लगभग १३,६११ रुपये २५ नये पैसे व्यय हुये तथा उनके सालाना रख-रखाव में लगभग १,००० रुपये व्यय होता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

लेखपाल, हल्का तिलपुरा के विरुद्ध शिकायतें

*१—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हल्का लेखपाल तिलपुरा, तहसील सिधौली (सीतापुर) के विरुद्ध जनवरी, सन् १९६१ से फरवरी, सन् १९६२ तक खेतों के गलत इन्दराजात, रिश्वत और क्षेत्रीय ग्राम समाज के किसी बिके हुये भाग की रसीद कम रुपयों की दिये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्राप्त शिकायतों में से कितनी की जांच की गई तथा जांच के परिणामस्वरूप उक्त लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—सूचना एकत्रित की जा रही है।

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित करना

*२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि आगरा विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष के उत्तीर्ण बी० ए०, एल-एल० बी० व एम० ए० के लगभग ३०० छात्र परीक्षा में बैठने से इस वर्ष वंचित हो गये हैं ?

*३—क्या सरकार को पता है कि आगरा विश्वविद्यालय का कहना है कि उनका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया और गोरखपुर विश्वविद्यालय में चला गया है और वहां कुछ विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं ?

*४—क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ३०० परीक्षार्थियों को इसी मार्च में सूचना दी है कि वे सन् ६३ में आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठ सकते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है और इन विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का क्या प्रबन्ध करेगी ?

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री केशभान)—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ऊदल—मान्यवर, यह बहुत पुराना सवाल है। इसका लड़कों की जिन्दगी से ताल्लुक है। तीन चार सौ लड़के जो बी० ए०, एल-एल० बी० के पहले साल में हैं वह दूसरे साल में रोक लिये गये, तो उनका बड़ा नुकसान हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी को हिदायत दें कि जल्द से जल्द कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष—शिक्षा मंत्री जी, इस प्रश्न को सरकार के पास भेजने की तिथि ५ अप्रैल है और एक मर्तबा यह प्रश्न स्थगित भी हो चुका है ४ मई को। ऊदल जी की आपत्ति ठीक मालूम होती है। आप क्या वजह जानते हैं ?

श्री केशभान—मान्यवर, दोनों यूनिवर्सिटीज की सूचनायें आपस में मेल नहीं खाती थीं इसलिये इसमें देर लग रही है। अब जल्दी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—मैं सात दिन के लिये इसको पोस्टपोन किये देता हूं, इस बीच में सब सूचनायें मंगा ली जायं।

श्री अवधेशकुमार सिन्हा (जिला सीतापुर)—माननीय बैजूराम जी के प्रश्न में भी सूचना एकत्र करने की बात थी...।

श्री अध्यक्ष—वह समय निकल गया। बैजूराम जी उसको देख लेंगे। इस प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी आगामी सप्ताह में एकत्रित करके सूचना दें।

लेखपाल को खसरे में काबिज लिखने का अधिकार देने के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट

*५—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेखपालों के क्या-क्या अधिकार रहे, इसके लिये हाल में ही सरकार ने एक समिति मुकर्रर की थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट आ गई है या नहीं ?

श्री बृजबिहारी—जी नहीं। ४ फरवरी, १९६१ को सरकार ने एक समिति, अन्य बातों के अलावा, इस बात पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिये स्थापित की थी कि खसरा के कैफियत के खाने में काबिज लिखने का अधिकार लेखपाल को रहे या न रहे। इस समिति की रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

*६—श्री गणेशचन्द—यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खसरा के कैफियत खाने में लेखपाल को काबिज लिखने का अधिकार रहे या न रहे, जो समिति मुकर्रर की गई थी उसको एक साल से अधिक बीत गया लेकिन अब तक रिपोर्ट न आने के कौन-कौन से कारण हैं और किस तारीख तक रिपोर्ट आ जायगी ?

श्री बृजबिहारी—कई बैठकें उस समिति की हुई थीं, अन्तिम बैठक शीघ्र ही होने वाली है। शीघ्र ही वह किसी निर्णय पर पहुंच जायगी और रिपोर्ट प्रस्तुत हो जायगी।

श्री गयाप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि लेखपालों को जो खाना कैफियत में कब्जे का इन्दराज करने का अधिकार दिया गया है उसके साथ ही साथ उसके ऊपर यह भी बाईंडिंग थी कि प्रथम बार खाना कैफियत में इन्दराज बदलने पर, उसका उद्धरण सम्बन्धित व्यक्ति और गांव सभा के सभापति को देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उसको देना ही चाहिये।

श्री रामसुन्दर—इस कमेटी के कौन-कौन माननीय सदस्य हैं और उसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

श्री बृजबिहारी—इस कमेटी के निम्नलिखित सदस्य रहे हैं—

१—माल मन्त्री—चेयरमैन,
२—श्री रामचन्द्र विकल,
३—श्री विशम्भर सिंह,
४—श्री रामलखन मिश्र,
५—श्री बलदेवराम शुक्ल,
६—श्री के०पी० भार्गव, मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू,
७—कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन,
८—कान्सोलिडेशन कमिश्नर, यू० पी०,
९—सेक्रेटरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट।

कमेटी की निम्नलिखित चार मीटिंग्स हुई हैं—

(१) १५ मार्च, ६१
(२) १२ अप्रैल, ६१
(३) ९ अक्टूबर, ६१
(४) २१ अप्रैल, ६२।

इसके अलावा और मीटिंग होने ही वाली हैं।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन पुराने माननीय सदस्यों के नाम इस कमेटी में हैं, जो अब सदस्य नहीं रहे, तो क्या वे भी इस कमेटी के सदस्य माने जा रहे हैं ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, वह कमेटी जिस काम के लिये बनी थी उस काम के लिये वे मेंबर साहबान भी उसमें भाग ले रहे हैं। अगर कोई एतराज होगा तो कानूनी दृष्टि से विचार किया जायगा।

श्री भीखालाल—क्या माननीय राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य होने की हैसियत से उस कमेटी के मेम्बर बनाये गये थे, वे जब इस सदन के मेम्बर नहीं रहे तो फिर किस हैसियत से वे अभी भी इस कमेटी के मेम्बर हैं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि अगर आपत्ति कोई होगी तो उस पर विचार करेंगे।

फतेहपुर जिले में सी० एल० आर० डी० के अन्तर्गत लगान में वृद्धि पर आपत्ति

*७—श्री रक्षपालसिंह (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि जिला फतेहपुर में सी०एल०आर०डी० के अन्तर्गत जो लगान वृद्धि की है उसके करने के पहले सम्बन्धित काश्तकारों को कोई भी सूचना नहीं दी गई ? क्या सरकार काश्तकारों को उनमें अपनी आपत्ति करने का मौका देने वाली है तथा वह लगान के संशोधन पर पुनर्विचार करेगी ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी नहीं, जिला फतेहपुर में सी० एल० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत जो लगान की वृद्धि हुई है उसकी सूचना प्रधान ग्राम समाजों द्वारा और लगान वसूली के समय अमीनों द्वारा तथा जिन गांवों में चकबन्दी हो रही है उनमें चकबन्दी अधिकारियों द्वारा, करा दी गई थी। लगान की वृद्धि प्राप्त की हुई आपत्तियों के निर्णय के पश्चात् ही हुई है, अतएव लगान के संशोधन पर पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कालिंजर–चित्रकूट सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*८—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार प्रसिद्ध तीर्थ स्थान चित्रकूट को पक्की सड़कों से सम्बन्धित करने तथा उन्नति बनाने का विचार रखती है ?

परिवहन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल)—यह स्थान पक्की सड़क से सम्बन्धित है। यहां पर पर्यटकों की सुविधा के लिये Tourist कार्यालय की एक शाखा की स्थापना की गई है, यहां पर एक Tourist विश्राम गृह के निर्माण की भी योजना है।

श्री मतोलासिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कालिंजर से चित्रकूट तक जो पुरानी सड़क शाही जमाने से चली आ रही है, उसे पक्की कराने का वे विचार कर रहे हैं ?

श्री गनेशीलाल—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मतोलासिंह—इसकी सूचना कब तक मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष—जब आप प्रश्न पूछेंगे तब सूचना मिलेगी, ऐसे सूचनायें नहीं मिलती हैं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। जब माननीय सदस्य सूचना की जानकारी चाहते हैं तो माननीय मन्त्री को इसकी जानकारी तो देनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। आप कोई क्वेश्चन कीजियेगा। तब वे इसकी सूचना देंगे।

[१८ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—**श्री रामसुन्दर**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२-३—**श्री बेदराम** (जिला एटा), **श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली) तथा **श्री बसन्तलाल** (जिला बिजनौर)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४—**श्री रामसुन्दर**—[वापस लिया गया।]

*५—**श्री रामसुन्दर**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*६—**श्री ऊदल**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*७—**श्री गणेशचन्द**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*८-१०—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*११-१२—**श्री ऊदल**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३-१५—**श्री चन्द्रजीत**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी की अदालत माल में एक साल से अधिक के पुराने मुकदमें

*१६—**श्री रामचरण शाह** (जिला लखीमपुर-खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के जुडीशिल मैजिस्ट्रेट, हाकिम परगना, तहसीलदार तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट की अदालतों में कितने ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिन्हें एक साल से अधिक समय हो गया परन्तु अभी तक फैसले नहीं किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला खीरी की सम्बन्धित अदालतों में एक साल से अधिक अवधि के ४ माल मुकदमे विचाराधीन हैं। फौजदारी का ऐसा कोई मुकदमा नहीं है।

*१७—**श्री गयाप्रसाद**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८-२०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

सैदपुर तहसील में चकबन्दी कार्यों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

*२१—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—क्या यह सत्य है कि गाजीपुर जिले के चकबन्दी विभाग में हजारों दरख्वास्तें प्रत्येक मौजे की चक का रकबा कम होने के कारण नापने के लिये पड़ी हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री बृजबिहारी—तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में चक नापने आदि के सम्बन्ध में अब तक ३,९१७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिन पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस सिलसिले में उसने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बृजबिहारी---ये जो प्रार्थना-पत्र मिले हैं, इसके लिये कुछ नियुक्तियां की गई हैं जिनमें एक कांसोलिडेशन आफिसर, ५ असिस्टेंट कांसोलिडेशन आफिसर, १० कांसोलिडेटर और ५५ लेखपाल हैं ताकि कार्य का सम्पादन सुचारुरूप से हो सके।

श्री कमलासिंह यादव---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इतनी संख्या में जो चक नापने के सिलसिले में प्रार्थना-पत्र मिले हैं, उनका कारण क्या है?

श्री बृजबिहारी---कोई त्रुटि रही होगी, तभी प्रार्थना-पत्र मिले हैं। इसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री नरसिंहनारायण---क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी होने के पहले रेक्टेंगुलेशन स्टाफ काम करता है, सर्वे करके उसके सही नक्शे आदि बनाता है, और चक को दुरुस्त करता है, इस बात को ध्यान में रखते हुये जो चकबन्दी की कार्यवाही की गई है वह रेक्टेंगुलेशन के पहले की गई या बाद में?

श्री बृजबिहारी---यह तो नहीं कहा जा सकता कि कब तक वह कार्यवाही करेगी लेकिन जो सूचनायें आई हैं उनके आधार पर जैसा कि मैंने निवेदन किया वही बात ठीक है।

श्री कमलासिंह यादव---यह जितनी दरखास्तें गाजीपुर जिले में दी गई हैं उनमें मुख्य शिकायत भ्रष्टाचार और मौके पर चकों के न नापने की ही हैं?

श्री बृजबिहारी---यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन अगर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं तो माननीय सदस्य यदि ध्यान आकृष्ट करेंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री कमलासिंह यादव---क्या सरकार को मालूम है कि सैदपुर तहसील के कान्सोलिडेशन आफिसर के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की?

श्री बृजबिहारी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गेंदासिंह---शिकायतों की बहुत बड़ी संख्या मालूम होती है, वह १,९०० से भी ऊपर हैं, तो क्या इसकी कोई सूचना है कि वहां कितने चक बनाये गये? चकों के हिसाब से शिकायतों का प्रतिशत बहुत ज्यादा मालूम होता है।

श्री बृजबिहारी---इस सम्बन्ध में आप आज्ञा दें, यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है, तो मैं पढ़ दूं...

श्री अध्यक्ष---आप उसका अनुवाद कर दें।

श्री बृजबिहारी---वे ११०६ गांव हैं और ८,८६,०६२ नम्बरान थे, जिसमें से १,८१,१८४ एकड़ कल्टीवेटेड क्षेत्र हैं, जिसमें से ३१,३६३ एकड़ पर कब्जा दे दिया गया है और जिन गांवों में चकबन्दी के बारे में चकों का पजेशन दिया गया है, वह है ८५,४६३।

श्री गेंदासिंह---मैं जानना यह चाहता था कि कितने चक बनाये गये जिनके बारे में कि यह ३,९०० से ज्यादा दरख्वास्तें पड़ी हैं?

श्री बृजबिहारी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी, इसमें यह नहीं लिखा है कि कितने चक बनाये गये हैं।

श्री कमलासिंह यादव---क्या यह सही है कि जो स्टाफ सरकार ने मुकर्रर किया है उसके खिलाफ भी पब्लिक की आम शिकायतें हैं?

श्री बृजबिहारी---आश्चर्य है कि उनकी नियुक्ति हुये देर नहीं हुई और उनकी शिकायतें भी होने लगीं। कोई शिकायत अभी नहीं आई है, यदि आयेगी तो कार्यवाही होगी।

श्री चन्द्रजीत—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि लगभग ४,०१० शिकायतें हैं और वे जिला स्तर के अधिकारियों के खिलाफ भी हैं, तो क्या कंसोलिडेशन कमिश्नर या असिस्टेंट डाइरेक्टर, कन्सोलिडेशन को भेजकर जांच करने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, शिकायत काम में देरी होने की है, उसको एक्सपीडाइट कराने की बात है और उसी के लिये वह नियुक्तियां की गई हैं ताकि शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही समाप्त हो जाय ।

खपरिया मऊ ग्राम के अग्निकाण्ड में क्षति

*२२—**श्री मतोलासिंह तथा श्री शिवेन्द्र प्रताप** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में खपरिया मऊ में आग से कितनी सम्पत्ति भस्म हो गई है तथा पशु या आदमी जल मरे ?

श्री बृजबिहारी—उक्त अग्निकांड में अनुमानतः ८७,६८० रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई। कोई भी पशु या मनुष्य जलकर नहीं मरा ।

*२३—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४-२६—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला बोर्ड, खीरी के अध्यापकों के सम्बन्ध में श्री मन्नालाल का पत्र

*२७—**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)—क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्हें जिला बोर्ड खीरी-लखीमपुर के अध्यापकों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या ११—६२, दिनांक ३ अप्रैल, १९६२ मिला था ? अगर हां, तो सरकार ने इस पर क्या किया ?

श्री अजीज इमाम—जी हां । जिलाधीश से आख्या एवं संस्तुति मांगी गई है ।

श्री मन्नालाल—मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक आ जायगी ?

श्री अजीज इमाम—माननीय सदस्य का खत मिलने के बाद जिलाधीश को पहला खत २८ अप्रैल को भेजा गया था कि वे अपनी सूचना दें। उसके बाद ११ मई का उसका रिमाइन्डर भी भेजा जा चुका है। जब सूचना आ जाय तो बताया जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—यह देखते हुए कि २८ अप्रैल व ११ मई को पत्र और रिमाइन्डर भेजा गया जिनका अभी तक जिलाधीश ने उत्तर नहीं दिया । क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी कि प्रश्नों के उत्तर जिलाधीश के यहां से जल्दी आया करें, अधिक देरी न हो ?

श्री अजीज इमाम—इस सिलसिले में प्रयत्न किया जायगा ।

*२८-२९—**श्री मन्नालाल**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०—**श्री मैनेजर** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के 'वर्कचार्ज' कर्मचारियों को 'रेगुलर' में लेने की मांग

*३१—श्री मैनेजर (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में "वर्कचार्ज" स्तर पर वर्षों से काम करने वाले कर्मचारियों को 'रेगुलर' में न लेने के कारण असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर शीघ्र आदेश देने जा रही है कि इस प्रकार के तीन वर्ष से अधिक से काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर में ले लिया जाये ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की—उन्हें रेगुलर में लेने की मांग सरकार के पास आई है ।

द्वितीय भाग —वर्क चार्ज के १०५१ व्यक्तियों को १-४-६१ से नियमित अधिष्ठान (Regular establishment) में ले लिया गया है ।

*३२-३३—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

हसनगंज तहसील में चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*३५—श्री भोखालाल—क्या सरकार को पता है कि तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के किसानों ने १७ अक्तूबर, सन् १९६१ को चकबन्दी अधिकारी मोहान के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था और चकबन्दी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायती दरख्वास्तें जिला अधिकारियों के पास भेजी थीं ? यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी दरख्वास्तें जिला अधिकारियों को प्राप्त हुई थीं ?

श्री बृजबिहारी—१७ अक्तूबर, सन् १९६१ को चकबन्दी अधिकारी मोहान के कार्यालय के सामने एक प्रदर्शन हुआ था। इस सिलसिले में कुल ४२ प्रार्थना-पत्र बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, उन्नाव को प्राप्त हुए थे।

*३६—श्री भोखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त शिकायती दरख्वास्तें किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बृजबिहारी—उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र एक चकबन्दी अधिकारी, चार सहायक चकबन्दी अधिकारी, एक चकबन्दीकर्त्ता एवम् दो चकबन्दी लेखपालों के विरुद्ध थे । सभी प्रार्थना-पत्रों की जांच स्वयं बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी ने स्थल पर जा कर की ।

*३७—श्री भोखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त शिकायतों में कितनी शिकायतें सही पायी गईं और वे किन कर्मचारियों से सम्बन्धित थीं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बृजबिहारी—जांच से सभी शिकायतें निराधार पाई गईं ।

श्री भोखालाल—मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों ने इस प्रकार की भी शिकायत की थी कि उन्नाव के मौजूदा एस० ओ० सी० सी० ओ०, मोहान के निकट सम्बन्धी हैं इस वजह से सी० ओ०, मोहान गड़बडी करते हैं, घूस लेते हैं और उनके खिलाफ शिकायत नहीं सुनी जाती है इसकी भी जांच की जाय ?

श्री बृजबिहारी—जहां तक मेरी जानकारी है इस किस्म की कोई शिकायत नहीं की गई ।

श्री रामसुन्दर—जिन व्यक्तियों ने जांच के लिये दरख्वास्त दी थी जांच करने वाले अधिकारियों ने प्रार्थियों से भी पूछताछ की थी कि नहीं ? यदि नहीं की थी, जो सही, है तो क्या मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि प्रार्थियों से भी जांच के सिलसिले में पूछतांछ की जाय ?

श्री बृजबिहारी—जहां तक देखने से मालूम होता है और यह प्रीजम्पशन भी है कि जो लोग प्रार्थना-पत्र दिये होंगे उनके बयान अवश्य लिये गये होंगे । मेरे पास जो सूचना है उसमें निष्कर्ष बताया गया है कि कितनी दरख्वास्तें थीं और कितने लोग उसमें आये थे । अगर आप अनुमति दें तो मैं बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कि जो डिमान्सट्रेशन कहा जाता है, उसमें ६०-७० आदमी आये थे जिनको कम्युनिस्ट पार्टी, उन्नाव से प्रेरणा दी गई थी और वही लोग थे जिनकी वजह से यह प्रार्थना-पत्र दिये गये । उसकी पूरी जांच की गई ।

श्री भीखालाल—क्या मंत्री जी को प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र १६ अप्रैल का मिला है जिसमें इसी किस्म के आरोप लगाये गये हैं ?

श्री बृजबिहारी—इस फाइल से तो मुझे मालूम नहीं होता । सम्भव है राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्त्ता ने पत्र दिया हो ।

श्री रामसुन्दर—मैं दोबारा प्रश्न करता हूं । क्या प्रार्थियों से भी दरख्वास्तों के सम्बन्ध में कोई पूछताछ की गई थी ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों से की गई ?

श्री बृजबिहारी—इसको देखने से तो कुछ पता नहीं चलता है लेकिन मैं समझता हूं कि पूछताछ की गयी होगी ।

श्री रामसुन्दर—अगर उनसे पूछताछ नहीं की गयी होगी तो क्या माननीय मंत्री यह व्यवस्था करेंगे कि उनसे पूछतांछ की जाय ?

श्री बृजबिहारी—जरूरत होगी तो इसकी व्यवस्था की जायगी ।

श्री चन्द्रजीत—माननीय भीखालाल जी बतला रहे हैं कि उन्होंने राजस्व मंत्री को दरख्वास्त दी थी जिसमें एस० ओ०सी० के खिलाफ एलिगेशंस थे और यह जांच उनसे कराई गयी, तो क्या माननीय मंत्री जी किसी उच्च स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री बृजबिहारी—अगर उनके खिलाफ शिकायत होगी तो दूसरे अधिकारी से जांच कराई जा सकती है ।

*३८—**श्री अहमद बख्श** (जिला मुजफ्फरनगर)—[५ जून, १९६२ के लिये प्रश्न १३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३९—**श्री धूमप्रसाद** (जिला फैजाबाद)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

रामपुर ग्राम सभा के अध्यक्ष, श्री रामलखन के विरुद्ध गबन की शिकायत

*४०—**श्री नरसिंहनारायण**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के घानी ब्लाक के अन्तर्गत रामपुर ग्राम सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा चेयरमैन के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र २६ दिसम्बर, १९६१ को ग्राम सभा तथा ग्राम समाज के रुपयों के गबन के बारे में जिलाधिकारियों को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बृजबिहारी—जी हां, श्री मजीदुल्लाह चेयरमैन, भूमि प्रबन्धक समिति, रामपुर ने भूतपूर्व चेयरमैन, श्री रामलखन के विरुद्ध गबन की शिकायत की थी। प्रार्थी श्री मजीदुल्लाह को परगनाधीश, फरेंदा द्वारा दिनांक २५ जनवरी,१९६२, १ फरवरी,१९६२, १६ फरवरी, १९६२, १, मार्च १९६२ व २२ मार्च, १९६२ को सम्बन्धित कागजात के साथ उक्त प्रार्थना-पत्र में की गई शिकायतों को साबित करने हेतु बुलाया गया, पर वे हाजिर न हुये। अतएव परगनाधीश, फरेंदा की रिपोर्टके आधार पर जिलाधीश, गोरखपुर ने ८ अप्रैल,१९६२ को उक्त प्रार्थना-पत्र को दाखिल दफ्तर कर देने की आज्ञा दी।

*४१—**श्री नरसिंहनारायण**—क्या माल मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त भूतपूर्व ग्राम सभापति को फिर से २ अप्रैल ,१९६२ ई० को परगनाधीश, फरेन्दा ने ग्राम समाज का चेयरमैन नियुक्त करने हेतु कोई आदेश वर्तमान सभापति एवं सम्बन्धित अधिकारियों को दिया है? यदि हां, तो क्या है?

श्री बृजबिहारी—जी नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण—श्री मजीदुल्ला जो ग्राम समाज के चेयरमैन थे उन्होंने जब शिकायती-पत्र दिया था तो उसके पहले ही उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ गया था कि ग्राम समाज के चेयरमैन के पद से उन्हें निकाल दिया जाय ?

श्री बृजबिहारी—उनके पहले चेयरमैन रामलखन थे। उनके विरुद्ध कुछ शिकायत की दरख्वास्त दी गयी थी। उसी सिलसिले में गांव पंचायत, रामपुर के १० मेम्बरों ने सभापति मजीदुल्ला के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दिया। उस प्रश्न पर विचार किया गया और हाकिम परगना के सभापतित्व में १९-१-६२ को निर्णय हुआ जिसमें उनको निकाल दिया गया और उनके स्थान पर रामलखन फिर सभापति बना दिये गये।

श्री नरसिंहनारायण—जिस धारा के अन्तर्गत श्री मजीदुल्ला, चेयरमैन, ग्राम समाज को निकालने के लिये दरख्वास्त दी गयी थी, उसकी प्रतिलिपि माननीय मंत्री सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—नियम १०९ (२) के मातहत नो कांफिडेंस मोशन आ सकता है और उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई मेजारिटी से उसका फैसला होगा।

श्री नरसिंहनारायण—जो दरख्वास्त दी गयी थी वह जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १०९ के मातहत नहीं दी गयी बल्कि पंचायत राज ऐक्ट की धारा १०९ के मातहत दी गयी, जो अवैधानिक थी ?

श्री बृजबिहारी—सेक्शन मुझे इस समय मालूम नहीं है। फैक्ट्स मैंने बतला दिये।

श्री नरसिंहनारायण—क्या यह भी वास्तविकता है कि जो दरख्वास्त दी गयी थी वह ग्राम समाज के चेयरमैन को निकालने के लिये नहीं दी गयी थी बल्कि ग्राम सभापति को निकालने के लिये दी गयी थी और जिस सेक्शन में दी गयी थी वह गलत था ?

श्री बृजबिहारी—मैंने तो इसका उत्तर दे दिया है कि उन्हीं के विरुद्ध दी गयी थी और उसी पर मीटिंग कन्वीन की गयी और पंचायत का निर्णय हो गया था।

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मंत्री जी को मेरे मूल प्रश्न की जानकारी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह जानकारी न प्राप्त कर लें यह बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है, तब तक इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप अलग प्रश्न कर सकते हैं, यह प्रश्न तो समाप्त हुआ।

*४२-४३—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४—श्री अहमद बख्श—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

मोहम्मदी तहसील के कलेक्शन विभाग में हरिजन कर्मचारी

*४५—श्री मन्नालाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी में कलेक्शन विभाग में कितने अमीन और कितने चपरासी हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री बृजबिहारी—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१४ पर)

श्री मन्नालाल—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि गत वर्ष केवल एक ही हरिजन अमीन था और उसी को बरख्वास्त किया गया है ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री भीखालाल—माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि सूचना संलग्न है, तो क्या वह उसे पढ़ कर बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—साल भर के लिये ४५ अमीन नियुक्त हुये थे जिनमें हरिजन एक भी नहीं था । अमीन सीजनल २२ रखे गये उसमें से हरिजन एक भी नहीं रहा । चपरासी साल भर के लिये ४९ रखे गये जिनमें ४ हरिजन थे । चपरासी सीजनल ६८ रख गये, जिनमें १२ हरिजन थे ।

श्री भीखालाल—अमीन जितने हैं उनमें कोई भी हरिजन नहीं हैं । चपरासियों में भी जो हरिजनों के लिये १८ फीसदी का रिजर्वेशन है, वह पूरा नहीं है तो माननीय मंत्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, जो रिपोर्ट आयी है अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—बता दीजिये ।

श्री बृजबिहारी—हरिजनों का निर्धारित प्रतिशत १८ । हरिजन अमीनों की कमी का कारण सुचारु रूप से मालगुजारी वसूल करने की क्षमता है जिसके लिये हरिजन प्रार्थियों का अभाव ही रहा है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन अमीनों के लिये रखी गयी थी और किस क्वालिफिकेशन के हरिजनों ने दरख्वास्तें दी थीं ?

श्री बृजबिहारी—यह तो नहीं कहा जा सकता है कि कितने लोगों ने दरख्वास्तें दी थीं । इससे यह तो मालूम होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसको वे नियुक्त करते ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो फेहरिस्त अभी आपने बतायी उसमें हरिजन एक भी नहीं है । तो जो दरख्वास्तें हरिजनों ने दीं उसमें कितने ऐसे हरिजन थे, जो पिछले सालों में अमीन का काम कर चुके थे ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री भीखालाल--माननीय मंत्री जी ने जो चपरासियों में हरिजनों की संख्या बतायी है वह भी उचित मात्रा में नहीं है। अमीनों में योग्यता के अनुसार हरिजन नहीं मिले तो क्या चपरासियों के लिये भी हरिजन नहीं मिले ?

श्री बृजबिहारी--माननीय सदस्य महोदय शायद भूल गये हैं। सीजनल चपरासी जो रखे गये वे ६८ थे उनमें १२ हरिजन थे और जो साल भर के लिये ४६ रखे गये उनमें ४ हरिजन थे। इससे मालूम होता है कि अन्य हरिजनों की ऐप्लीकेशन्स नहीं आयी होंगी उनके पास।

श्री यादवेन्द्रदत्त--क्या यह सही है कि परमानेन्ट अमीनों में हरिजन अमीन का काम अच्छा था लेकिन तहसीलदार से उसका झगड़ा हो गया था इसलिये वह निकाल दिया गया ?

श्री बृजबिहारी--मुझे आश्चर्य है कि निकालने का प्रश्न कहां आया ? इसमें निकालने का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, यह बताया गया कि ६८ चपरासियों में १२ हरिजन हैं, तो वह भी निर्धारित प्रतिशत से कम हैं। ऐसी हालत में चपरासियों की क्वालिफिकेशन क्या रखी गई थी और कितनी ऐप्लीकेशन्स पड़ीं जिनमें से १२ नियुक्त किये गये ?

श्री बृजबिहारी--इसके संबंध में नहीं कहा जा सकता है कि कितनी एप्लीकेशन्स आई थीं क्योंकि इससे पता नहीं चलता है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो सूचना दे दी जायगी।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)--श्रीमन्, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें यह कहा है कि ऐप्लीकेशन्स नहीं आई होंगी, तो क्या वह यह कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--वह यह कह रहे हैं कि हमारे पास इस संबंध में सूचना नहीं है।

कुंवर श्रीपाल--श्रीमन्, उन्होंने कहा है कि उनके पास हरिजनों की ऐप्लीकेशन्स आई नहीं होंगी।

श्री अध्यक्ष--यह उनका अनुमान है।

कुंवर श्रीपाल--क्या वह ऐसी बात कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--उनका मतलब यह है कि उनके पास सूचना नहीं है।

कुंवर श्रीपाल--उनसे कहला दीजिये कि उनका क्या मतलब है।

श्री चन्द्रजीत--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इससे पहले चौधरी चरणसिंह जी ने आदेश दिया कि मंत्रिसभा में कम से कम हरिजनों की १८ प्रतिशत नियुक्ति हो और जहां नहीं होती वहां पर कारण बताये जायं तो क्या इसका कारण लिखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भेजा है ?

श्री बृजबिहारी--श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी कि चौधरी चरणसिंह जी ने ऐसा आदेश दिया था। लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि हरिजनों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाती है। इसके माने यह हैं कि ऐप्लीकेशन्स नहीं आई होंगी।

कुंवर श्रीपाल--श्रीमान् जी, उन्होंने फिर उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया।

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी, देखिये नहीं आई होंगी ऐसा कहकर अनुमान न लगाइये, बल्कि यह कहिये कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, ६८ चपरासियों में से केवल १२ हरिजन रखे गये हैं, तो क्या सरकार स्वयं सूचना मंगाकर सदन को आश्वस्त करेगी क्योंकि इतनी कम संख्या में हरिजन क्यों मुकर्रर किये गये ?

श्री बृजबिहारी—अगर आदेश होगा तो सूचना मंगाकर बताई जायगी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अभी कई प्रश्नों का मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 'होगा' तो आप ऐसी व्यवस्था दें कि मंत्री जी कंजक्चरल उत्तर दे सकते हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनसे कह दिया है कि वे अनुमान न लगायें बल्कि जो वस्तु-स्थिति हो उसको बता दें । अनुमान पर उत्तर न देकर डेफीनिट कहें और सूचना की आवश्यकता हो तो सूचना मांगा करें ।

कुंवर श्रीपाल—श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि यदि आज्ञा होगी तो सूचना मंगा देंगे, तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि किस की आज्ञा होगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं आज्ञा देता हूं कि वे सूचना मंगाकर रखें ।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अमीन और चपरासी जो भर्ती किये गये तो उसके लिये कौन-सा तरीका अपनाया गया जिससे लोगों की दरख्वास्तें तहसील में पहुंचीं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नेता विरोधी दल ने किया था और उन्होंने कहा कि उनका आधार मेरे पास नहीं है ।

माननीय रामसिंह, प्रश्न संख्या ५१ ....

श्री श्यामलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—पहले मेरे सवाल का जवाब हो जाने दीजिये । माननीय रामसिंह जी नहीं हैं ।

श्री श्यामलाल—मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले का जो प्रश्न है माननीय श्री मन्ना लाल जी का पैंतालीसवां उसका माननीय मंत्री जी ने जितना भी उत्तर दिया वह बिल्कुल असन्तोषपूर्ण था.....

श्री अध्यक्ष—देखिए, श्यामलाल जी, आप एक बात समझ लीजिये, जब मैंने प्रश्न ५१ बुला लिया है तो ५० के संबंध में कोई बातचीत नहीं होगी । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्यामलाल—जो सूचना माननीय मंत्री जी ने कही वह सूचना कब मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठिए ।

*४६-४८—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४९-५०—श्री झिलमिट झिल्लू (जिला गाजीपुर)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

घिरोर–करहल मार्ग पक्का करने की प्रार्थना

*५१—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में जो मार्ग घिरोर से करहल तक है, जिसकी लम्बाई १४ मील है और जिसमें ३ मील पक्की सड़क बन चुकी है उसके शेष ११ मील के लिये सरकार क्या कर रही है और कब तक सड़क बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—सड़क के शेष मीलों को पक्का कराने की अभी कोई योजना नहीं है ।

तहसील कार्यालय, ललितपुर के कर्मचारी

*५२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी की ललितपुर तहसील के तहसील कार्यालय में कितने क्लर्क व अधिकारी ललितपुर तहसील के ही निवासी हैं और वह किस-किस पद पर कितने दिनों से ललितपुर में ही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८१५ पर)

हुला ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

*५३—श्री मोहनलाल (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ग्राम हुला, थाना बिलग्राम, जिला हरदोई में हाल ही में आग लग जाने के कारण पूरा ग्राम जल गया ? यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दिनांक ५ अप्रैल, १९६२ को अग्निकांड के फलस्वरूप प्रश्नांकित ग्राम के १५४ मकानों में से १२५ मकान जल गये थे ।

बीड़ी का जला हुआ भाग लापरवाही से फेंक देने से एक रजाई में आग लग गई और उससे छप्पर में लग जाने से सारे गांव में आग फैल गई ।

*५४—श्री मोहनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कितने घरों में आग लगी और कुल कितना नुकसान हुआ तथा सरकार ने क्या सहायता की और क्या उनके मकान बनाने के लिये कुछ तकावी देने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुल १२५ मकानों में आग लगी तथा कुल नुकसान का अन्दाजा १,०५,००० रु० का है। दी गई सहायता इस प्रकार है—

सामग्री	मूल्य रु० में
१—खाद्य सामग्री	१००
२—कपड़ा	१००
३—बांस बल्ली मकान बनाने हेतु	२००
४—तकावी मकान बनाने हेतु	१,०००
योग ..	१,४००

*५५—श्री नरसिंहनारायण—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

फूलपुर तहसील में पान की क्षतिग्रस्त फसल के लगान में छूट देने की सिफारिश

*५६—श्री दौलतलाल—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर और जनवरी में अधिक ठंडक पड़ने के कारण आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के दक्खिनगांव, बिलरामऊ, बस्ती केनेरी और भोरमऊ गांवों के पान व्यवसायियों की ७५ प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बृजबिहारी—जी हां। ७५ प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई। नियमतः छूट निकालने पर कोई छूट नहीं आती। इस कारण छूट के लिये सिफारिश नहीं की जा सकी। पान के खेतिहरों से तकावी के लिये कहा किन्तु उन्होंने लेने से इन्कार किया।

श्री दौलतलाल—जब यह आपको पता है कि उनके व्यवसाय का सारा साधन नष्ट हो गया है तो क्या आप अहेतुक सहायता देने पर विचार करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—अहेतुक सहायता दी जा सकती है लेकिन उनकी तरफ से इसके लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है। तकावी देने के लिये कहा गया किन्तु उन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पान के खेतिहरों की खेती फूलपुर तहसील में कितने गांवों में बरबाद हुई है और उनका रकबा सरकार के पास कुछ है ?

श्री बृजबिहारी—फूलपुर तहसील में दक्खिन गांव, बिलरामऊ, बस्ती, चक गुजरी, केनेरी और भोरमऊ इतने गांव हैं जहां पर कि पान की खेती होती है और जिसको कि क्षति पहुंची है।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ७५ न० पै० की क्षति के बाद क्या जरूरत है कि जिनकी क्षति हुई वह सरकार के पास सहायता के लिये आवेदन करें ? सरकार का, नियम के अनुसार खुद कर्त्तव्य हो जाता है कि उनकी अहेतुक सहायता करे, तो क्या कारण है कि सरकार की ओर से अहेतुक सहायता नहीं दी गई ?

श्री बृजबिहारी—पान का एक भीटा जो होता है उसमें कई आदमी कल्टीवेशन करते हैं। तो उसमें प्रति व्यक्ति जो क्षति हुई है वह केवल १०२ रु० की है।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियम यह है कि किसी फसल को जब आठ आना से ज्यादा नुकसान होता है तो सरकार उसके ऊपर छूट देती है, यह पान की फसल जो है इसमें ७५ प्रतिशत नुकसान हुआ है सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, तो चाहे जितने लोग उसके हिस्सेदार हों, सरकार ने क्यों उनको छूट नहीं दी ?

श्री बृजबिहारी—मैंने निवेदन किया कि यह सामूहिक छूट नहीं होती है। व्यक्तिगत कैलकुलेशन के हिसाब से छूट होती है। उस हिसाब से जब कैलकुलेशन किया गया तो उनको नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—उनका प्रश्न यह है कि ८ आने से अधिक अगर कहीं क्षति हो तो सरकार स्वयंमेव छूट दे देती है। चूंकि यह १२ आने फसल नष्ट हुई तो सरकार स्वयंमेव छूट दे रही है या नहीं और अगर नहीं देती है तो क्यों ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि एक खाते में बहुत से खातेदार होते हैं। उनका हिसाब जब कैलकुलेट किया गया तो कुल उतना नुकसान आया लेकिन जब एक टेनेन्ट के नाम से उस क्षति को देखा गया तो वह क्षति कम हो गई। वह केवल १०२ रु० प्रति व्यक्ति को क्षति आई। उसके हिसाब को जब कैलकुलेट किया गया तो उसके हिसाब से वह छूट नहीं पा रहे हैं। इसलिये उनको छूट नहीं दी जा रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय मंत्री जी इस बात को जानते होंगे कि जब साझीदार खाते में होते हैं तो सभी का नाम रहता है। टोटल पर छूट दी जाती है, छट परतीवार नहीं दी जाती है। यह साधारण सा नियम है तो उस नियम के अनुसार इन लोगों को छूट क्यों नहीं दी गई ?

श्री बृजबिहारी—मैंने निवेदन किया कि जो छूट दी जाती है वह कैलकुलेशन के हिसाब से दी जाती है। उस हिसाब से इनकी क्षति कम आई है इसलिये उन्हें छूट नहीं दी गई ।

श्री अध्यक्ष—आपका आशय यह है कि सामूहिक नुकसान उन लोगों का ७५ फीसदी हुआ था लेकिन व्यक्तिगत जब कैलकुलेशन किया गया तो उन लोगों की जो क्षति हुई वह ८ आने से कम आई ?

श्री बृजबिहारी—जी हां, यही मतलब है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो यह छूट नहीं दी गई वह रेवेन्यू मैनुअल की किस धारा के अनुसार नहीं दी गई ? क्योंकि उसका मतलब यह है कि ८ आने से अधिक जिनका नुकसान होगा चाहे वे व्यक्तिगत खाते हों या सामूहिक तो उनकी मालगुजारी में छूट दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो कानून की बात है।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रेवेन्यू मैनुअल के मुताबिक इस क्षति को कैलकुलेट किया गया था ? यदि हां, तो अन्य दैविक आपत्तियों के संबंध में भी इस तरह का कैलकुलेशन होता है ?

श्री बृजबिहारी—इसमें लिखा हुआ है कि लैन्ड रेवेन्यू और रेंट जो वर्क आउट किया गया तो उसमें २५ नये पैसे प्रति रुपया क्षति आयी है। इस कारण छूट नहीं दी जा सकी।

श्री भीखा लाल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि यह नुकसान आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में ही नहीं हुआ बल्कि जब शीत लहर आई तो उससे सारे प्रदेश के उन जिलों को नुकसान हुआ है कि जहां पर पान की खेती लोग करते हैं, उनका एक-मात्र जीविका का साधन पान की खेती था, उनका सब कुछ नष्ट हो गया है, तो उनको उदारतापूर्वक अहेतुक सहायता देने पर विचार करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। हम तो तकावी के रूप में उनको लोन देने के लिये तैयार हैं लेकिन वह लेने के लिये ही तैयार नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर—क्या यह सही है कि अधिकारियों ने उन लोगों के नुकसान को पहले ८० हजार रुपये का नुकसान आंका था ?

श्री बृजबिहारी—यह सही है कि ७५ हजार रुपये का कुल नुकसान आंका गया है।

मार्च के महीने में चकबन्दी की अधिक अपीलों का निर्णय करने पर आपत्ति

*५७—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चकबन्दी विभाग के सहायक संचालकों (Deputy Directors) ने मार्च, १९६२ में कितनी अपीलों का फैसला किया और १ अप्रैल, १९६१ से २८ फरवरी, १९६२ तक कितनी अपीलों का ?

श्री बृजबिहारी—चकबन्दी विभाग के सहायक संचालकों तथा उप-संचालकों द्वारा प्रश्न में उल्लिखित अवधि में फैसला की गई अपीलों की संख्या इस प्रकार है:

मार्च, १९६२	६,३०९
१ अप्रैल, १९६१ से २८ फरवरी, १९६२ तक	१५,७७८

*५८—श्री सहदेवसिंह—क्या यह सच है कि ३१ मार्च को ३ घंटे में लगभग ६० अपीलों की बहस सुनी गई, और फैसला दिया गया? यदि हां, तो सरकार न्याय की इस विधि को सुधारने का क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री बृजबिहारी—जी नहीं। सुधार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब प्रतिमास अपीलों का फैसला करने का औसत १,३०० का रहा है तो क्या कारण है कि वह मार्च के महीने में बढ़कर ६,५०० का हो गया?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, यह मार्च का महीना चकबन्दी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है और इतने ज्यादा फैसले होने के बहुत से कारण हैं। एक तो आर्थिक वर्ष की समाप्ति होती है मार्च में और रबी की फसल के कटने का तथा क्षेत्रों के खाली होने का समय यही होता है और इसी समय खातेदारों के कब्जे का परिवर्तन भी उचित मालूम होता है। खातेदार स्वयं इसके लिये इच्छुक रहते हैं कि जिस प्रकार भी हो मार्च के करीब ही उनको कब्जा दे दिया जाय क्योंकि खरीफ की फसल की तैयारी करने में उनको सुविधा होती है और इसी समय चक बनाने का काम भी समाप्ति पर होता है। इन्हीं कारणों से सोचा जाता है कि अधिक से अधिक निर्णय कर दिये जायं। इसके संबंध में ९ डिप्टी डाइरेक्टर और ६ असिस्टेन्ट डाइरेक्टरों की भी नियुक्ति कर दी गयी थी ताकि मार्च के महीने में अधिक से अधिक फैसले हो सकें। जिलाधीशों को भी, जो पहले एलेक्शन की वजह से काम में लगे हुए थे, इस महीने में छुट्टी मिल गयी थी और उन्होंने भी बहुत से फैसले किये। यही कारण था कि और महीनों की अपेक्षा मार्च में मुकदमों के फैसले होने की तादाद अधिक रही।

श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या जिलेवार सूची इन अपीलों के संबंध में मंत्री जी के पास है? यदि हां, तो क्या वे बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६२ तक सीतापुर में कितनी अपीलें फैसल हुईं?

श्री बृजबिहारी—सीतापुर में केवल ९ फैसले हुए हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि इन आंकड़ों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि इन अफसरों की क्षमता या तो मार्च के महीने में कुछ ज्यादा बढ़ जाती है या बाकी साल भर जो उनकी क्षमता है वह जाया होती रहती है, इसे देखते हुए सरकार क्या कोई टार्गेट फिक्स करने की कृपा करेगी ताकि वे मार्च की क्षमता के हिसाब से और महीनों में भी फैसले कर सकें और एक्सचेकर पर अधिक बोझ न पड़े?

श्री अध्यक्ष—उनके कहने का मतलब यह है कि क्या सरकार और महीनों के लिये कोई टार्गेट फिक्स करने की कृपा करेगी?

श्री बृजबिहारी—कोई टार्गेट फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। वह ईमानदारी और परिश्रम से काम करते हैं। उनको क्रेडिट देने की आवश्यकता है और सदन को उन्हें क्रेडिट देना चाहिये।

श्री सहदेवसिंह—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च को इटावा के सहायक संचालक ने कितनी अपीलें सुनीं और कितनों पर फैसले दिये?

श्री बृजबिहारी—उस दिन, ३१ मार्च को, इटावा में ५७ फैसले हुए हैं।

नोट:—तारांकित प्रश्न ५८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रामप्रसाद गुप्ता, अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार, का बकाया वेतन

*५९—श्री सहदेवसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की भरथना तहसील के १ जनवरी, १९६२ को अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार, रामप्रसाद गुप्ता के वेतन का बकाया १९४७ से अब तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ है और क्यों १९४७ से उनका वेतन निश्चित नहीं हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९४७ के वेतन समिति के प्रतिवेदन (Pay Committee Report, 1947) के अनुसार श्री रामप्रसाद गुप्ता, अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार, का वेतन १४-१२-५६ को १६८ रुपये निश्चित किया गया है। इस दर से जो वेतन का बकाया रुपया है, संबंधित जिलाधीश उसे दिलाने के हेतु उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

२—१५-१२-५६ से ३१-१२-६१ तक का वेतन उक्त कमेटी के प्रतिवेदन के अनुसार अभी निश्चित नहीं हुआ है। इसके लिये संबंधित जिलाधीश उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट व इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट में संशोधन करने का विचार

*६०—श्री बंशीधर मिश्र (जिला खीरी) तथा श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—क्या सरकार को बन्नूमल बनाम बशीर अहमद अपील के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की जानकारी हुई है, जो इलाहाबाद ला जर्नल के पृष्ठ ८८ पर रिपोर्ट हुई है जिसमें 'जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट (व) इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट' के संशोधन का सुझाव दिया गया है ताकि उक्त अधिनियमों के पारित होने की वास्तविक मंशा की पूर्ति हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*६१—श्री बंशीधर मिश्र तथा श्री छेदालाल चौधरी—यदि ऐसा है तो डेट रिडक्शन ऐक्ट तथा इंकम्बर्ड ऐक्ट की सम्बन्धित धाराओं का न्यायोचित संशोधन सरकार कब तक करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार विधान सभा की अगली बैठक में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव लाने का विचार कर रही है।

*६२—श्री बंशीधर मिश्र तथा श्री छेदालाल चौधरी—यदि उक्त अधिनियमों के संशोधन में कुछ देर अवश्यम्भावी है तो क्या सरकार संशोधन होने के समय तक के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत चालू कार्यवाही स्थगित करने की सोच रही है जैसा कि इंकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट संशोधन के समय सन् १९४५ में किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चूंकि आवश्यक संशोधन शीघ्र ही करने का विचार है, कथित अधिनियमों के अन्तर्गत चालू कार्यवाही स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

*६३-६४—श्री कमलासिंह यादव—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बिहार-बक्सर व विक्रमपुर-ऊंचगांव सड़कों का निर्माण

*६५—श्री देवदत्त (जिला उन्नाव)—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव के अन्तर्गत बिहार-सुमेरपुर से बक्सर तक १३ मील लम्बी सड़क कब तक पक्की बन जायगी और बीघापुर से ऊंचगांव चौड़गढ़ा तक जाने वाली सड़क को पक्की बनाने का कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल---बिहार-बक्सर सड़क के निर्माण-कार्य के जून, १९६४ तक पूरा होने की आशा की जाती है। बीघापुर से ऊंचगांव चौड़गड़ा के बजाये विक्रमपुर-ऊंचगांव सड़क का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित है तथा इसके निर्माण-कार्य के इस वर्ष आरम्भ होने की आशा की जाती है।

गाजियाबाद में अदालतों की इमारतें बनाने के लिये नगरपालिका की जमा रकम

*६६---**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि गाजियाबाद में एस० डी० एम० के तथा अन्य अदालतों के भवन बनाने के लिये सरकार ने जी० ओ० नं० १२६५५/१बी/११४४/बी/१९४९, दिनांक ३० जनवरी, १९५३ के अनुसार गाजियाबाद नगरपालिका से सरकारी खजाने में चालान नं० १० दिनांक २८ मई, १९५३ के अनुसार एक लाख रुपया जमा कराया था? अगर हां, तो क्या वह भवन बन गये हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। परन्तु इन भवनों का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है क्योंकि जो जमीन नगरपालिका ने भवन बनाने के लिये देना स्वीकार किया था उसके एक भाग के बारे में इस जमीन के पहले मालिक ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी थी और हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में नगरपालिका पर एक इंजक्शन आर्डर जारी कर दिया था।

*६७---**श्री तेजसिंह**---क्या सरकार इस रुपये को बोर्ड को वापस करने का विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---चूंकि नगरपालिका ने यह रुपया उक्त भवनों को बनाने के लिये दान किया था तथा उससे कोई दूसरी उपयुक्त जमीन उपलब्ध करने के लिये कहा गया है इस लिये रुपये की वापसी का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

*६८---**श्री रक्षपालसिंह तथा श्री जगदीशप्रसाद**---[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

मोहम्मदाबाद तहसील में कलेक्शन विभाग का रिकार्ड रूम बनाने पर विचार

*६९---**श्री सुरजन** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील मोहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़, के कलेक्शन विभाग का कोई रिकार्ड रूम है या नहीं? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई रिकार्ड रूम बनाने की योजना पर विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं, इस समय तहसील मोहम्मदाबाद में कलेक्शन विभाग का कोई अलग रिकार्ड रूम नहीं है परन्तु रिकार्ड रूम बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

जमींदारी उन्मूलन के बिना टाउन एरियाज व नगरपालिकायें

*७०---**श्री रामसूरत** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश कानून सन् १९५६ के अनुसार उत्तर प्रदेश के किन-किन टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन करना बाकी है और क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, के अन्तर्गत अभी ९८ टाउन एरिया और ७३ म्युनिसिपेल्टियों में जमींदारी उन्मूलन करना शेष है। इन १७१ नागर क्षेत्रों की सूची प्रस्तुत है। जमींदारी उन्मूलन करने से पहले प्रत्येक नागर क्षेत्र में स्थित कृषि क्षेत्रों का अधिनियम की धारा ३, ४ तथा ५

के अनुसार परिच्छेद करना अनिवार्य है। जब धारा ५ (२) के अधीन कमिश्नर विज्ञप्ति जारी करके परिच्छेद कार्यवाही को अन्तिम रूप दे देते हैं तब ही धारा ८ के अधीन विज्ञप्ति जारी करके सरकार जमींदारी उन्मूलन कर सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८१६-८१८ पर)

*७१—**श्री सूबेदारसिंह** (जिला मैनपुरी)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*७२-७३—**श्री जगन्नाथ** (जिला बलिया)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

अलीगंज-सराय अगस्त सड़क बनाने की आवश्यकता

*७४—**श्री लोकनाथसिंह** (जिला एटा)—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला, अलीगंज से सराय अगस्त तक, एक सड़क का १४ मील का टुकड़ा बनाये जाने की योजना बहुत वर्षों से थी? यदि हां, तो वह योजना अब किस Stage में है?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*७५-७६—**श्री हरिनाथ तिवारी** (जिला फैजाबाद)—[हटा दिये गये।]

*७७—**श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*७८—**श्री शारदानन्द**—[३१ मई, १९६२ के प्रश्न ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७९—**श्री होरीलाल यादव**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*८०—**श्री होरीलाल यादव**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सैदपुर-बहरियाबाद सड़क बनाने की प्रार्थना

*८१—**श्री राजनाथ** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर-बहरियाबाद सड़क के निर्माण का कोई गत वर्ष के अन्तरिम जिला परिषद् का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*८२-८३—**श्री राजनाथ**—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*८४—**श्री कैलाश** (जिला देवरिया)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

तरबगंज तहसील में टेस्ट वर्क के लिये धन

*८५—**श्री शीतलप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज में बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण १९६१-६२ में उत्पन्न संकट के निवारणार्थ टेस्ट वर्क मद में कुल कितना रुपया दिया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस सम्बन्ध में १५,००० रुपया दिया गया।

*८६—श्री शीतलप्रसाद—क्या सरकार को पता है कि तरबगंज तहसील में अब तक डेस्ट वर्क नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। क्योंकि मजदूर पर्याप्त संख्या में नहीं आये।

*८७—श्री शीतलप्रसाद—[३१ मई, १९६२ के लिये प्रश्न १०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कोसी-शेरगढ़ सड़क बनाने की प्रार्थना

*८८—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि मथुरा जिले के छाता क्षेत्र में कोसी से शेरगढ़ को पक्की सड़क कराने की तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई कार्यवाही की जायगी? यदि हां, तो कब तक शुरुआत हो जायगी?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।
द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

*८९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*९०—श्री मैनेजर—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

बलरामपुर तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*९१—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा के निरापिघड़ा क्षेत्र की ओर ध्यान देते हुए जले हुये ग्रामों मुख्यतः लेनुड़वा, पो० लेवुड़वा, बरदहवा, पो० कौवापुर में दो बार अमवा पो० शिवपुर, अमरहवा पो० तुलसीपुर, लालबोझी, पो० कौवापुर, एवं कमदा पो० मुगौली में एक बार आग लगी और कितनी क्या-क्या हानि हुई, उसकी कोई जांच हुई? यदि हां, तो उनके मकान बनाने तथा जीवन रक्षा हेतु कौन-सा और कितनी-कितनी सहायता हरिजनों तथा अन्य को दी जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोंडा जिले की तहसील बलरामपुर के ग्राम लेवुड़वा, बरदहवा में दो बार तथा अमवा, अमरहवा, लालबोझी, एवं कमदा में एक बार आग लगी। हर गांव में आग लगने तथा हानि की जांच की गई। हानि तथा दी गई सहायता का विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८१९–८२० पर)

बिलग्राम तहसील में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तथा स्थगित लगान की वसूली

*९२—श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील का १३६१–६२ फसली का स्थगित बकाया ९८,००० रुपये जो माफ हो चुका था और जिसे जिले के अधिकारी माफ एलान कर चुके थे, किन कारणों से ९ वर्ष बाद वसूली की आज्ञा दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रबी १३६१ व १३६२ फसली के लगान की वसूली तहसील बिलग्राम में माफ न करके केवल स्थगित ही की गई थी। अतः उसके वसूल न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*९३—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिलग्राम तहसील में कौन-कौन नदियां बहती हैं? उनमें बाढ़ आने से कितना इलाका हर साल डूबता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बिलग्राम तहसील में गंगा, गर्रा, नीलम, रामगंगा और कुंडा नामक बड़ी नदियां व कुछ नाले और छोटी नदियां बहती हैं।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र लगभग १,९१,५७२ एकड़ है।

*९४--श्री जे० पी० मिश्र--क्या सरकार के पास बिलग्राम तहसील का सैलाब का नक्शा है और सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--१३६९ फसली के बाढ़ का नक्शा उपलब्ध है जो कि कार्यालय में देखा जा सकता है।

*९५--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*९६--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल--[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले में हरिजन कलेक्शन अमीन

*९७--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में अब तक स्थायी कलेक्शन अमीनों की तहसीलवार क्या तादाद है और प्रत्येक तहसील में कितने-कितने हरिजन अमीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८२१ पर)

*९८--श्री बसन्तलाल--क्या सरकार की तरफ से हाल में कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है कि सीजनल अमीनों को न रख कर उनकी जगह पर स्थायी अमीन नियुक्त किये जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। कार्य के हित में राजस्व परिषद् द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि सीजनल अमीनों के स्थान पर अस्थायी साल भर काम करने वाले अमीन रक्खे जावें।

बरेली में रामगंगा का नया पुल

*९९--कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो पुल राम गंगा नदी पर रेल के पुल के समीप जिला बरेली में बन रहा था उस पर कब तक यातायात आरम्भ हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--जुलाई, सन् १९६२ ई० में यातायात के लिये खोल दिये जाने की आशा है।

*१००-१०२--श्री रामकिशोर--[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में केन नदी पर पुल की आवश्यकता

*१०३--श्री मतोलासिंह--क्या बांदा-फतेहपुर-कानपुर आदि को मिलाने वाली सड़क पर केन नदी का पुल बनाने की कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--इस सड़क पर केन नदी नहीं पड़ती।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

*१०४--श्री तेजसिंह--[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०५-१०६--श्री चैतन्यराजसिंह (जिला आजमगढ़) तथा श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०७-१०९—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—[५ जून, १९६२ के लिये प्रश्न ६७-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*११०—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

काशी में शराबबन्दी न करने के विरोध में श्री ओमप्रकाश गौड़ द्वारा सत्याग्रह करने की सूचना

*१११—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी क्या पिछले दो वर्षों के अन्दर उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुख्य मन्त्रियों द्वारा आचार्य विनोबा भावे को एक बार आगरे में तथा दूसरी बार गाजीपुर में यह आश्वासन दिया गया कि काशी में शराबबन्दी की जायेगी? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सर्वोदय कार्यकर्त्ता, श्री ओमप्रकाश गौड़ ने सरकार को सूचित किया है कि वह इस आश्वासन की पूर्ति के अभाव में सत्याग्रह करने वाले हैं?

आबकारी राज्य मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—आचार्य विनोबा जी का जो काशी में शराब बन्दी का ध्येय है उसमें सरकार की भी आस्था है और वह चाहती भी है कि इस ध्येय की पूर्ति हो, किन्तु ऐसा करने में हमारी कुछ वित्तीय समस्यायें हैं। जिनके विषय में राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के बीच विचार-विमर्श हो रहा है। इस बीच श्री गौड़ द्वारा सत्याग्रह करने की सूचना प्राप्त हुई है।

*११२-११३—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—[१ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

पान की खेती करने वालों को सहायता

*११४—श्री भीखालाल तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत दिसम्बर मास में शीत लहर के आने से प्रदेश में पान की फसल का अनुमानतः कितना नुक्सान हुआ है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शीत लहर से पान की फसल में हुई अनुमानित हानि का जिलेवार ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८२२ पर)

*११५—श्री भीखालाल तथा श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पान की खेती करने वालों की क्षति पूर्ति के लिये सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकारी सहायता का उद्देश्य क्षतिपूर्ति नहीं है बल्कि वास्तविक साधनहीन व्यक्तियों को सहायता देने का है जिससे दुर्घटना के तुरन्त बाद के कठिन समय में उनका निर्वाह हो सके।

आवश्यकतानुसार सचमुच साधनहीन लोगों को १,२२,८०० रु० की तकावी तथा ६,६५० रु० की मुफ्त सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त जहां नियमानुसार लगान में छूट मिल सकती थी छूट देने की व्यवस्था की गई।

आगरा-दिल्ली सीमेंट सड़क में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*११६—श्री लखीसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरे से देहली के लिये जो सीमेंट की पक्की सड़क बन रही है, उसमें ली गई भूमि का सम्बन्धित किसानों को अब तक कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, क्या यह सच है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच अभी तक मुआवजे को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया? यदि हां, तो क्या सरकार उसका विवरण देने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—इस सड़क को सीमेंट की बनाने के लिये विभिन्न ग्रामों से भूमि अस्थाई रूप से ली गई है, मुआवजे के कागजात अभी तैयार नहीं हो सके हैं, इन के तैयार होने के बाद मुआवजा वितरण किया जायगा।

द्वितीय विभाग—जी नहीं।

तृतीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा-सर्वेक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों को भत्ता न मिलना

*११७—श्री रामचरण शाह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो शिक्षा विभाग की ओर से सन् १९५७-५८ में शिक्षा सर्वेक्षण का कार्य अध्यापकों के द्वारा करवाया गया था उसका भत्ता (T. A. and D. A.) अब तक दिया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)—सूचना एकत्र की जा रही है।

भरथना तहसील के चपरासी श्री नजीर अहमद को पेन्शन मिलने में देरी

*११८—श्री सहदेवसिंह—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की भरथना तहसील के चपरासी श्री नजीर अहमद, पुत्र श्री रियाज अहमद की ड्यूटी देते हुए सन् १९५८ में पैर की हड्डी टूट गई थी और वे पूर्णतया disabled हो गये थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्री नजीर अहमद ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक मार्च ९, १९५९ को दिया था कि उनकी टांग की हड्डी में, जो कि सरकारी कार्य में सन् १९५८ में टूट गई थी, फिर चोट आ गई है और जिसके फलस्वरूप वे सरकारी कार्य करने में असमर्थ हैं। इस प्रार्थना-पत्र के परिणामस्वरूप उनको २२ जुलाई, १९६० तक छुट्टी दे दी गई थी और सिविल सर्जन द्वारा जांच होने के बाद सरकारी कार्य के लिये पूर्णतया असमर्थ पाकर उन्हें २२ जुलाई, १९६० रिटायर कर दिया गया था।

*११९—श्री सहदेवसिंह—क्या उक्त श्री नजीर अहमद जिनकी सरकारी नौकरी २३ साल की हो गई थी को १९५९ में रिटायर कर दिया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्री नजीर अहमद का सेवाकाल २१ साल, ६ माह तथा ५ दिन का था और उनको २३ जुलाई, १९६० (पूर्वान्ह) से रिटायर किया गया।

*१२०—श्री सहदेवसिंह—उक्त श्री नजीर अहमद को न तो १९५८-५९ के १५ महीने का वेतन मिला और न अब तक पेन्शन बंधी और जो कागजात इस सम्बन्ध में भेजे गये उनका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्यों? अब भी नजीर अहमद की सरकार के समक्ष क्या स्थिति है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्योंकि श्री नजीर अहमद को १३ मार्च, १९५९ से २२ जुलाई, १९६० तक बिना तनख्वाह की छुट्टी प्रदान की गयी थी, अतः वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक पेंशन का प्रश्न है, महालेखापाल, इलाहाबाद, को ३ अप्रैल, १९६१ को इस सम्बन्ध में कागजात भेज दिये गये थे। उन्होंने कुछ आपत्तियां की थीं, जिनका निराकरण उत्तर मूल कागज के साथ रजिस्ट्री द्वारा ५ मार्च, १९६२ को उनके पास भेज दिया गया था। अब केवल महालेखापाल के यहां से पेंशन का कागज (पी० पी० ओ०) आना शेष है, जिसके लिये उन्हें ७ मई, १९६२ को स्मरण कराया गया है।

अतारांकित प्रश्न

विलीन बावनी रियासत के ग्रामों में आबी टैक्स

१—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कदौरा, जिला जालौन के बावनी इलाके की जनता से अब भी आबी टैक्स वसूल किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

२—श्री शिवसम्पति शर्मा—सालाना वसूली क्या है पिछले तीन साल की सालाना अलग-अलग आंकड़े बताने की कृपा करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

३—श्री शिवसम्पति शर्मा—क्या सरकार को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इस रियासत के विलीन होने के बाद सभी प्रकार के टैक्स उस रियासत की जनता पर भी लागू कर दिये गये हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता से वसूल किये जाते हैं ? अगर हां, तो फिर जो टैक्स बावनी इलाके की जनता पर रियासती जमाने में लगे हुए थे और उत्तर प्रदेश के गांवों में जो उस सीमा में लगे हुए हैं नहीं हैं तो बावनी इलाके की जनता पर आबी टैक्स लगाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। आबी टैक्स वास्तव में मालगुजारी का भाग है। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सिंचित तथा असिंचित भूमि की मालगुजारी की दरें अलग-अलग हैं। केवल फर्क इतना है कि वहां सिंचित दरें बन्दोबस्त के समय निर्धारित कर दी जाती थीं और दूसरे बन्दोबस्त तक मालगुजारी उन्हीं के आधार पर देय रहती थीं, चाहे किसी एक साल में खेत सींचा जाय या न सींचा जाय। विलीन बावनी रियासत के गांवों में मालगुजारी असिंचित दरों पर लगाई जाती है और जो खेत जिस साल में सींचे जाते हैं उस साल उस भूमि के लिये आबी टैक्स लिया जाता है। फलतः विलीन बावनी रियासत के गांवों को उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में अधिक सुविधा प्राप्त है।

४—श्री शिवसम्पति शर्मा—क्या सरकार निकट भविष्य में इस टैक्स के सम्बन्ध में विचार करने हेतु एक कमेटी का निर्माण करने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक इस कार्य को पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, के अध्याय ३ के अधीन बनी नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७१३/१—क—३६०३—५९, दिनांक ५ मार्च, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उक्त अधिनियम की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मन्त्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एम० वी० आर० ए० एम०-३१–२२९९ टी० एम०/३०-बी, दिनांक २४ जुलाई, १९६१, संख्या एम० वी० आर० ए० एम० ३६–२२६५ टी० एम०—३०-ख २७-पी–६१, दिनांक ११ अगस्त, १९६१, संख्या एम० वी० आर० ए० एम०.३५–१८२०-टी० एम०–३०-ख–९१-पी०–६१, दिनांक ११ अगस्त, १९६१, तथा संख्या एम० वी० आर० ए० एम० ३७–४०७४ टी० एम०–३०—८१-पी–६१, दिनांक १४ अगस्त, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक १३ नवम्बर, १९६१ को, सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं, एक माननीय चन्द्रबली सिंह जी का है और दूसरा माननीय नरसिंहनारायण जी का है। माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने इसी प्रकार की एक सूचना कल भी दी थी जिसे मैंने अस्वीकार किया था। उसमें किसी हाल की घटना की बात नहीं थी इसलिये उसको अस्वीकार किया था। और यह भी सिर्फ एक आशंका है कि बाढ़ आयेगी और उसके लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है, वे यह जानना चाहते हैं, इसलिये यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बन सकता।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष—मैं अपनी बात कह लूं, तब आप खड़े हों।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, सरकार की ओर से जवाब दे दिया जाय। बाढ़ आ रही है। इतना ही इनका मतलब है। आप कृपा करके इसको सरकार के पास भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—मैं बैठ रहा हूं लेकिन जो मैंने कहा है उस पर भी विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं उस को पढ़ देता हूं:—

"मन्त्री जी की सूचना के फलस्वरूप देवरिया जिले की देवरिया, सलेमपुर और हाटा तहसीलों की तथा गोरखपुर जिले की महाराजगंज, फरेंदा, सदर और बांसगांव तहसीलों की लगभग १५ लाख जनता का जान, माल एवं घर द्वार खतरे में पड़ गया है। उन तहसीलों की जनता बाढ़ की विनाशलीला की आशंका से भयभीत हो गयी है। सरकार लापरवाह है। बाढ़ नियन्त्रण के लिये कोई ठोस प्रयत्न नहीं कर रही है। उनकी सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने को भी तैयार नहीं है। जिससे जनता अपने जीवन से भी निराश हो गयी है। विषम परिस्थिति एवं चिन्तनीय हालत है। १५ लाख जनता का भविष्य अन्धकार में है। समय कम है बाढ़ की विनाश लीला सर पर है। चूंकि बाढ़ अप्रत्याशित घटना न रह कर नियमित रूप से हर साल की आम घटना हो गयी है।"

सिंचाई मन्त्री जी पहले भी इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे चुके हैं दौरान अपने बजट व्याख्यान के। इसलिये यह स्वीकार नहीं किया गया।

---

* छापे नहीं गये।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—मेरा भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री नरसिंहनारायण का आया है। कल भी यह बात उठी थी। यह २१ मई को होने वाले अनुमेलन (कोआप्शन) के सम्बन्ध में था। लेकिन यह कानून का प्रश्न है और मैंने जब स्वयं अध्ययन किया तो मैंने यह देखा कि यह धारा २७१ अधिनियम के अनुरूप है। यह कार्यवाही मेरी समझ में अनियमित नहीं है। इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिये मैंने इसको अस्वीकार किया है। अतः ५२ का इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम बनगुवां कलां, जिला झांसी में अज्ञात रोग से बच्चों की मृत्यु के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी जी ने उठाया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, नियम ५२ के अनुसार एक लोकमहत्व का प्रश्न मेरा भी था ।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में कहिये ।

माननीय सुदामाप्रसाद गोस्वामी जी की सूचना जो नियम ५२ के अनुसार है वह इस प्रकार से है :

"नियम ५२ के अनुसार मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम बनगुवां कलां, तहसील ललितपुर, परगना तालबेहट, जिला झांसी में गत २०, २५ दिनों से एक अज्ञात रोग से (जिसमें ३, ४ दिन बुखार आता है) प्रति दिन ४, ५ बच्चों की मृत्यु हो रही है, १३ मई, १९६२ तक इस छोटे से ग्राम में लगभग ८०, ९० बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और अनेकों परिवारों के पूरे के पूरे बच्चे रोग ग्रस्त हैं ।

१३ मई तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था रोग की जांच व रोकने के लिये नहीं की गयी है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों में बड़ी चिन्ता व भय व्याप्त हो गया है ।

अतएव माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संबंध में वह अपना स्पष्टीकरण इस माननीय सदन में देने की कृपा करें ।

इसको मैंने अति महत्वपूर्ण समझा और इसको स्वीकार कर लिया है और ऐसी दशा में जो अन्य नियम ५२ की सूचनायें हैं उनको सदन के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस संबंध में आज कुछ कहेंगे ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—इस संबंध में सूचना मांगने के लिये आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं, एक सप्ताह का समय चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—आप २३ तारीख को दे सकेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—२३ को दे दूंगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—२४ तारीख रख दीजिये ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ठीक है, २४ को दे दूंगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, जो सूचना नियम ५२ की मैंने दी थी उसके संबंध में मुझे एक पत्र और अभी प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि कई और आदमी अनशन कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं और मुझसे आप इस संबंध में बातचीत कर सकते हैं, फिर मैं उसको उचित समझूंगा तो आदेश दे दूंगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—आप सरकार से कहिये तो ।

श्री अध्यक्ष—देखिये सरकार ने माननीया मंत्री जी ने यह साफ कह दिया है कि जहां पर भी इस तरह की भूख हड़ताल होती है वहां पर जब तक वह खत्म नहीं कर दी जाती, हम वहां कोई कार्यवाही नहीं कर सकते । इसको दृष्टि में रखते हुये जो बात आप कह चुके हैं उसके बारे में मुझसे पहले बात कर लें ।

अब नियम ५२ के प्रश्न खत्म होते हैं ।

श्री उग्रसेन—आपने कहा था कि आप बाद को मुझे मौका देंगे ।

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ का एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है ।

श्री उग्रसेन—श्रीमान, सरकार ने जो कानून बनाया है उसका हनन हो रहा है । २१ तारीख को इलेक्शन होगा । तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार कोई व्यवस्था करे और उसको अभी रोक दिया जाय ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप अभी बैठिये, पहले जो प्रश्न सामने है उसका मैं जवाब दे लूं ।

उग्रसेन जी, मैंने इस पर स्वयं अध्ययन किया है और अगर आप मेरे पास आ जायेंगे तो आपको स्वयं संतोष हो जायगा कि जो कुछ हो रहा है वह कानून के बाहर नहीं हो रहा है । अगर बाहर हो भी रहा है, तो यह अदालत से रोका जा सकता है, यहां न हम कानून बदल सकते हैं, न यह अदालत हो सकती है और सरकार कोई आदेश जारी करे इस संबंध में, मैं यह उचित नहीं समझता हूं और इस कारण से वह नियम ५२ का प्रस्ताव अनियमित है ।

श्री उग्रसेन—तो हम, श्रीमान्, फिर कहां जायं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमान्, जो आपने कहा कि श्रम मंत्राणी जी ने यह जवाब दे दिया है कि जो हड़ताल कर रहा है वह खत्म नहीं करता तब तक वे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, तो श्रीमान् आज प्रदेश में जो कोई मजदूर हड़ताल करता है, तो वह १५ दिन पहले नोटिस मिल मालिक और श्रम विभाग को देता है और उसके अन्दर सरकार और मिल मालिक कुछ भी विचार न करें तो मजदूर मजबूर होकर हड़ताल करता है । अब सवाल यह है कि मंत्राणी जी ने कह दिया है कि हड़ताल के बीच में वे कोई कार्यवाही नहीं करेंगी । नोटिस दिया जाता है, लेकिन उसका उत्तर नहीं होता, तो क्या करे मजदूर ?

श्री दीपनारायणसिंह—व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । प्रश्न यह है कि किसी अधिनियम की व्याख्या करने के पूर्ण अधिकार क्या सरकार को ही है, इस सदन को नहीं है ? सदन के समक्ष एक स्थगन का प्रस्ताव आया था । जो इस संबंध में ३० मई को क्रोआप्शन करने जा रहे हैं और ७ दिन की सूचना भी नहीं दी गयी तो अधिनियम के सेक्शन ६ के सब-सेक्शन २ के अन्त में कितने चुनाव हो जाने चाहिये थे वह पूर्ण नहीं हो गये, बल्कि पहले ही उनका कोआप्शन कर लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये । मैं आपसे कहता हूं कि मेरे कमरे में आइये तो कानून बतला दूंगा कि वह क्या है ।

उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

चिकित्सा उप-मन्त्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्स कौंसिल में कार्य करने के लिये यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, आगजिलियरी नर्स, मिडवाइव्ज एंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (बी) के उपखंड (२) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वयं उपस्थित हैं । उनकी उपस्थिति में माननीय उप मंत्री जी कैसे ग्रांट पेश कर सकते हैं, मैं इसकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वास्थ्य मंत्री ।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—मैं पेश किये देता हूं ।

श्री धर्मसिंह—क्या अध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय दे दिया है कि हम नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष—एक अखबार में ऐसी व्यवस्था आयी है । स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं, तो क्यों बहस का मौका रहे ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं इस विषय में आपके आदेश चाहूंगा, क्योंकि मैं अब तक यह समझता रहा हूं कि जिस विभाग का उपमंत्री अगर रहता है और मंत्री उसको अवसर देता है कि वह भी इस सदन की परम्पराओं इत्यादि के सीखने का अवसर पाये, तो उस उपमंत्री को बहुत सी चीजें इस सदन में प्रस्तुत करने का मंत्री की ओर से अधिकार रहता है । तो क्या आज से मैं यह समझूं कि आपके यह आदेश होने जा रहे हैं कि उपमंत्री जोकि मंत्री के रूप में कार्य करता है वह इस सदन में विभिन्न चीजों को मंत्री के कहने पर नहीं रख सकता ?

श्री अध्यक्ष—यह हमारे सदन की परम्परा है कि मंत्री की अनुपस्थिति में उपमंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी कार्य करते रहे हैं । आज सहसा पहले मेरा ध्यान एक समाचार पर आकृष्ट हुआ । मैं स्वयं उस पर निश्चय नहीं कर सका हूं और न उसे अध्ययन किया है । इस समय चूंकि स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं और एक प्रश्न व्यवस्था का उठाया गया, इसलिये मैं उनसे कहता हूं कि पेश कर दें, इस विषय पर विचार कर लिया जायगा । जब मैं उसको देख लूंगा और कोई प्रश्न खड़ा होगा तो तय हो जायगा ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—व्यवस्था का प्रश्न उठता है । यह सदन लोक सभा के अधिकारों के अन्तर्गत है....

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये । आप जो बात रख रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस वास्ते कि स्वास्थ्य मंत्री उस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये, यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, आगजिलियरी नर्स, मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (बी) के उपखंड (२) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये यू० पी० नर्सेज मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, आगजिलियरी नर्स, मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (बी) के उपखंड (२) के अनुसार विधान सभा के २ सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं, अनुदान संख्या ३४—विद्युत् योजनाएं (अधिष्ठान छोड़कर), अनुदान संख्या ३५—विद्युत् योजनाएं (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—अभियंत्रण (इंजिनियरिंग) संस्थाएं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४५,९८,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—विद्युत् योजनाएं (अधिष्ठान छोड़ कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,७४,६५,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५—विद्युत् योजनाएं (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ३५,५१,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, २,३७,६१,९०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जिन अनुदानों की स्वीकृति के लिए मैंने अभी सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वे अनुदान जैसा कि सदन के सदस्यगण स्वतः जानते हैं काफी महत्त्व के हैं । उनका संबंध प्रदेश की उस प्रगति से है कि जिस प्रगति की बुनियाद पर आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश विभिन्न दिशाओं में प्रगति कर सकता है और इस प्रदेश के रहने वालों के लिये उस सामग्री और साधनों को जुटा सकता है जिनके द्वारा उनकी आमदनी बढ़ायी जाय। जिनके द्वारा उनके साधन बढ़ जायं और जिनके द्वारा आने वाले वर्षों में उनके बीच से उत्तरोत्तर गुरबत दूर होती जाय । हममें से प्रत्येक यह अच्छी तरह से जानता है कि यदि प्रदेश का

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

औद्योगीकरण करना है तो उसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे पास बिजली हो जिसकी मदद से उद्योग-धंधे चलाये जा सकते हैं, स्थापित किये जा सकते हैं । आज यह सर्व-विदित है कि पावर के कारण ही उद्योग-धंधे फलते और फूलते हैं । यह कहावत है कि इन्डस्ट्री वहीं दौड़ती है, वहीं जाती है जहां बिजली होती है । यह दुनिया के आधुनिक प्रगतिशील देशों की कहानी रही है और आज उसी कहानी की पुनरावृत्ति हम इस प्रदेश में और देश में बिजली के अधिक उत्पादन के द्वारा करना चाहते हैं । तो यह जो हमारे अनुदान हैं, यह उन्हीं आवश्यकताओं से संबंध रखते हैं । यह भी सदन को भलीभांति विदित है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जैसी हमारी अभिलाषा और आकांक्षा थी हम उतनी मात्रा में बिजली पैदा नहीं कर पाये और अपनी योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने में असमर्थ रहे । जैसा उस पुस्तिका से विदित है जो माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गई है और जिसका अध्ययन माननीय सदस्यों ने स्वतः कर लिया है, हमें इस बात का ज्ञान है कि किन कारणों से हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ रहे या उनको चालू नहीं कर पाये । जो अनुदान हमने सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किये हैं वे अनुदान बिजली की उन योजनाओं से संबंध रखते हैं तथा कुछ इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थाओं के विकास से संबंध रखते हैं कि जिनका संबंध उन प्रगतिशील कार्यों से है जिनकी तरफ मैंने अभी सदन का ध्यान आकृष्ट किया । आज प्रदेश में रिहन्द बांध की योजना चल रही है, प्रदेश में यमुना हाइडिल योजना चालू है, प्रदेश में माता-टीला योजना चालू है और प्रदेश में हरदुआगंज में बिजली के विकास की योजना चालू है । माननीय सदस्यों ने उस पुस्तिका का अध्ययन करने के उपरान्त यह अनुभव कर लिया होगा कि जितनी बिजली हम प्रदेश में अपनी उन चालू विभिन्न योजनाओं के द्वारा पैदा करते थे वह हमारी आवश्यकताओं के अनुपात में बहुत कम थी और इसी कारण हमारी यह चेष्टा थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम अधिक मात्रा में बिजली पैदा करें, परन्तु जैसा कि पुस्तिका से विदित होगा हम उन कार्यों का सम्पादन नहीं कर पाये । उसमें मुख्यतः कई कारण हमारी राहों के सामने से गुजरे जिन्होंने हमारे उस दिशा में चलने में रोड़े अटकाये । हमारी यमुना हाइडल की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसलिये नहीं ली जा सकी कि पंजाब की सरकार अपने प्रदेश में इस एक स्थान जिसे कोंच कहते हैं वहां बांध की योजना पर विचार कर रही थी, ऐसा हमें बताया गया कि यदि वह बांध की योजना को सरकार मंजूर कर लेगी तो जो हम पावर स्टेशन इस यमुना हाइडल प्रोजेक्ट के लिये बनायेंगे वह कदाचित् उस बांध के तहत में पानी से डूब जायगा । इसलिये यदि हम इस योजना पर उस वर्ष या उस समय कार्य प्रारम्भ करते तो फिर हम अपने को दिक्कत में डाल लेते और जिस योजना पर हम धन व्यय करते वह बेकार सिद्ध होती । यद्यपि उस समय भी हमारे इंजीनियर्स ने हमें यह सलाह दी थी कि पंजाब की सरकार जिस कोंच योजना पर विचार कर रही है वह व्यावहारिक रूप से सही योजना नहीं है, परन्तु उस समय हम अपने इंजीनियर्स की सलाह पर भी काम नहीं कर सकते थे क्योंकि पंजाब की सरकार कोंच पर बांध बनाने के बारे में विचार कर रही थी । इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस योजना को नहीं चलाया जा सका ।

जहां तक रिहन्द बांध की योजना का संबंध है, सरकार ने उसको पूरा कर लिया है और उसको पूरा करने में हमारे प्रदेश के इंजीनियरों ने बड़ी योग्यता का परिचय दिया है क्योंकि इस योजना को पूरा करने में उन्होंने उस योग्यता और दक्षता का परिचय दिया जो बड़े अनुभवी इंजीनियर ही कर पाते हैं । उन्होंने इस रिहन्द की योजना को समय के अन्दर ही पूरा कर लिया और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि रिहन्द से प्राप्त होने वाली बिजली आज हमें उपलब्ध है । उसका वितरण भी प्रारम्भ हो गया है । माननीय सदस्यों को उसके बारे में यह भी विदित है कि हमें इस योजना में भी प्रारम्भ में काफी दिक्कतें आयीं । पहले तो यह योजना के प्लान के कोर में ही नहीं रखी गयी थी, लेकिन प्रदेशीय सरकार के आग्रह पर उसको पावर प्लान के कोर में रखा गया और उस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ।

माताटीला और हरदुआगंज जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही चालू हो जानी चाहिये थीं, इस कारण से चालू नहीं हो सकीं कि हमें विदेशी मुद्रा उस समय नहीं मिल रही थी जिसके लिये केन्द्रीय आयोग और सरकार ने कोई साधन हमें मुहैया नहीं किये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में उसकी स्वीकृति मिली और विदेशी मुद्रा को भी प्राप्त करने का प्रबंध किया गया और अब हरदुआगंज की स्टेज १ की योजना चालू हो पायी और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है और इस बात को घोषित करने में गौरव होता है कि वह भी कार्य हमारे इंजीनियर्स के द्वारा समय से पूर्व ही कार्यान्वित कर दिया गया है। आज करीब ३० हजार किलोवाट बिजली हरदुआगंज पावर हाउस से तैयार हो गयी है और उन स्थानों को विद्युत् करने के लिये हमारे पास है जो स्थान अब तक बिजली न होने के कारण उद्योग-धंधों के सिलसिले में पिछड़े हुये थे और उनकी बिजली की मांग को हम पूरा नहीं कर पाये थे। आज उस योजना के पूरा हो जाने के बाद यह संभव हो सका है कि गंगा ग्रिड और शारदा ग्रिड के बीच में जो स्थान स्थित हैं, उनको आज हम बिजली दे सकते हैं और वह सारा इलाका जो बिजली मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई इत्यादि से जुड़ा हुआ है उसको बिजली देने की स्थिति में आज हम हैं। २० हजार किलोवाट बिजली तैयार हो गयी है, ढ़ाई महीने में ३० हजार किलोवाट तैयार हो जायगी और इस तरह से ६० हजार किलोवाट बिजली हरदुआगंज फेज नं० १ में जो बिजली तैयार करनी थी, वह समय के अन्दर पैदा होने वाली है और इस कारण से जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा कि अब तक हमने जो नियन्त्रण बिजली के वितरण पर विभिन्न स्थानों को जो उस जोन के अन्दर रखा था, उसे अब हटा दिया है, और जिलाधीशों को अधिकार दे दिया है कि वे २५ हार्स पावर तक बिजली उन स्थानों के रहने वालों को उद्योग धन्धों के सिलसिले में दे सकें और वितरित कर सकें। यह इसलिये सम्भव हुआ है कि हम समय के अन्दर और समय से पूर्व हरदुआगंज पावर स्टेशन में इतनी मात्रा में बिजली पैदा करने जा रहे हैं जिसको इन क्षेत्रों के निवासियों के बीच में आसानी से वितरित किया जा सकता है।

मैं अभी रिहन्द डैम से पैदा की हुई बिजली के सिलसिले में सदन के समक्ष कुछ कह रहा था। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह बिजली तो आज तैयार है और जैसे आज मुझे आंकड़े दिये गये हैं करीब ३३ हजार किलोवाट बिजली का वितरण भी हो गया है। १६ हजार किलोवाट अल्मुनियम फैक्टरी को और बाकी वाराणसी, इलाहाबाद और मिर्जापुर में वह बिजली वितरित हुई है। आने वाले दो तीन महीनों में हिन्दुस्तान अल्मुनियम फैक्टरी को हमने ५५ हजार किलोवाट बिजली देने का वचन दे रखा है, कदाचित् वह फैक्टरी दो तीन महीने में पूरी मात्रा में बिजली खर्च कर सकेगी। ४० हजार किलोवाट बिजली देने का जो वायदा हमने केंद्रीय आयोग के समक्ष किया था और जिसको देने के लिये हमने उस समय वायदा किया। जब कि हम इस बात की कोशिश कर रहे थे कि रिहन्द डैम बनने के बाद और रिहन्द पावर हाउस से बिजली तैयार करने के सिलसिले में हमारी योजना में प्राथमिकता दी जाय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रिहन्द डैम से पैदा की हुई बिजली के लिये उसे प्लान के कोर में रखा जाय। उस समय हमसे यह वचन लिया गया था कि ४० हजार किलोवाट बिजली हम रेलवे को देंगे। बिजली आज तैयार है और हमने रेलवे को लिख रखा है कि वे उस बिजली को जिसके लेने का वायदा उन्होंने उस समय हमसे किया था जब हमारी यह बिजली जो हम रिहन्द से पैदा करने वाले थे और जिसके विषय में हमने केन्द्रीय आयोग से मांग की थी कि उसे प्लान के कोर में रखा जाय, वे उस बिजली को अब लें। जो हमारे पास सूचना है उसमें यह बतलाया गया है कि वे कदाचित् तीन चार महीने में बिजली ले सकेंगे और इस तरह से जो बिजली हमने रिहन्द डैम के द्वारा पैदा की है उसका वितरण हम कर सकेंगे। अब इस प्रदेश में बिजली की उतनी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

भारी समस्या आने वाले महीनों में हमारे बीच में नहीं रहेगी जितनी मात्रा में अब तक बिजली की समस्या हमारे बीच में रही है। रिहन्द डैम से पैदा की हुई बिजली व हरदुआगंज योजना के अन्तर्गत पैदा की हुई बिजली से काफी मात्रा में उद्योग-धन्धे चलाने के सिलसिले में हम सहायता प्रदान कर सकेंगे। आज तो हमारी यह ख्वाहिश है कि जिन १००–१५० या २०० व्यक्तियों ने उद्योग धन्धों के सिलसिले में बिजली के लाइसेन्स के लिये पिछले साल दरख्वास्त दी थी उन व्यक्तियों को फिर आमन्त्रित किया जाय इकट्ठा किया जाय और उनको इकट्ठा करके उन्हें जहां जहां बिजली दे सकता हूं मौजूदा बिजली में से तथा आयन्दा जो बिजली तैयार करने की योजना है, उसके सिलसिले में उन्हें दावत दूं और उन्हें बतलाऊं कि इस योजना के अन्तर्गत हमारी बड़ी भारी यह चेष्टा होगी कि आज बिजली की कमी का जो विषय है, वह विषय उत्तरोत्तर हमारी नजरों से ओझल होता रहेगा और हम उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में बिजली पैदा करते जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत जैसा कि माननीय सदस्यों को भली-भांति विदित है कि हमने १०७ करोड़ रुपये से अधिक या १०८ करोड़ के करीब धनराशि बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में ४९७ करोड़ की योजना में से रखी गई है और वह इसलिए रखी गई है जिससे कि हम अधिक मात्रा में अपने यहां बिजली पैदा कर सकें। ओबरा में जलविद्युत् तथा थर्मल बिजली हम तैयार करेंगे, यद्यपि जहां तक थर्मल बिजली पैदा करने का विषय है वह हम दूसरे लोगों की सहायता से पैदा करेंगे, ऐसा समझा जा रहा है कि कदाचित् उस ढाई लाख किलोवाट बिजली को पैदा करने में समय लगेगा, क्योंकि रूसी अधिकारियों ने अभी जो पर्यवेक्षण किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि उन्हें करीब ढाई तीन साल या इस योजना के अन्त तक का समय इस बिजली को पैदा करने की व्यवस्था में लग जायगा। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कानपुर में हम आगे आने वाले महीनों में ६० हजार किलोवाट बिजली तैयार करने वाले हैं। चूंकि रूसी लोगों की मदद से बिजली बनने में अभी देर लगेगी, इसलिये केन्द्रीय आयोग ने अभी ६० हजार किलोवाट बिजली तैयार करने की इजाजत दे दी है, मेशीनरी आदि खरीदने के प्रबन्ध में हमारा बिजली बोर्ड लगा हुआ है। सदस्यों ने अनुभव किया होगा कि जो बिजली की योजनाएं यहां वर्षों से चलती रही हैं वे घाटे पर ही चलती रही हैं, लेकिन हमने इन योजनाओं को बिजली बोर्ड के सुपुर्द किया है और आशा है कि बिजली बोर्ड उत्तरोत्तर उस घाटे को कम करेगा और ५ साल के बाद जो घाटा अभी तक योजनाओं के अन्तर्गत होता रहा है उसको बिलकुल खत्म कर देगा और उसके बाद जो रुपया सरकार बिजली बोर्ड को घाटे के रूप में या मदद के रूप में दे रही है उसका देना वह बन्द कर देगी। बिजली बोर्ड ने इन दो डेढ़ वर्षों में जिस तरह से कार्य करना आरम्भ किया है उससे यह सर्वविदित हो गया है कि उत्तरोत्तर हमारा घाटा कम हुआ है और बिजली बोर्ड की बराबर यह चेष्टा है कि हमारी तमाम योजनाएं जो अभी तक घाटे पर चलती रही हैं वह आगे हमें मुनाफा दें और अगर मुनाफा न भी दें तो कम से कम नो प्राफिट नो लास बेसिस पर ही चलें। हमें आशा है कि आगे ये योजनाएं हमें मुनाफा देंगी।

रिहन्द डैम से जो ५५ हजार किलोवाट बिजली अल्म्यूनियम फैक्टरी को दी गई है जिसके विषय में सदन के समक्ष समय-समय पर आलोचनाएं हुई हैं और ४–५ साल से बराबर यह सवाल इस सदन में उठाया गया है कि सरकार ने बहुत कम कीमत पर अल्मूनियम फैक्टरी को बिजली दी है। यद्यपि सरकार की तरफ से कई बार इस बात को बतला दिया गया है कि हमने जो बिजली का रेट अल्यूनियम फैक्टरी के लिये रखा है बिजली का रेट जहां तक हमारी बिजली की कीमत का सम्बन्ध है उसके हिसाब से वह कोई घाटा देने वाला रेट नहीं है। हमने उस रेट पर बिजली देकर कुछ मुनाफा ही कमाया है और अल्यूमिनियम फैक्टरी के लिये जिस रेट को प्रादेशिक सरकार ने स्वीकार किया है वह अन्य प्रदेशों में जो अल्म्यूनियम फैक्टरीज स्थापित हुई हैं वहां से कहीं अधिक रेट हमने चार्ज किया है। हमारे पास आंकड़े हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। उड़ीसा में हीराकुंड डैम के पास जो अल्म्यूनियम फैक्टरी की स्थापना हुई है और एक फैक्ट्री केरल में लगी है। अल्म्यूनियम फैक्टरी उड़ीसा में १२० रुपये पर-किलोवाट पर-

ईयर १० साल तक उस फैक्ट्री को बिजली देने का रेट रखा गया है। जो रेट १० साल बाद १३५ रुपये पर-किलोवाट पर-ईयर हो जायगा। जो रेट केरल में रखा गया है वह इस प्रकार से है—

For the first 4,500 kW.—Rs. 70 per kW. per year.
For the next 3,000 kW.—Rs. 72-8-0 per kW. per year.
Balance up to 14,000 kW.—Rs. 75 per kW. per year.

तो ये आंकड़े बताते हैं कि जो बिजली का रेट हमने हिन्दुस्तान अल्म्यूनियम फैक्ट्री से चार्ज किया है और जो १७५ रुपये पर-किलोवाट पर-ईयर है, वह रेट इन दोनों फैक्ट्रीज से कहीं अधिक है। जो आपत्ति इस विषय में उठाई जाती है कि इस फैक्ट्री को कम कीमत पर बिजली दी गई तो इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि जो अल्म्यूनियम फैक्ट्री हमारे प्रदेश में लगी है वह हमारे आग्रह पर लगी है। केन्द्रीय सरकार के पास समय-समय पर जा कर हम शिकायत करते रहे कि इस प्रदेश में बड़े उद्योग-धन्धे नहीं लग रहे हैं। इसलिये हमारे ही आग्रह पर यह फैक्ट्री इस प्रदेश में लगाई गई। आज क्या हम यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, जब अन्य प्रदेशों में प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्री न लगने दें? और हम यदि फैक्ट्री को लगने दें तो उसके लगने की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे यह फैक्ट्री अन्य फैक्ट्रीज के मुकाबले में कम्पटीशन में ठहर ही न सके। कोई भी अल्म्यूनियम की फैक्ट्री इस प्रदेश में लगेगी तो इस विचार को सामने रखना पड़ेगा कि वह फैक्ट्री दूसरे प्रदेशों में लगी अल्म्यूनियम फैक्ट्रीज के मुकाबले में ठहर सके। यदि थोड़ी मात्रा में भी आज हम बिजली की कीमत को बढ़ा दें तो वह बहुत भारी असर डाल सकती है इस प्रदेश के अल्म्यूनियम उद्योग पर। तो कोई भी दूरदर्शी व्यक्ति ऐसी व्यवस्था अपने बीच में कायम नहीं कर सकता जिससे इस प्रदेश में उद्योग-धन्धे उठ ही न सकें। इसके अलावा अल्म्यूनियम का उद्योग इतना बड़ा उद्योग है कि छोटे-छोटे अन्य उद्योग-धन्धे हमारे प्रदेश में कायम हो सकते हैं, कितने और उद्योग-धन्धे साथ में लग सकते हैं, इस पर कोई प्रकाश डालने की जरूरत नहीं। कौन नहीं जानता जैसे स्टील के प्रोडक्शन से और उसके वितरण से विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कायम हो जाती हैं और उन क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों को विकसित कर देती हैं, उसी प्रकार से अल्म्यूनियम फैक्ट्री की स्थापना के बाद उसके द्वारा पैदा की हुई वस्तु से बहुत सी ऐलाइड इंडस्ट्रीज का जन्म हो सकता है। प्रसन्नता की बात है कि जब से बिजली पैदा होने की खबर देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली है बहुत से उद्योगपति तब से हमारे यहां उद्योग-धन्धे लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं। अभी कास्टिक सोडा फैक्ट्री को लाइसेंस मिल ही गया है। जो अल्म्यूनियम की चादरें इस फैक्ट्री में बनेंगी या और वस्तुयें बनेंगी उससे सम्बन्धित इंडस्ट्रीज को लगाने की ख्वाहिश उद्योगपति रख रहे हैं। तो एक बेसिक इंडस्ट्री के लग जाने से बहुत सी इंडस्ट्रीज हमारे बीच में कायम हो जाती हैं? तो समय और बेसमय हम इस रेट के विषय पर आपत्ति करते हैं तो वह आपत्ति उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के सिलसिले में अधिक सहायता प्रदान नहीं करती। आज तो इस बात की आवश्यकता है कि बिना किसी को अपने ऊपर घाटा उठाये हुये हमारी बिजली की मदद से दूसरे उद्योग-धन्धे आमन्त्रित किये जा सकते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिये कि हम उन उद्योग-धन्धों को आमन्त्रित करें और आमन्त्रित करके इस प्रदेश के उद्योगीकरण की दिशा में कदम बढ़ायें और वह कदम तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार से व्यापक बने कि हम संकुचित बातों को अपने बीच में फैलने न दें और एक व्यापक ढंग से उद्योगीकरण की नीति को अपनायें। इस बात को अहसास करते हुये कि अभी हमने इस देश में मिक्स्ड इकोनामी की व्यवस्था को रच रखा है। मिक्स्ड इकोनामी की

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

व्यवस्था के अन्तर्गत हम आज पब्लिक सेक्टर में बहुत सी इंडस्ट्रीज लगायेंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी इंडस्ट्रीज लगायेंगे और दोनों इंडस्ट्रीज को लगा कर उत्तर प्रदेश के उद्योगीकरण को हम बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। उत्तर प्रदेश की यही अभिलाषा और आकांक्षा है और उस आकांक्षा को रख कर वह इस बात की चेष्टा में लगा हुआ है कि बिजली अधिक मात्रा में पैदा हो और अधिक मात्रा में पैदा होकर इन उद्योग-धन्धों के लगाने में वह हमारी सहायक बने।

मैं यह भी बतला दूं कि दो तीन महीने के अन्दर रेलवे ४० हजार किलोवाट बिजली ले लेगी जिसको लेने के सिलसिले में उन्होंने पहले ही बतला रखा था कि जब रिहन्द बांध में पैदा होने वाली बिजली की स्वीकृति प्रदान हुई थी। इस तरह से हम अनुभव कर रहे हैं कि अल्म्यूनियम फैक्टरी, रेलवेज और उन उद्योग-धन्धों में जो उन क्षेत्रों में विकसित होंगे जहां ग्रिड पर यह बिजली पहुंचेगी तो इस बिजली का इस्तेमाल पूरे तौर से हमारे प्रदेश में उपयोगी कार्यों में हो सकेगा। माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी बिजली हम पैदा करें उस सारी को अगर एक ग्रिड पर लगा दें तो बिजली के रेट्स में एक सन्तुलन हो सकेगा जो कि विभिन्न स्थानों में बिजली के वितरण में आज नहीं है। इसलिये हमारी यह योजना है कि सुहावल, मऊ आदि पावर स्टेशन्स ग्रिड पर लगायें जायं और रिहन्द डैम द्वारा पैदा की हुई बिजली उन ग्रिडों पर जोड़ दी जाय और जो असन्तुलन रेट्स में है वह असन्तुलन हमारे बीच से हट जाय।

माता-टीला योजना के सिलसिले में भी मैंने यह निवेदन किया था कि उसके लिये अब विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो गई है और हम समझते हैं कि ६३ के अन्त तक या ६४ के प्रारम्भ में कदाचित् हम उस योजना से भी बिजली पैदा कर सकेंगे और बुन्देलखंड के उन क्षेत्रों को बिजली दे सकेंगे जिनकी तरफ से बराबर मांग आती रही है, जो क्षेत्र अविकसित रहा है और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ समझा जाता है। आज किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये उद्योग-धन्धों की जरूरत है और उद्योग-धन्धों के लिये बिजली आवश्यकीय है। यों तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत साढ़े सात लाख किलोवाट बिजली बनाने की हमारी योजना है, परन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा जो ओबरा के थर्मल प्लान्ट से बिजली तैयार करने की योजना है, वह तो इस योजना के कार्यकाल में शायद न हो सके, कदाचित् चौथी प्लान के प्रारम्भ में हम उससे बिजली दे सकें, परन्तु जिन दशाओं में अभी मैंने बिजली पैदा करने की चर्चा की है हमें आशा है कि यमुना योजना के अन्तर्गत और माताटीला योजना के अन्तर्गत, हरदुआगंज और कानपुर योजनाओं के अन्तर्गत हम उत्तरोत्तर अपने प्रत्येक साल के प्रयास में समर्थ होंगे और हर साल अधिक बिजली पैदा करते रहेंगे और इस तरह से योजनाओं को कार्यान्वित कर के विभिन्न क्षेत्रों की सेवा करने में अपने को समर्थ कर सकेंगे।

पहाड़ी क्षेत्रों में जहां छोटी-छोटी योजनाओं से बिजली पैदा की जा सकती है वहां भी बिजली पैदा करने का भारी प्रयास जारी है। आने वाले वर्षों में हम जितनी मात्रा में बिजली पैदा कर सकेंगे और उसके द्वारा उद्योग-धंधों को संचालित कर सकेंगे उतनी ही मात्रा में हम प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकेंगे और प्रत्येक वर्ष तरक्की का एक माइलस्टोन रखते रहेंगे।

मुझे आशा है कि जिन अनुदानों को इन विषयों से सम्बन्धित होते हुये मैंने रखा है सदन उनको अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव एक साथ रख दूं या अलग-अलग ?

श्री अध्यक्ष—श्री यादवेंद्रदत्त जी के नाम से जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनको आप एक साथ रख दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—आपकी आज्ञा से मैं निम्न कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं—

अनुदान संख्या ३३—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या ३४—विद्युत् प्रयोजना के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या ३५—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या ५०—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इससे पूर्व गतवर्ष भी उन्होंने इसी तरह का भाषण दिया था और मैं उनसे आशा करता था कि गत-वर्ष उन्होंने जो घोषणाएं की थीं उनकी पूर्ति न हो सकने के कारण क्या थे, उसके लिये जिम्मे-दार कौन व्यक्ति थे, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे।

श्रीमन्, यह सही बात है कि किसी प्रदेश की या देश की उन्नति के लिये और विशेषकर वह प्रदेश जो सारे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है उसके लिये विद्युत् शक्ति की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्रीमन्, इस सिद्धान्त को सभी ने माना है कि जब हम अपने प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने यहां विद्युत शक्ति का विकास करें। यदि हम अपने यहां कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और छोटे-छोटे लघु उद्योग-धंधों को बढ़ाना चाहते हैं और औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो सभी की यह अभिलाषा और आकांक्षा होनी चाहिये और सब लोग सहयोग से मिलकर सरकार के साथ ज्यादा से ज्यादा विद्युत् शक्ति का उत्पादन करें।

श्रीमन्, इस संबंध में एक दफा लेनिन ने कहा था कि

"Soviets and Power will make Soviet Union Great".

इन्हीं शब्दों को हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा है कि देश की पंचायतें और पावर हमारे भारतवर्ष का एक उज्ज्वल नक्शा प्रस्तुत करेंगी। श्रीमन्, यह विभाग अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है और यह बहुत अच्छा है कि इसकी देखभाल माननीय मुख्य मंत्री जी करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के पास प्लानिंग, इंडस्ट्री और पावर तीनों विभाग हैं। असल में ये तीनों विभाग एक ही मंत्री जी के पास होने चाहिये। इन तीनों विभागों का आपस में बड़ा संबंध है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की स्थापना की थी और उस कमेटी की रिपोर्ट में भी यह चर्चा थी कि तीनों विभाग एक ही मंत्री जी के पास रहें, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उन्होंने अपने पास से प्लानिंग को अलग कर दिया है। अब उनके पास केवल दो ही विकास इंडस्ट्री और पावर के रह गये हैं। मैं चाहता हूं कि इस विभाग की महत्ता को देखते हुये यह अत्यंत आवश्यक है कि पावर विभाग को एक फुल फ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर के पास रखा जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास अन्य बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्य हैं और वे अपना पूरा ध्यान इस तरफ नहीं दे सकते हैं। अगर हमें अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को हटाना है तो एक फुल फ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर के पास पावर विभाग रहना चाहिये।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, हमने प्रथम पंच वर्षीय योजना में २३६ मेगावाट बिजली पैदा की, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने १९६ मेगावट बिजली पैदा की और तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५०० मेगावट बिजली पैदा करेंगे, लेकिन हमको अपने प्रदेश में ७८५ मेगावट बिजली की आवश्यकता है। इस प्रकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद २८४ मेगावट बिजली की कमी बाकी रह जायगी।

श्रीमन्, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितना रुपया हमने दिया था वह पूरा खर्च नहीं कर पाये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह रुपया क्यों लैप्स हुआ। आपने यह कहा, श्रीमन्, कि बहुत सा रुपया हम इसलिये खर्च नहीं कर पाये कि हमको फारेन एक्सचेंज नहीं मिल सका। जब प्लान बनाते है तो पहले ही सोच लेते हैं कि इतना फारेन एक्सचेंज हमको चाहिये और इसको तय करके तब योजना बनाते हैं। श्रीमन्, आप यह देखें कि हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कितना पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी बंगाल में ९६६.५, गुजरात महाराष्ट्र में ११९५.३, मदरास में ५८२, बिहार में, जो हमारे प्रदेश की तरह से ही पिछड़ा हुआ है, ६४१.५ और हमारे उत्तर प्रदेश में ४२३ है। अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो पश्चिमी बंगाल में २९.६९, गुजरात में ५९.३४, मद्रास में ३५.९८, बिहार में ४४.९९ और उत्तर प्रदेश में ७४.२४। अगर, श्रीमन्, इसी को प्रति व्यक्ति लगाई गई क्षमता के हिसाब से देखें उत्तर प्रदेश इस मामले में भी अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी बंगाल में ३३, गुजरात तथा महाराष्ट्र में २०, बिहार में १०, और उत्तर प्रदेश में ६। इसी तरह से प्रतिशत के हिसाब से भी देखें प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष औसतन विद्युत् की खपत देखें तो उत्तर प्रदेश में वह १२ प्रतिशत है। ५०–५१ में हमारे पास टोटल इन्सटाल्ड पावर कैपेसिटी १८३.८४१ किलोवाट थी जिसका १११.८४१ किलोवाट पब्लिक सेक्टर में था और बाकी प्राइवेट सेक्टर में था। टोटल यूनिट्स जो जनरेट हुई वह ५१०.६७ किलोवाट थीं। एनर्जी जनरेटेड पर कैपिटा फार दी एडवान्स्ड स्टेट्स आफ इंडिया १९५०–५१ में इस प्रकार थी :—दिल्ली ७०.१३, मैसूर ४८.८९, बम्बई ४४.८६, बंगाल ४२.२३, पंजाब १४.०९, मद्रास ११.३० और उत्तर प्रदेश ८.०७ किलोवाट।

इस प्रकार हर तरह से जब कभी केन्द्र से हमारा एलाटमेंट हुआ तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में भी हमें कम मिला और सेकेंड फाइव ईयर प्लान में भी हमें कम एलाटमेन्ट मिला। इस सरकार ने बहुत प्रयत्न किये ज्यादा शक्ति पैदा करने के लिये इतना रुपया खर्च किया, लेकिन मेरा यह दावा है कि यह सारा रुपयी नहीं तो उसका बहुत कुछ हिस्सा हमारा अनप्रोडक्टिस खर्च हुआ। कोई रिटर्न नहीं है उसका। रिहैन्ड डैम की गड़ी बात की गई। रिहेन्ड डैम की बिजली तैयार हुई। ८० हजार रुपया प्रति रोज वहां घाटा हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रिहैन्ड डैम की बिजली अलम्यूनियम फैक्टरी ले रही है और सरकार शायद कुछ बिजली दामोदर घाटी को देने का विचार कर रही है। हमने जब रिहैन्ड डैम को बनाने की बात कही थी तो यह कहा था कि इसकी बिजली हम ट्यूबवेल्स और उद्योग-धन्धों को देंगे, लेकिन अब सरकार को यह चिन्ता हो रही है कि इस प्रदेश के उत्थान के लिये कर्ज लेकर और टैक्स लगाकर जो पावर बढ़ाया गया वह पावर वह अब दूसरे स्टेट्स को देने की बात सोच रही है। कभी पंजाब से बात होती है, कभी दामोदर घाटी से बात होती है (व्यवधान)।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह कह रहा था कि आपकी इत्तिला बिलकुल सही नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का और मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कितना प्रेम इस प्रदेश से है, कितनी इसके उद्योगीकरण के लिये शक्ति उन्होंने लगायी है और कितनी लड़ाई उसके लिये वह लड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहां से एक भी किलोवाट बिजली दूसरे प्रदेशों को वह नहीं जाने देंगे और सारी प्रदेश की जो पावर है उसे हमारी सरकार हमारे प्रदेश के उत्थान और विकास में लगायेगी।

श्रीमन्, मैं इस बीच में उनको बधाई भी दे दूं कि इस सरकार की कृपा से एक हैवी एलेक्ट्रिक कम्पनी हरिद्वार में बन रही है और एक ऐटम एनर्जी पावर स्टेशन भी बन रहा है। वह अलीगढ़ में ही बनने जा रहा है जहां के माननीय मुख्य मंत्री जी रहने वाले हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह सजग रहें; कहीं ऐसा न हो कि राजस्थान उस एटम स्टेशन को अपने यहां ले जाय। (व्यवधान)—सिकन्दराराऊ और अतरौला दोनों तहसीलों से मुख्य मंत्री का सम्बन्ध है। दोनों के बार्डर पर लगा दें तो दोनों का भला हो जायगा, क्योंकि आप वहीं पले हैं, वहीं का अन्न खाया है और आपको वहां से मुहब्बत है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ दिल्ली की सरकार की ऐसी नीति रही है कि हमारे प्रदेश को न तो भारी उद्योग-धन्धे मिले और पावर एलाटमेन्ट में भी कम से कम हिस्सा उसे दिया है।

इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यहां की गवर्नमेन्ट का एक रिप्रेजेन्टेटिव दिल्ली में बैठा रहे और दिल्ली रह कर वह पूरा प्रयत्न इस बात का करे कि वहां से जितना रुपया मिल सके और जितनी स्कीम वह लास सके वहां से लाये। अगर माननीय मुख्य मंत्री वहां किसी अपने आदमी को बैठाकर इन बातों के लिये प्रयत्न करायें तो बहुत से हमारे काम हो सकते हैं। यदि हमारे यहां से अटामिक इनर्जी स्टेशन राजस्थान चला गया तो फिर दुःख की बात होगी।

मैं यह कह रहा था कि हम इतना रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसका रिटर्न उतना नहीं मिलता जितना हम खर्च करते हैं। मुझे मालूम है कि खटीमा पावर हाउस के सम्बन्ध में जो कमेटी बैठी थी उसने उस कम्पनी के विषय में बड़ी आलोचना की थी। वह रिपोर्ट तो सामने नहीं है जहां तक मुझे पता है, लेकिन उस कम्पनी की आलोचना की गई थी। अब मेरी सूचना यह है कि उसी कम्पनी को फिर ठेका दिया गया रिहन्द का। सरकार के पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट इंजीनियर हैं। उन एक्सपर्ट इंजीनियर को पढ़ने के लिये सरकार बाहर भी भेजती है, लेकिन जब वे बाहर से अपनी ट्रेनिंग लेकर आते हैं तो उनको पी० ए० का काम दे दिया जाता है। उनको वह टैक्नीकल काम देना चाहिये जिस काम के लिये उनको बाहर विदेशों में पैसा खर्च करके भेजा गया था लेकिन हमारी सरकार उन टेक्नीकल एक्सपर्ट से काम न कराकर दूसरी कम्पनियों को ठेका दे देती है। फिर उन टेक्नीकल ट्रेनिंग प्राप्त अफसरों से प्रदेश को क्या लाभ हुआ जिसके लिये पैसा खर्च करके भेजा गया था? अभी एक मि० मिस्त्री कनाडा ट्रेनिंग के लिये भेजे गये थे। वहां से जब वह ट्रेनिंग लेकर आये तो उनको पी० ए० बना दिया गया। उनको टैक्नीकल शिक्षा की ट्रेनिंग के लिये बाहर भेजा गया था लेकिन उनसे वह काम नहीं लिया जाता है। जिस काम के लिये आपने पैसा खर्च किया और बाहर जाकर उसने अध्ययन किया उसको वह काम नहीं देते हैं। जो आदमी टैक्नीकल ट्रेनिंग लेकर बाहर से आये हैं, जिस काम के लिये उसने टेक्नीकल ट्रेनिंग ली और सरकार ने उसके लिये खर्च किया उसको वही काम दीजिये। इस प्रकार से न करने से मालूम होता है कि इस विभाग में सरकार की नीति गलत है। मैं समझता हूं कि सरकार की यह भी गलत नीति है कि जो योग्य आदमी हैं उनको आप परमोशन नहीं देते हैं। ऐसी क्या विशेष परिस्थिति आ गई? ऐसी क्या जरूरत आ गई कि मि० भसीन को एक्सटेन्शन दिया गया? क्या उनसे ज्यादा योग्य आदमी उस विभाग में नहीं थे? क्या उनके नीचे ऐसे योग्य आदमी नहीं थे जिनको प्रोमोशन दिया जा सकता या एक्सटेन्शन दिया जा सकता? एक इंजीनियर ने तो माननीय मुख्य मंत्री

[श्री नेकराम शर्मा]

जी को लिखकर दिया है। ऐसे लोग श्री एस० एन० सिंह और बी० एन० सिंह० थे जिनको रिटायर कर दिया गया और दूसरे आदमी को एक्सटैन्शन देकर उस जगह बिठाया गया। जो उस जगह पर सही काम कर सकते थे और अच्छा काम कर सकते थे उनको मौका नहीं मिला। जिनके बारे में शिकायत होती है उनको रिटायर के बजाय एक्सटेन्शन दिया जाता है और उनको ही तरक्की और प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन जितनी भी शिकायतें आती हैं वह सारी शिकायत के० डब्लू० एफ० हो जाती है। श्रीमन्, के० डब्लू० एफ० का मतलब यह है कि कीप विद फाइल। इस प्रकार से मेरी सूचना है कि जितनी भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं उनको के० डब्लू० एफ० करके खत्म कर दिया जाता है। इसी के साथ मेरी सूचना यह है कि भसीन साहब के सुपुत्र हैं जो इन्श्योरेन्स के एजेन्ट है और जितना भी बाहर से सामान खरीदती लेती है उनके ही द्वारा बीमा होता है। सरकार क्यों नहीं अलग से बीमे का प्रबन्ध करती? क्यों इस तरह से बीमा कराती है? इस तरह से सरकार को खर्चा बरदाश्त नहीं करना चाहिये। जो कम्पनी सामान मंगाती है वही बीमे का खर्च सहन करें। इंजीनियर्स का एनुअल कान्फ्रेन्स होती है, लेकिन उनके फैसले को इम्पलीमेंट नहीं किया जाता है। इस तरह से जो खर्चा होता है उसका लाभ नहीं उठाया जाता है। हजारों रुपया इन एनुअल कान्फ्रेन्स में खर्च हो जाता है। आफिसर्स की संख्या भी बढ़ गई। पहले ५ थे गजटेड आफिसर, लेकिन आज ५५ है। यह कहा जायगा कि काम बढ़ने से इनकी संख्या को बढ़ा दिया, लेकिन छोटे कर्मचारियों को तो नहीं बढ़ाया गया। रिहैन्ड डैम का काम हो रहा है तो उसका दफ्तर है। यदि इस दफ्तर को बिजली बोर्ड के साथ मिला दिया जायं, तो यह खर्चा जो हो रहा है यह बच जायेगा। मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी इस दिशा की ओर अपना कदम उठायें। किस प्रकार व्यर्थ खर्चा होता है, एक उदाहरण देकर आपको बतलाऊं कि एक ट्रान्सफार्मर खरीदा गया और १ करोड़ से ज्यादा का कापर वायर खरीदा गया इस विभाग के द्वारा, लेकिन वह अभी तक बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ है। मेरी सूचना यह है कि १० साल तक १ करोड़ रुपये का कापर वायर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वह अनयुज्ड पड़ा हुआ है। ए० सी० का कंडेक्टर १९५६ में खरीदा गया और १९५६ में उसी तरह का फिर खरीदा गया ३३,५१० रुपयों का और उसके बाद १९५८ की जुलाई में फिर दूसरा उसी तरह का खरीदा गया ६ लाख ८१ हजार का और फिर ७३ हजार का तीसरा खरीदा जाता है। एक प्लान्ट, एक कंडक्टर और उसे तीन-तीन बार खरीदा जाता है और फिर भी वह बेकार पड़ा रहता है।

और सुनिये, श्रीमन्! एक ट्रान्सफारमर खरीदा गया १९५५ में ४१,७१९ रुपयों का, और जहां के लिये वह खरीदा गया था वहां सोचा गया कि नहीं लग सकेगा तो उसे दूसरी जगह भेजा गया और दूसरी जगह भेजने में उस पर खर्च हुए २३ हजार रुपये, लेकिन वह बाद में वहां पर भी उपयोगी नहीं साबित हो सका, उसे तीसरी जगह भेजा गया और फिर उस पर ८,३५१ रुपया खर्चा हुआ। इस प्रकार कुल ४१ हजार का ट्रान्सफार्मर, लेकिन उसके आने जाने में एक जगह से दूसरी जगह में खर्च हुए ३१, ३५१ रुपये और मेरी सूचना है कि अभी भी वह इस्तेमाल नहीं हुआ है। श्रीमन्, बहुत सा सामान आया हुआ है और बेकार पड़ा है। श्रीमन्, मैं मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा कहूंगा कि इसकी वे एक कमेटी बना कर जांच करें कि इस विभाग में कितना सामान बेकार पड़ा है जिसका कोई उपयोग नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मुख्य मंत्री में बड़ी संगठन शक्ति है, आप चाहें तो राजा को रंक बना दें, चाहें तो रंक को राजा बना दें। मैं यह भी जानता हूं कि आप जिस विभाग के पीछे पड़ जायंगें वह ठीक हो जायगा। इसलिये इसको जांच होनी चाहिये कि इस विभाग में कितना परचेज हुआ है, कितना सामान बिना प्रयोग पड़ा हुआ है आदि। इन सब बातों की जांच होनी चाहिये। जिन कम्पनियों के खिलाफ रिपोर्ट है उनको ही ठेके दे दिये जाते हैं वे बंद हो। आपके इंजीनियर्स लम्बी चौड़ी तनख्वाह पाते हैं, बहुत से अफसर हैं, आप उनसे काम लीजिये और ठेकेदारों को समाप्त करिये।

श्रीमन्, पब्लिक सेक्टर में यह हो रहा है और दूसरी तरफ देखें, आप के प्राइवेट सेक्टर में क्या हालत है।

श्री अध्यक्ष––माननीय हरगोविन्दसिंह जी, आप कृपा कर बैठ जायं ।

श्री नेकराम शर्मा––श्रीमन्, प्राइवेट सेक्टर में अनारकी मची हुई है । मार्टिन बर्न कम्पनी के खिलाफ केसेज चले, लेकिन सरकार ने उन्हें वापस ले लिया । मैं जानना चाहता हूं कि वे केसेज क्यों वापस ले लिये गये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों उस कम्पनी को कर्ज दिया गया और इस मार्टिन बर्न कंपनी की जो हालत है, श्रीमन्, उसे सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं । वह सरकार के किसी आर्डर की परवाह नहीं करती । तब भी सरकार उसके प्रति सहानुभूति क्यों रखती है और क्यों उसके खिलाफ सारे केसेज वापस ले लिये गये ? आप दारुलशफा में रहे होंगे, आपने देखा होगा कि रात में वोल्टेज इतना गिर जाता है कि आप रेडियो नहीं सुन सकते । मैं कहना चाहता हूं कि जो कंजम्पशन है हम यदि उसमें इकानामी ड्राइव करें तो अपनी ३० से ३५ फीसदी पावर सेव कर सकते हैं और उसे इंडस्ट्री में लगा सकते हैं । आप लाइसेंस देते हैं, लेकिन जो माल सप्लाई करते हैं उनको लाइसेंस क्यों नहीं देते ? मेरी सूचना है कि वायरमैन बिना लाइसेंस के काम करते हैं । जब पकड़े जाते हैं तो इंस्पेक्टर उनको प्रासीक्यूशन के लिये भेजता है, लेकिन सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि उसे लाइसेंस दे दो, केस हटाओ । श्रीमन्, आप किसी आफिस में चले जाइये, देखने को मिलेगा कि लाइट खुली हुई है, पंखे चल रहे हैं, चाहे कर्मचारी बैठे हों अथवा नहीं । श्रीमन्, बाजार में ५,१०,१५, २५ के बल्ब मिलते ही नहीं । श्रीमन्, कड़ा वोल्टेज व्यर्थ में खर्च होता है । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अगर आपने कांस्टीटूयूट किया है तो उसको आप पूरी शक्ति दीजिये, पावर (ए) डिपार्टमेन्ट को एबालिश कीजिये कि सीनियर आफिसर्स को एबालिश कीजिये और चीफ इंजीनियर हाइडेल को मर्ज कीजिये और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मर्ज कीजिए । रिहंड डैम को बोर्ड से आपने क्यों अलग किया है ? इसको रूल्स बनाने की कि कितना हमारा प्रोडक्शन है, कितना कंम्प्जशन होगा शक्ति होनी चाहिये और सारी व्यवस्था उसके पास होनी चाहिये । श्रीमन्, कितना कार्य का डुप्लीकेशन होता है ? चीफ इंजीनियर महोदय हाइडिल एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बर हैं । वही चीफ इंजीनीयर के नाते एक नोट एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को भेजते हैं ; वही उसको खुद ही मंजूर कर लेते हैं और खुद ही लिख देते हैं कि यह शेक्शन हो गया है । कोई आवश्यकता नहीं है । आप एकोनामी चाहते हैं; आप अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं ; आपदिल से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो; आप यह भी चाहते हैं कि खेती की तरक्की हो जाय ; नलकूपों को बिजली मिले । हमारी सरकार चाहती है कि खेती सेल्फ सफीशियेंट हो जाय, लेकिन किया क्या जाता है ? हर बात के लिये आपका रास्टर लगा हुआ है कि इस वक्त से इस वक्त तक बिजली ली जा सकती है ; उधर खेत सूखे जाते हैं; आपने यह रास्टर लगा रखा है कि १० बजे से ५ बजे तक आटा पिसवाइये । आपके बाबू लोग १० से ५ तक दफ्तर में रहते हैं ; कैसे आटा पिसवायेंगे ? तो आप इन रेस्ट्रक्शन को बन्द करिये । मैं यह भी निवेदन करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो पावर्स आपने दे रखी हैं कि वे बिजली के लाइसेन्स दें । वह सारी पावर्स आप एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दीजिये और यह भी देखिये कि कितनी इरीगेशन में, कितनी उद्योग में बिजली की हर जिले में आवश्यकता है । हमारी प्रार्थना यह है कि आप ग्रिड सिस्टम को भी तोड़ दीजिये । जब आपके पास एनर्जी बहुत काफी है तो फिर ग्रिड किस लिये? आप पावर मांगते रहिये, लेकिन पावर का कनेक्शन नहीं मिलता । १०७ करोड़ की आपकी योजना है और ५ सौ मेगावट बिजली आप बनाने वाले हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में और आपका विचार है कि १५ सौ विलेजेज को आप एलेक्ट्रिफाई करेंगे । सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में आपने कितने गांवों को एलेक्ट्रिफाई किया ? १,२७० गांवों को । अब १५ सौ की घोषणा है । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय नेहरू जी ने कहा था कि आफिसरों की

[श्री नेकराम शर्मा]

रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर दीजिये कि इतने वर्ष की योजना है और उसमें इसको पूरा कीजिये और जो असफल रहे उसको आप बड़ी से बड़ी सजा दीजिये । होता क्या है ? माननीय लाल साहब को आपने चेयरमैन बना दिया है वह दो साल में रिटायर हो जायेंगे या ट्रांसफर अतः पूर्णकार्य हो जाने तक जिम्मेदारी दें, वरना कोई बात हो गई तो कोई ऐक्शन हो नहीं सकता । जब तक प्लानिंग एकनामी न हो और आपके आफिसर्स काम के लिये रिस्पांसिबिल न हों तब तक आप कोई रिजल्ट नहीं पा सकते । आज चेयरमैन एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं कल वह एजूकेशन सेक्रेटरी होगा और परसों वह कमिश्नर ट्रांसपोर्ट बन जायगा । तो वह समझता है कि हमें कितने दिन रहना है । किसी योजना की सफलता के लिये किस बात की आवश्यकता है । मैंने, श्रीमन्, जापान में देखा है । वहां यूकैन फार्म में गेहूं कटने वाला था ।

(इस समय १ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए ।)

वहां खबर आई थी कि फसल काटने के लिये कितने आदमियों की जरूरत है तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि फसल काटने का प्रबन्ध हम स्वयं कर लेंगे । वहां पर यह प्रथा है कि विद्यार्थियों को फसल काटने के लिये भी भेजा जाता है । वहां पर विद्यार्थियों से बहुत से काम लिये जाते हैं । जैसा मैंने बतलाया, वहां से यह उत्तर आया कि हम अपना इन्तजाम कर लेंगे और आदमियों की जरूरत नहीं है, लेकिन वे कटाई के काम में असफल रहे, जिसके कारण सबको बड़ी भयंकर सजा मिली । आप भी ऐसा कीजिये कि हर एक आफिसर का अपना यहां सर्विस रोल रखिये । उसमें यह लिखिये कि इस आफिसर ने इतने दिनों तक यह काम किया और वह काम कैसा रहा और इनकी विशेषता क्या है । मैं जानता हूं कि हमारे यहां बहुत से इंजीनियर अच्छे एक्सपर्ट हैं । हम यह भी जानते हैं कि माताटीला डाम में काम करते हुये एक इंजीनियर के प्राण तक चले गये, लेकिन आज तक उसका नाम नहीं लिया गया । वह बहुत ही यंग इंजीनियर था । मैं यही चाहता हूं कि जो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं उनसे काम लिया जाय और विदेशी कम्पनियों और ठेकेदारों को काम न दिये जायं । आपकी सारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब कि आप इन एक्सपर्ट्स से स्वयं काम लेंगे । आप ईमानदारी से चाहते हैं कि हमारी योजनाएं सफल हों । जितना हमको प्रदेश का खयाल है उससे ज्यादा खयाल तो आप को भी है । आप सच्चे हृदय से चाहते हों कि प्रदेश की तरक्की हो । लोग आप से बहुत बड़ी आशा रखते हैं । आपने शुरू से ही उद्योगीकरण की लहर अपने प्रदेश में फैलायी है. आपने कई कमेटियां भी इस काम के लिये बैठायी हैं, लेकिन उनकी सिफारिशों पर काम नहीं किया गया है । मैं कहता हूं कि बिरला आप से बिजली मांगता है तो आप उसको बिजली दीजिये । प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल करने के लिये जितना पहले आपने उनको बिजली देने को लिखे कहा था उतनी वह नहीं ले रहे हैं । मैं आप से यह पूछता हूं कि क्या आपने कभी इस बात का सर्वे कराया है कि आपको हैवी इंडस्ट्रीज के लिये कितनी पावर की जरूरत है और छोटी इंडस्ट्री के लिये कितनी पावर की जरूरत है । कई कमेटियों की रिपोर्ट्स आप के पास हैं जिनमें क्या यह कहा गया है कि हमको इतनी हैवी इंडस्ट्रीज चाहिये और उनके लिये इतनी पावर भी चाहिये । इतनी छोटी इंडस्ट्रीज के लिये पावर चाहिये । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप गृह उद्योगीकरण करना चाहते हैं तो जापान का तरीका अपनायें । जापान में यह है कि गांव-गांव में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज के लिये पावर दी गयी है जिसको काटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, लेकिन वहां पर काटेज इंडस्ट्रीज के माने यह नहीं हैं कि हाथ से काम किया जाय । सरकार १५०० गांवों को बिजली देना चाहती है । मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़ा सा कन्ट्रीब्यूशन भी कीजिये । मैं अपने गांव की ओर कंट्रीब्यूशन देने के लिये तैयार हूं । मैं चाहता हूं कि किसान को जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं उसको वहां ही प्राप्त हो जाय । हमारे यहां ग्लास बीड्स बनते हैं । अगर आप उनको प्रोत्साहन दें तो वह इंडस्ट्रीज और ज्यादा पैमाने पर चल सकती है । वहां के लोग तो बिजली के लिये खर्चा तक देने को

लिये तैयार हैं। अगर आप बिजली दे दें तो यह काटेज इंडस्ट्री और बढ़ सकती है। आपकी लघुगृह उद्योग योजनायें असफल रही हैं। आप लोगों को काटेज इंडस्ट्री के लिये सब से पहले बिजली दीजिये। स्थानीय उद्योग को अवश्य बढ़ाया जाय। पहल हमार यहां से कितना अधिक माल हैन्डीक्राफ्ट का बाहर जाता था लेकिन अब उसका जाना काफी बन्द हो गया है। अगर आप लोगों को बिजली देंगे तो सामान सस्ते दाम पर बनेगा और बाहर भी जा सकेगा।

हमारे यहां सबसे बड़ा प्राब्लम यह है कि ७४ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर रहते हैं और मजदूरी भी करते हैं। पांच योजनाओं के बाद अगर दो बटा तीन आदमी इसी काम पर लगे रहे तो ८०, ९० मिलियन लेबर हो जायगा और अगर आपने औद्योगीकरण नहीं किया तो इन लोगों का क्या होगा ? बेकारों की समस्या आपको ले बैठेगी। आज यह रिपोर्ट है कि क्राइम्स करने वालों की संख्या कम होती जा रही है लेकिन बेकार नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिलती है वह इनकी तरफ झुकता है। अगर आप यह व्यवस्था नहीं कर पाये तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो ८०, ९० मिलियन बेकार होगा उसका क्या हाल होगा।

(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे कुछ समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप आधा घंटा तो बोल चुके हैं। अब ५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री नेकराम शर्मा—तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके साथ हमने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है और हमको भी प्रदेश से उतना ही प्रेम है जितना कि आपको। उससे कम प्रेम हमको नहीं है। आपने कहा कि इकोनामी होगी, फिजूल खर्ची रोकी जायगी आदि, आदि बातें कही गयीं, मगर हुआ क्या ? कौन-सी इकोनामी करके दिखाई गयी ? फिजल-खर्ची वही है, भ्रष्टाचार वही है। जितने ट्यूबवैल्स आपने बनाये सब अन-इकोनामिक हो गये। आपने कहा कि सिवेश्वर कमेटी को हम दिखायेंगे, वह भी नहीं किया। तो इन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना होगा और यदि इन सब चीजों को आपने किया तो आपका नाम इतिहास लेखक स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे नहीं तो यही कहा जायगा कि प्रदेश का गुप्त मंत्रि मंडल भी इन कामों को नहीं कर पाया।

अंत में, श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि आप टूर्स बन्द कराइये। जो टूर पर जायें उनका एक स्टेटमेंट लीजिये और यह पूछिये कि आपके टूर का क्या उद्देश्य था, और क्या काम आपने किया ?

इसके अलावा जो लोग डर की वजह से शिकायत करते वक्त अपना नाम नहीं लिखते, उनकी शिकायतों पर भी आपको उचित कार्यवाही करनी चाहिये और उसकी जांच करनी चाहिये। आज उनको के० डब्लू० कवर में डाल दिया जाता है या फेंक दिया जाता है उस पर गौर होना चाहिये। इसके अलावा जो माननीय सदस्य आदि भी शिकायत करते हैं तो उनको यह लिख दिया जाता है कि आपका पत्र उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया। लेकिन कुछ होता नहीं। उस पर और न ही बाद को कोई सूचना दी जाती है। पंत जी कहा करते थे कि अगर कोई माननीय सदस्य का पत्र आये तो उसका उत्तर माननीय मंत्री जी को स्वयं देना चाहिये। लेकिन होता कुछ नहीं।

एक बात और। जहां इलेक्ट्रिसिटी आफिस खुला है उसमें जो ३/४ शेड बने हैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। मैं नहीं समझता कि उसमें गर्मी के दिनों में कर्मचारी कैसे काम कर पायेंगे। फिर उसका सारा खर्चा, श्रीमन्, यमुना प्रोजेक्ट में क्यों डाल दिया गया ?

[श्री नेकराम शर्मा]

जब से माननीय मुख्य मंत्री जी पहाड़ी हो गये तब से रुपया पहाड़ों की तरफ जा रहा है पहले पंत जी थे, अब आप उनकी जगह पर हो गये और मैदान को छोड़ कर पहाड़ी हो गये मैं कहता हूं कि आज कितना रुपया आप पहाड़ों की तरफ ले जा रहे हैं, उसका ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है । वहां पर सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, उनका कितने लोग इस्तेमाल करते हैं ? आप डेवलपमेंट करिये, मगर उसका बहुत कुछ हिस्सा प्लेन्स में भी लगाइये ताकि जनता उसका साल भर लाभ उठा सके ।

माननीय खेर साहब ने यह कहा था कि आपको एक स्टैन्डर्ड गुड्स ऐक्ट बनाना चाहिये आज सेलर्स का मार्केट है और बायर्स का मार्केट नहीं है । उन्होंने कहा था कि व्यर्थ की बिजली जलती है, क्योंकि कम पावर के बल्ब मिलते नहीं हैं । अगर छोटे पावर के बल्ब मिलें तो पावर बचे और उसको दूसरे काम में इस्तेमाल किया जाय । आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें, श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कुछ नान-आफिशियल्स जरूर रखें जोकि आपकी योजनाओं से संबंधित हैं जिससे जनता की मांगें और कठिनाइयां आपके सामने आ सकें ।

अब तो समय नहीं है, जब रिप्लाई में आप १० मिनट का समय देंगे तो कुछ कहूंगा । अब मैं केवल यही कहूंगा कि खाली यह कहने से कि हम पावर पैदा नहीं कर पाये, फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता, इससे काम नहीं चलेगा । माताटीला में ३ करोड़ की जगह ११ करोड़ बजट हो गया और पावर अब तक नहीं पैदा हो पाई । क्या सरकार मेज पर दिल्ली सरकार की कारेस्पांडेंस को रखेगी । मेरी इत्तला है कि इस संबंध में आफिसर्स गड़बड़ कर रहे हैं । अगर आप प्लानिंग को ठीक तरह से चलायें और सही स्कीम इस प्रदेश में लायें तो प्रदेश और देश का भला होगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं ।

[कटौती के प्रस्ताव, जो उपस्थित किये हुए माने गए, उन के हेतु देखिये नत्थी के आगे पृष्ठ ८२३–८२५ पर ।]

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये आदरणीय नेकराम शर्मा ने जोर दिया कि प्रति व्यक्ति विद्युत की क्षमता बहुत कम है । इसको स्वीकार करते हुए सरकार से सुझाव है कि प्रदेश में जो विद्युत योजनायें हैं वह जल्दी से जल्दी पूरी की जायं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में रिहन्द विद्युत योजना सरकार ने पूरी की, जिसके लिये मैं विशेष तौर से सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---२ बजे से पहले उसकी कोई जरूरत नहीं होती, यह सदन का फैसला है ।

श्री कृष्णानन्द राय---मैं यह निवेदन कर रहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बावजूद अनेक कठिनाइयों के रिहन्द विद्युत् योजना पूरी की गयी, मैं उसके लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं । रिहन्द बांध योजना का उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपद के लिये बहुत महत्व है । जब योजना बन रही थी तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि रिहन्द योजना के पूरी हो जाने के बाद पूर्वी जनपदों में सस्ती और पूरी बिजली उपलब्ध होगी, लेकिन इस समय जो विद्युत् वितरण की योजना घोषित की गयी है उससे वहां कुछ भ्रम सा फैल गया है । पता चला है कि रिहन्द में जो विद्युत् तैयार होगी उसमें से १० प्रतिशत मध्यप्रदेश को, ६० प्रतिशत बड़े उद्योगों को, १५ प्रतिशत मध्यम उद्योगों को और ६ प्रतिशत नगरों और गांवों में विद्युतीकरण के लिये दी जायगी । पूरब में नये उद्योग नहीं के बराबर हैं तो १५ प्रतिशत मध्यम उद्योगों के लिये और ६ प्रतिशत नगरों के विद्युतीकरण के लिये वितरण होगा । वही उनके पल्ले पड़ने जा रहा है । इसी कारण से रिहन्द विद्युत् योजना बनने के बाद तीसरी योजना में विद्युत् प्रसार की जो योजना है वह इस पुस्तिका में है । गाजीपुर में कोयल दो नगरों में, जमानियां और दिलदारनगर में विद्युतीकरण करने को कह रहे हैं और इसी पीरियड में मेरठ में २५ नगरों में और मुजफ्फरनगर में २१ नगरों में बिजली लगाने की व्यवस्था है । लेकिन जिस क्षेत्र से रिहन्द की लाइन गाजीपुर जनपद में गई है उसमें १२–१२, १५–

१६ हजार की आबादी के गांव हैं जो कि रास्ते में पड़ते हैं। इतने बड़े गांव कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन केवल दो नगर ही दिलदार नगर और जमनिया में विद्युतीकरण की योजना रखी गई है। जहां तक बड़े उद्योग का सवाल है, इलाहाबाद, वाराणसी और कई जगहों के नाम रखे हैं लेकिन गाजीपुर में एक क्षारोदक का कारखाना है, उसका नाम नहीं रखा गया है। पता नहीं उसको बिजली मिलेगी या नहीं। वहां पर क्षारोदक का निर्माण कुछ महंगा पड़ता है बिजली की वजह से और कभी-कभी भारतीय सरकार सोचती है कि जबलपुर में उसको भेज दिया जाय। चूंकि रिहन्द की बिजली इतनी नजदीक है इसलिये हमें विश्वास है कि बनारस गाजीपुर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जायगा।

जहां तक रेट का संबंध है कि मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की स्पष्ट घोषणा करते कि रिहन्द के क्षेत्र में करीब-करीब समान रेट पर बिजली उपलब्ध होगी। इस समय वहां पर घबराहट है कि रिहन्द की बिजली एक तरफ तो ५ नये पैसे पर एक बड़े कारखाने को दी जा रही है और दूसरी तरफ मऊ से जो बिजली दी जाती है वह तीन आना प्रति यूनिट के हिसाब पर दी जाती है और जो निजी कम्पनियां उस क्षेत्र में चल रही हैं उसमें ९ आना प्रति यूनिट चल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि रिहन्द की बिजली का जब पूर्ण-रूप से विस्तार हो जायगा तो रेट में कुछ समानता जरूर आयेगी। लेकिन अच्छा होता कि सरकार इस बात की स्पष्ट घोषणा करती कि जब रिहन्द की बिजली का वास्तविक रूप में जनपदों में प्रसार हो जायगा तो सस्ते रेट पर चारों तरफ दी जायगी।

वितरण के संबंध में भी लोगों को भ्रम है। चूंकि उस क्षेत्र के लोगों के पास पूंजी कम है, दो एक साल में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकते, लिहाजा सरकार इस बात का ऐलान करते हुये कि लोग जितनी बिजली मांगेंगे उतनी दी जायगी, बिजली का विस्तार दूसरी तरफ करेगी। नतीजा यह निकलेगा कि उस क्षेत्र के लोगों को बिजली से जितना लाभान्वित होना चाहिये वह नहीं हो पायेगा। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि बिजली के पीछे उद्योग चलते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्य मंत्री जी के अधीन ही बिजली और उद्योग दोनों विभाग हैं। वह कुछ ऐसी व्यवस्था करते कि रिहन्द क्षेत्र में जो सस्ती बिजली का विस्तार हो रहा है वहां पर साथ ही साथ उद्योगों का भी विस्तार करते चलते जिससे उस बिजली की उसमें खपत हो सकती और इन क्षेत्रों का वास्तविक विकास हो सकता। इन शब्दों के साथ मुझे पूर्ण आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में छिबरामऊ और ओबरा के प्लान्ट तैयार हो जायेंगे और उसके बाद इस प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रह जायगी। अन्त में मैं इन अनुदानों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, माननीय शर्माजी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके और अपने प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात इस संबंध में यह कहनी है कि सरकार के पास विद्युत् की कोई नीति नहीं है। सरकार अब तक अपने कार्य-कलापों से जो पहली, दूसरी और तीसरी योजना का प्रारूप सामने है उनके सामने कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कभी वे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं और कभी पब्लिक सेक्टर की योजनायें बनाते हैं। नतीजा यह है कि दोनों घोड़ों पर सरकार चल रही है, यद्यपि यह कहा जाता है कि घोड़े की सवारी पर चलना और रास्ते में घोड़ा बदलना खतरे से खाली नहीं होता। सरकार कहती है कि रिहन्द से गांव-गांव को बिजली देंगे और फिर कहती है कि मार्टिन बर्न और झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई से पावर दिलायेंगे। सरकार अगर चाहती है कि लोगों को बिजली सस्ती मिले तो उसको प्राइवेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये लेकिन वे कहते हैं कि हम उनको चलाने के लिये कर्जा दे रहे हैं। इस प्रकार से सरकार की बिजली नीति में अराजकता है।

[श्री उग्रसेन]

मैं तो आशा करता था कि माननीय शांति प्रपन्न जी इस अनुदान को पेश करेंगे, वे कुछ ज्यादा बता पाते, लेकिन उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया । वे तो भावना में बह जाते हैं और ५ मिनट की बात को १ घंटे में कहते हैं । सरकार ने अभी तक प्रदेश की जनता को अपनी बिजली योजनाओं से कितना लाभान्वित किया है, यह तो सरकार की ओर से जो पुस्तिका बांटी गयी है उससे ही ज्ञात हो जाता है । उसके शब्द इस प्रकार हैं—

"इन परियोजनाओं में से केवल रिहन्द बांध परियोजना ही कुछ आगे बढ़ सकी । अन्य सभी परियोजनायें किसी न किसी कारण से बन्द करनी पड़ीं । यमुना जल-विद्युत परियोजना में प्रगति न होने का कारण यह था कि राज्य सरकार को सुझाव दिया गया कि पंजाब सरकार कोंच में बांध बनाने का विचार कर रही थी और अगर यह बांध बन गया तो उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये यमुना जल विद्युत् परियोजना (प्रथम चरण) का एक बिजली घर पानी में डूब जाता । अभी हाल ही में राज्य सरकार को सूचना दी गयी कि कोंच बांध परियोजना का निर्माण संभव नहीं है । अतः यमुना जल विद्युत् परियोजना (प्रथम चरण) का कार्य शुरू किया जा सकता है । माताटीला जलविद्युत परियोजना का कार्य विदेशी मुद्रा के न मिलने के कारण पीछे रह गया । काफी समय बीत जाने के बाद अब हाल में ही राज्य सरकार को बिजली घर के लिये टेंडर मांगने की अनुमति मिली है । हरदुआगंज विस्तार परियोजना (प्रथम चरण) का कार्य इसलिये आगे न बढ़ सका कि भारत सरकार ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि दूसरी योजना के स्थगित भुगतान के आधार पर भुगतान नहीं किया जा सकता था, हालांकि माल भेजने वालों से स्थगित भुगतान के आधार पर फैसला किया जा चुका था । अब भारत सरकार ने यह प्रतिबंध उठा लिया है । इन्हीं सब कठिनाइयों और देरी के कारण गंगा ग्रिड वाले तमाम इलाके में, जिसमें पूरा मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिजली की बहुत कमी रही है । वर्तमान मांग की पूर्ति के लिये बिजली घर खड़े गई और नई मांग की पूर्ति जो लगभग ढाई लाख किलोवाट है, सरकार के लिये पूरा करना कठिन हो गया है । इस परिस्थिति से न तो नये उद्योग-धन्धे स्थापित किये जा सके और न चालू उद्योगों का विकास किया जा सका ।"

यह है सरकार की पंचवर्षीय योजना में माननीय मन्त्री जी की बिजली नीति । यह सही है कि हिन्दुस्तान में ही पावर की बहुत कमी है और यह बिलकुल सार्वभौम सिद्धान्त है कि यदि आप प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत आप को बढ़ानी होगी । हमारे तीन बातों की कमी है । प्रति व्यक्ति आमदनी कम है, प्रति व्यक्ति पावर की कमी है तथा जन-साधारण के पास राजसत्ता की भी कमी है यानी राज्य का प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस नहीं करता कि वह राज्य कर रहा है । यह सभी जानते हैं कि शहरों में जो बिजली दी जा रही है वह कितनी महंगी है और किसको मिलती है इसके बारे में मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं ।

सरकार ने बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में वे ५०० गांवों को बिजली देंगे लेकिन वे ढाई सौ गांवों को ही बिजली दे पाये । इसके बारे में माडर्न रिव्यू में जो आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार अमेरिका में एक आदमी की आमदनी प्रतिवर्ष १,८५७ डालर है और उसको १८ टन कोयले के बराबर प्रति व्यक्ति पावर की आवश्यकता होती है । बर्मा एक छोटा-सा देश है । उसमें प्रति व्यक्ति आमदनी ३८ डालर है और १.५८ टन कोयले के बराबर उसकी पावर मिलती है लेकिन भारत में प्रति आमदनी ५७ डालर है लेकिन .२५ टन कोयले के बराबर ही यह सरकार पावर की व्यवस्था कर पाई है । जिस तरह से प्रति व्यक्ति आमदनी की बात है, उसी तरह से पावर के बारे में भी हिन्दुस्तान सबसे पिछड़ा हुआ देश है । माननीय मुख्य मन्त्री ने अनुदान को पेश करते हुये अपनी योजना की बड़ी गाथा गाई लेकिन उस योजना में हुआ क्या ? केरल के बराबर भी हम अपने प्रदेश को बिजली नहीं दे रहे हैं । बिजली की उत्पादन की क्षमता हमारी पश्चिमी बंगाल के बराबर है लेकिन हमारे यहां के

रिहन्द डैम के पावर की कहानी एक बड़ी ही दर्दनाक है। बड़े-बड़े संघर्ष इस सदन में रिहन्द डैम के मसले पर हो चुके हैं और रिहन्द डैम से बिजली के पैदा करने में और रिहन्द डैम में जितना भ्रष्टाचार सरकार की ओर से किया गया है, वह तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है तथा रिहन्द डैम की बिजली उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात की एक अमर कहानी है।

मैं माननीय मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पहले रिहन्द डैम २५ करोड़ रुपये में ही बनने वाला था लेकिन आगे चलकर "जसजस सुरसा बदन बढ़ावा, तास द्विगुण कपि रूप दिखावा" वाली बात चरितार्थ हो गई। यह योजना बढ़ते-बढ़ते ३९ करोड़ की हुई और फिर ४५ करोड़ ३९ लाख रुपये की हो गई। वहां एक नक्शा टांगा गया था जिसको मैंने स्वयं जाकर देखा.....

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—पहले ही यह ४६ करोड़ की योजना थी, २५ करोड़ की नहीं थी जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री उग्रसेन—मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि पहले २५ करोड़ की योजना शुरू हुई मगर अब बढ़ते-बढ़ते यह ४५ करोड़ ३९ लाख रुपये की हो गई। वहां जो नक्शा टांगा गया है उसको मैंने स्वयं जाकर देखा है, कमेटी के सिलसिले में जाकर देखा है और उस समय यह कहा गया था कि पूरब के १६ जिलों को रिहन्द डैम से बिजली मिलेगी। केन्द्रीय सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिये ५ करोड़ रुपये की स्वीकृति इसके लिये प्रदान की थी। लेकिन वह बिजली बिड़ला को दे दी गई जिसका नतीजा यह हुआ कि पूर्वी जिलों को बिजली न देने की वजह से केन्द्रीय अनुदान जो ५ करोड़ रुपये का ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिये मिलने वाला था वह इस सरकार को नहीं मिल सका और वह लैप्स हो गया। सरकार को चाहिये था कि जिस समय केन्द्र ने ५ करोड़ रुपये अनुदान देने को कहा था उसी वक्त वह ट्रांसमिशन लाइन लगा देती। लेकिन सरकार ने यह नहीं किया जिसकी वजह से पूर्वी जिलों का बड़ा नुकसान हुआ। चूंकि सरकार १६ पूर्वी जिलों की ढाई करोड़ जनता को भूखा रखना चाहती है इसीलिये उसने ट्रांसमिशन लाइन को लगाना आवश्यक नहीं समझा। लेकिन आज सरकार मऊ और गोरखपुर को रिहन्द डैम से बिजली के लिये पैसा खर्च कर रही है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि बिड़ला को अल्मुनियम फैक्ट्री लगाने के लिये सस्ती बिजली दी गई है। मैं पूछता हूं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? बिड़ला को तो सस्ते रेट पर बिजली दी जाय और वहीं पर उत्तर प्रदेश की जनता को ४० नये पैसे प्रति यूनिट बिजली मिले, यह कहां तक उचित है? बिड़ला का नाम तो केवल कहने मात्र के लिये है, वास्तव में यह बिजली अमेरिका के विलियम कैसर को दी गई है। बिड़ला का नाम तो केवल इसलिये इसमें रख दिया गया है कि बिड़ला के नाम पर यहां हमको कारखाने लगाने की अनुमति व सुविधा मिल जायगी।

श्रीमन्, पहले तो अल्मुनियम फैक्टरी के साथ ५० पये पर थाउजेन्ट किलोवाट बिजली देने की डीलिंग हुई लेकिन बाद में बड़ी लड़ाई के बाद उसे १७५ रु० प्रति थाउजेन्ट किलोवाट कर दिया गया। श्रीमन्, बिड़ला अल्मुनियम फैक्टरी का तैयार किया हुआ अल्मुनियम सबसे महंगा पड़ेगा जब कि उड़ीसा के हीराकुंड कारखाने का अल्मुनियम व बेलजियम आदि देशों का अल्मुनियम हिन्दुस्तान में आकर काफी सस्ता पड़ता है। बिड़ला का अल्मुनियम सबसे महंगा पड़ेगा। यह तो प्रदेश की ढाई करोड़ जनता को भूखों मारना है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी योजनाओं का मुलाहिजा फरमाया जाय। इनकी दूसरी योजना थी माताटीला की और वह भी ढाई करोड़ से शुरू हुई, मैंने बार-बार कहा है और आज

[श्री उग्रसेन]

फिर कहता हूं कि इनकी यह माताटीला बान्ध और बिजली की योजना और कुछ नहीं थी। वह एक खाऊकमाऊ योजना है। सब माननीय सदस्य जानते हैं कि उसका बनते ही सैंड हो गया और उसके बारे में तमाम किस्म के बहाने किये गये और कोई कमेटी उसकी लिये नहीं बनाई गई और जो जांच हुई उसकी रिपोर्ट आजतक नहीं आई। प्रश्न किया गया तो उत्तर मिला कि पानी में बह गया। वादा किया गया कि उससे जो बिजली तैयार होगी वह झांसी नगर को दी जायगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में बढ़ते-बढ़ते यह योजना भी ८ करोड़ तक पहुंच गई।

खटीमा पावर हाउस के विषय में मन्त्री जी कहते हैं कि बड़ी सफलता से वहां काम चल रहा है लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जिस दिन आरम्भ में ही पावर हाउस का उद्घाटन हुआ उसी दिन वह बड़ी मशीन टूट गई। इसी से समझा जा सकता कि किस प्रकार की मशीनें आती हैं और किस तरह से फर्जी कम्पनियों से इनके डील होते हैं और किस तरह से वह फर्जी मशीनें काम करती हैं।

मैं ट्यूबवेल की बात और कहूंगा। पश्चिमी जिलों में जो बिजली शारदा व गंगा ग्रिड को मिलती है और कम रेट पर मिलती है लेकिन पूर्वी जिलों में जो ६।८ हजार एकाड़ के ट्यूबवेल हैं उनको भी २७–३० और ३७ पैसे के हिसाब से बिजली मिलती है। यह उधर के लोगों पर कितनी जबरदस्त मार है। इस सब की तह-तह में एक ही बात है कि इन की कोई योजना पूरी नहीं हो रही है।

ओबरा, रिहन्द, माताटीला प्रथम और द्वितीय, यमुना प्रथम और द्वितीय, हरदुआगंज प्रथम और द्वितीय, रामगंगा और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये जितनी भी इनकी योजनायें हैं वह पहली और दूसरी और तीसरी प्लान तक लटक रही हैं और कोई भी पूरी नहीं हो रही है। यह तो दिखलाने के लिये यहां कह दिया जाता है कि यह पूरी हो रही हैं लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि तृतीय योजना में तो क्या पांचवीं, छठीं और सातवीं योजना भी अगर चलेंगी तब भी वह पूरी न कर सकेंगे। कहा जाता है कि गांव-गांव में सरकार सस्ती बिजली का प्रबन्ध उद्योगों के लिये करना चाहती है लेकिन आप देखें कि जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है उसका कितना बुरा प्रभाव यहां के उद्योग-धन्धों पर पड़ा है। अगर इन योजनाओं की यही रफ्तार रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १ करोड़ या ९० लाख आदमी बेकार हो जायगा।

बार-बार कहा गया कि प्राइवेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया बल्कि और बड़े-बड़े लोगों को वह रियायतें दें कर उन्हें परिश्रय देते हैं। हाईडल की बिजली का जो पिछले सालों में हाल हुआ वह सब को मालूम है। चीफ साहब का मामला यहां लाया गया, बड़ा जब शोर गुल मचाया गया तो इनको यहां से दिल्ली सेंट्रल पावर बोर्ड से सम्पर्क स्थापित करने के लिये लियाजां आफिसर बनाकर भेज दिया गया और वह लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ आ-जाकर रोज मौज मारने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब मजदूर बिजली कम्पनियों में काम करते हैं उनकी तरफ सरकार की कोई नजर नहीं जाती। जिस तरह से कि कोई कपड़े, चीनी और जूट वगैरा के कारखानों में काम करने वालों के लिये वेज बोर्ड है उसी तरह से आजतक बिजली कम्पनी में काम करनेवाले मजदूरों के लिये किसी वेज बोर्ड की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है।

बार-बार कहा गया कि रिहैन्ड की बिजली के वितरण के प्रश्न को विद्युत् परिषद् को दीजिये, करोड़ों की पूंजी उस के पास है, सारी पूंजी ट्रांसफर की गई लेकिन फिर भी ५८–५९ में १,३७,५८,०१८ रुपये का घाटा हुआ और ५९–६० में केवल २०,०१,२०० रुपये का लाभ हुआ। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति लगी हुई है अगर इस तरह से बराबर घाटे का हिसाब आ रहा है, अगर हिसाब लगाया जाय तो ८० हजार रुपया रोज का घाटा है। मैं सरकार को आगाह किये देता हूं कि यह बिरला जी आप की इस बिजली से इस कारखाने को चलायें या न चलायें, लेकिन

वह विलियम कैसर के जरिये से इस का इस्तेमाल कहीं और करेंगे। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया का यह कायदा है कि जो पीक लोड होता है वह अपने उद्योगों के लिये रखा जाता है और जो सरप्लस लोड होता है वही प्राइवेट कम्पनियों को दिया जाता है लेकिन यह पीक लोड इस बिरला की कम्पनी को क्यों दिया गया है? इसके लिये सरकार के ऊपर मुकदमा चलाना चाहिये क्योंकि यह यहां की जनता के साथ विश्वासघात हैं और यह सरकार के विश्वासघात की रिहैन्द डैम एक अमर कहानी है। यहां पर माननीय मुख्य मन्त्री जी मौजूद नहीं हैं लेकिन वह मेरी बात अपने कमरे में सुन रहे होंगे। रिहन्द डैम की बिजली में सरकार की यह चोरी है इस तरह से जनता की मांग की पूर्ति न कर के, इन शब्दों के साथ में माननीय शर्मा जी की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज के युग में जब समाजवादी समाज का निर्माण करना है और हमारा देश राजनीतिक रूप में आजाद हो गया है हमें आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ना है। आर्थिक क्रांति तो तभी हो सकती है जब हमारी योजनायें सफल हों। आज हमारा देश खेतिहर है जिसके कारण बहुत बड़ा बोझ उस पर पड़ रहा है, उसके लिये जरूरत है कि हमारी विद्युत् योजनायें सफल हों क्योंकि जब तक कि बड़े-बड़े कल करखाने नहीं चलेंगे तब तक हमारी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। इन कारखानों के लिये बिजली की आवश्यकता है। निःसन्देह हमारा देश और प्रदेश बिजली के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है। प्रथम और दूसरी योजनाओं के बीच में बहुत काफी सुधार और विकास बिजली के द्वारा हुआ है। १९०३ में हमारे प्रदेश में मसूरी से इसकी बुनियाद शुरू हुई और १९०६ में कानपुर में एक प्राइवेट कम्पनी को लाइसेंस दिया गया। यहां से बिजली का निर्माण शुरू होता है.....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—तो मैं यह कह रहा था कि कानपुर में एक प्राइवेट कम्पनी को बिजली बनाने का लाइसेंस दिया गया। १९३३ में हमारे यहां और योजनायें चलीं। उसके बाद बड़ी-बड़ी योजनायें हमारे सामने चल रही हैं जैसे रिहन्द, हरदुआगंज, माता-टीला आदि।

एक बात और कहना चाहता हूं बिजली के दो इस्तेमाल होते हैं। एक तो घरेलू कामों के लिये और दूसरे उद्योगीकरण के लिये। अभी हमारे एक भाई ने यह कहा कि बिड़ला को इतनी अधिक मात्रा में बिजली देना बुरा है, पहले हमको अपने घरेलू कामों के लिये बिजली मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि बिजली का उद्योगीकरण के लिये निर्माण और वितरण होना उतना ही जरूरी है जितना घरेलू कामों के लिये आवश्यक है। जितने भी कारखाने खुलते हैं वे हमारे देश का भविष्य निर्माण करते हैं जिनके जरिये से हजारों लाखों आदमियों को काम मिलता है, देश की आर्थिक उन्नति होती है। इसमें कोई शक नहीं जो निर्माण अभी किया गया उनमें कुछ योजनाओं में कमी हो सकती है जो अनुभव की कमी के कारण ही हो सकती है। दूसरे देशों के मुकाबले में, जैसे रूस और अमरीका में बिजली का काफी विकास हुआ है, उद्योगों की कमी हुई है। उनके मुकाबले में हमारे देश में जो इंजीनियर हैं उनके अनुभवहीन होने की वजह से बहुत-सा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जब राष्ट्र का निर्माण होता है तो नुकसान यह छोटे नुकसान समझे जाते हैं। किसी बड़े देश

[श्री बृजमोहन लाल गुप्त]

का निर्माण करने के लिये काफी समय लगता है और काफी धन लगता है। उसमें यह सोचना कि अपव्यय हो रहा है, भूल है तो बड़े काम के निर्माण में इस तरह के छोटे दृष्टिकोण को हमें अपने सामने नहीं रखना है क्योंकि भविष्य हमारे सामने उज्ज्वल है। हमको दूसरे देशों के मुकाबले में अपने देश व प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इसके लिये हमें अनुभव हासिल करना है और उसमें हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मात्ताटीला बांध की योजना यहां चली जिससे बुन्देलखंड को बिजली मिल सकेगी। हमने देखा कि बुन्देलखंड बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है उद्योगीकरण में और कलकारखानों में या यातायात के मामले में दूसरे जिलों के मुकाबले में, चाहे वे पूर्वी जिले हों, पश्चिमी जिले हों या पहाड़ी जिले हों। सरकार को बुन्देलखंड की ओर विशेष रूप से अपना ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है और कोई विशेष योजना बिजली की वहां के लिये होना चाहिये जिसके जरिये कल-कारखाने स्थापित हो सकें।

हमारे यहां उद्योगपति और धन के साधन नहीं हैं और सरकार को ही अपनी ओर से कल-कारखाने खोलने की जरूरत है या फिर किसी पूंजीपति या किसी उद्योगपति को प्रभावित करने की जरूरत है ताकि बुन्देलखंड में आकर ऐसी योजनायें वहां चालू करे जिनके द्वारा हजारों और लाखों आदमियों को काम मिल सके।

हमारा इलाका सूबे में गल्ले के मामले में अधिक उत्पादक सरप्लस एरिया है। इसके अलावा हमारे यहां बहुत से जरायम होते हैं और बहुत से डाके व कत्ल होते हैं। इन जुर्मों के बढ़ने की जिम्मेदारी इस बात पर है कि उनके पास काम नहीं है और काम में उनको लगाने के लिये साधन हमारे जिले में नहीं हैं। अगर उद्योग व कल-कारखाने वहां होंगे तो उनके द्वारा हजारों लाखों आदमियों को काम मिल सकेगा और उनकी प्रवृति जो बुरे कामों की ओर है वह अच्छे कामों की तरफ मुड़ सकेगी। इससे हमारे देश व प्रदेश का भी कल्याण होगा। इसलिये बिजली की योजनाओं में अधिक से अधिक व्यय करने की जरूरत है। इसलिये मुझे आशा है कि निर्विरोध रूप से बिजली की आवश्यकता को देखते हुये सदन इस अनुदान को पास करेगा तभी हमारा कल्याण हो सकेगा अन्यथा नहीं।

*श्री बलवान सिंह—श्रीमन्, १५ साल बाद हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हम १,५०० गांव को बिजली दे सकेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत। मेरा कहना यह है कि आपको १०० गांवों में से १ गांव को आप बिजली देंगे, वह भी सन् ६७ तक। यही धीमी प्रगति रही तो मेरे खयाल से २० पंचसाला योजनायें चाहिये। आज की जो दुनिया है, अगर देखा जाय, खेती के लिये जिस तरह से पानी की जरूरत होती है, इंसान के लिये हवा की जरूरत होती है उसी तरह से उद्योग के लिये बिजली की जरूरत होती है। तो जब आपकी इकानामी पेरिटी इस बिजली पर निर्भर करती है तो आपकी इस कदर लो स्पीड सूबे को कहां पर ले जायगी। अमेरिका में अकेले न्यूयार्क शहर में इतनी बिजली पैदा होती है और इतना कन्जम्पशन होता है जितना इस तमाम मुल्क में नहीं होता।

हिन्दुस्तान कितना पिछड़ा हुआ है यह आपको दुनिया का नक्शा देखने से मालूम हो जायगा। आज रूस और अमेरिका के एक-एक शहर में जितनी बिजली का कंजम्पशन है उतनी बिजली हमारे तमाम मुल्क में पैदा होती है। इसलिये मैं उन मुल्कों से तो मुकाबला करता नहीं, लेकिन अपने मुल्क में भी सब से पिछड़े हुये सूबों में से हमारा सूबा एक है। हमारे यहां बिजली का कंजम्पशन पर हेड ११.६ है जब कि दूसरे सूबों में ८० तक है। पंजाब, बंगाल, बम्बई, आंध्र ये सब सूबे हम से आगे हैं। इस पर भी हमारे यहां अकेले बिड़लाजी को ५५ हजार किलोवाट बिजली दी जा रही है और वह भी कास्ट से कम कीमत पर। मेरा ऐसा खयाल है कि दस नये फी किलोवाट के हिसाब से आप उनको बिजली देने जा रहे हैं जब कि सूबे में बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी ऐसी बिजली कम्पनियां हैं जो ६ और ८ आने तक गरीबों से चार्ज कर रही हैं। मन्त्री जी कहेंगे कि हमने लागत को जोड़ कर बिजली दी है, तो वे फीगर्स दें ताकि वे सदन के सामने आयें। जो उनका ऐग्रीमेंट बिड़ला जी से हुआ है, उसकी कोई कापी तो हमें आज तक मिली नहीं है। बिड़लाजी और टाटा, ये दो ऐसे पूंजीपति हैं जिनके मुकाबले में दुनिया में कोई दो पूंजीपति नहीं होंगे। आज ये दोनों ५०० करोड़ रुपये की पूंजी के मालिक हैं और वह बिड़ला जी जो ढाई सौ करोड़ रुपये की पूंजी के मालिक हैं उनको आप कम दामों पर बिजली देने जा रहे हैं।

हमारे सूबे में एक लाख से ज्यादा गांव हैं जिनमें से १,५०० गांवों को बिजली देने की बात मुख्य मन्त्री जी ने कही है। इसके पहले शायद सन् ५८-५९ में जो पुराने मुख्य मन्त्री थे उन्होंने यह वादा किया था कि जो भी ५ हजार की आबादी के गांव हैं उन सबको बिजली दी जायगी। लेकिन वह वादा टूट गया। पता नहीं कि जो आज यह नया वादा हुआ है यह कितना पूरा होगा। अगर आप इस सूबे को आगे ले जाना चाहते हैं और बिजली का कंजम्शन इसी तरह रहा तो इस सूबे की तरक्की नहीं होगी।

सन् ५३ में मुझे जापान की तरफ जाने का मौका मिला था। बर्मा में मुझे जापान के डेलीगेट्स मिले थे। उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान की सरकार ने ५० हजार मन गुड़ जापान को भेजा था। जापान वालों ने उसी गुड़ में से कई चीजें निकालीं। उन्होंने यह भी बताया कि गन्ने की खोई से कागज बन सकता है, गन्ने का रस उबालने से मोम निकल सकता है और रस के रखने से स्प्रिट, शराब, पेट्रोल और न जाने क्या-क्या चीजें उन्होंने बतायीं कि निकल सकती हैं।

अगर आप यू० पी० में इसी तरीके से बिजली देंगे तो मेरा खयाल है कि सौ सालों में भी पूरे गांवों को बिजली नहीं दे पायेंगे। फिर कानपुर में आपकी केसा है जिसका आपने राष्ट्रीयकरण किया है। वहां की हालत यह है कि बिजली की पैदावार दूनी हो चुकी है, बिजली का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो गया है और अफसरान भी दूने हो चुके हैं लेकिन इस बिजली कम्पनी में १९४७ में जितने मजदूर थे उससे भी कम हो चुके हैं। अगर आपके नेशनेलाइजेशन का यही हाल है तो बड़ा मुश्किल है। सरकार के हाथ में केसा का ऐडमिनिस्ट्रेशन आने पर तस्वीर का दूसरा ही रूप सामने आया है। केसा के मजदूर हर महीने हड़ताल करते हैं और वहां पर मजदूरों को क्वार्टर्स की सुविधा भी नहीं है और दूसरी अन्य सुविधा भी नहीं है। आज भी बिजली कम्पनी में कानपुर में मजदूरों की छटनी हुई है और दूसरी तरफ टेम्पोरेरी अफसरान को मुस्तकिल किया है या और मजदूरों को कम किया गया है। अगर यही सरकार के राष्ट्रीयकरण की तस्वीर है तब तो यह ठीक नहीं है और मैं सरकार से चाहता हूं कि उसकी तरफ से एक साफ तस्वीर आये। अगर केसा की तरह से अन्य स्थानों पर कार्य होगा तो ठीक नहीं होगा। आपकी बिजली बिठूर और पुखरायां में गई। लेकिन उससे गांव वालों को कोई लाभ नहीं हुआ। जितने बिजली के खम्भे लगे हैं सब सड़क के किनारे पर लगे हैं और बिजली गांवों तथा खेतों पर नहीं पहुंची है।

कानपुर में ट्यूबवेल नहीं हैं लेकिन जहां पर ट्यूब वेल हैं उनके लिये आपके पास बिजली नहीं है और आपके इतने ज्यादा चार्जेज हैं कि गरीब किसान आपका पानी लेने से कासिर है। इसलिये मेरा कहना यह है कि आपको डिसटिंक्शन करना पड़ेगा कि किसानों के लिये आपके जो इर्रीगेशन रेट्स हैं वे कम किये जावें क्योंकि किसान इतना गरीब है कि सरकार की दी हुई बिजली को वह नहीं ले सकता है। हमारे यहां हिन्दुस्तान में १५ अरब रुपये से ज्यादा गल्ला आया है और ७ लाख टन गल्ला हर साल आयेगा क्योंकि इस सूबे में १४ लाख की आबादी हर

[श्री बलवान सिंह]

साल ज्यादा होती जाती है। इसलिये सूबे की प्रास्पैरिटी के लिये ज्यादा बिजली पैदा कीजिये ताकि बिजली गांव-गांव में फैल जाय और हम अपने देश में काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ायें जिससे हमारे यहां खुशहाली आये।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आजादिये वतन के बाद कांग्रेसी सरकार ने तरक्की की है और जो कारे नुमायां अंजाम दिये हैं वह काबिले कदर और लायके सतायश हैं। यही तो वजह है कि हजारों बार मुखालफत के बावजूद अवाम ने एक बार फिर अपने तमामतर एतमाद का इजहार करके हमें हुकूमत बनाने का मौका दिया है। हमारी इतनी जबरदस्त तरक्की के हम तो हम ही पर अगयार भी मौतरिफ हैं और तारीफ करते हैं। जो लोग चांद के मंसूबे बनाते हैं, मेरा मतलब उन लोगों से है जो बाहर से सैर व तफरीह के लिये हिन्दुस्तान में आते हैं और हिन्दुस्तान की तरक्की को देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरे मुल्कों ने जो तरक्की अपने यहां सदियों में की है वह हिन्दुस्तान ने चन्द सालों में की है। लेकिन जैसा कि मशहूर है कि एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है यही हाल विद्युत शक्ति का है। जब हमें आजादी मिली थी तो हमारे वतन में विद्युत शक्ति की बहुत कमी थी। तो विद्युत शक्ति की बहुत कमी थी। जैसा कि हर शख्स जानता है उसको एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता और इस मुख्तसर मुद्दत को देखते हुए अगर कोई आदमी इन्साफ से देखे तो वाकई हर शख्स इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हिन्दुस्तान ने और हमारे सूबे ने विद्युत शक्ति में भी इतने मुख्तसर मुद्दत में जो तरक्की की है वह काबिले कद्र है। लेकिन जिम्मेदारियों को पूरा करने में कहीं-कहीं खामियां भी हो सकती हैं।

मैं आपके द्वारा निहायत अदब से आनरेबिल मिनिस्टर इन्चार्ज, पावर ऐंड इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि रामपुर एक पिछड़ा हुआ इलाका है जहां पर बेकारी का प्राबलम बहुत ज्यादा है। रियासत मर्ज होने के बाद इस प्राबलम में कमी नहीं हुई है, बल्कि मजीद इजाफा होता गया है। रामपुर का अवाम इस हाउस की तरफ हसरत से देखता है कि यह हाउस और यह सरकार उनके जख्मों पर मरहम रखे उनकी ख्वाहिश यह है कि इस हाउस में जाकर उनके नुमाइन्दे, उनकी फर्माइशों और उनकी मुश्किलात को सरकार के सामने पेश करें। उनकी इस ख्वाहिश के ऐहतराम में मैं मजबूर हूं कि रामपुर के अवाम की मुश्किलात को सरकार के सामने पेश करूं ताकि कब्ल इसके कि उनका मर्ज लाइलाज हो जाय, कब्ल इसके कि रामपुर के अवाम जो फाकाकशी और नीमफाकाकशी के दौर से गुजर रहे हैं वह अपने आखीरी अन्जाम पर पहुंचें और कब्ल इसके कि रामपुर का यह तारीखी शहर जिसके मखसूस रवायात हैं, जो पूरे दो सौ साल से हिन्दू मुस्लिम इत्तहाद की एक मिसाल रहा है उसकी बहार खिजां रसीद हो जाय और कब्ल इसके कि एक चमकता दमकता फूल मुरझा हो जाय, हुकूमत के जिम्मेदारों को उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है और मैं सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाने के लिए मजबूर हूं।

आज रामपुर बेरोजगारी के शिकंजे में कसा हुआ है। बेकारी का भूत चारों तरफ अपने खौफनाक जबड़े खोल कर नाच रहा है। तो क्या आज जब हम इस हाउस में बैठे हुए हैं और आप सब इस हाउस में बैठे हुए हैं यह मेरा फर्ज नहीं है कि इस शानदार हाउस के अराकीन की तवज्जह इस तरफ दिलाऊं कि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें? मैं लम्बे चौड़े आंकड़े बयान नहीं करना चाहती। सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि रामपुर की आबादी सन् १९५१ से लेकर ६१ तक सिर्फ १/२ फीसदी बढ़ी है जबकि तमाम हिन्दुस्तान की आबादी में आम तौर पर २० से २५ फीसदी के दरमियान इजाफा हुआ है। इसका बुनियादी सबब है कि रामपुर के अवाम रोजगार की तलाश में करीब के अजला को मुन्तकिल होते रहते हैं। यही तो वजह है कि वहां की आबादी दिन पर दिन कम होती जा रही है। अगर रामपुर के अवाम की यह मुन्तकिली जारी रही तो मुझे डर है कि जब करीब के अजला तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते होंगे तो कहीं रामपुर की दरोदीवार सूनी न हो जायं और मैं यकीन से कहती हूं कि अगर हालात यही रहे तो आइन्दा की

मर्दुमशुमारी में रामपुर की आबादी १/२ फीसदी भी नहीं बढ़ पायेगी बल्कि कम हो जायगी। तब क्या यह हाउस और आने वाले मेम्बर्स यह बरदाश्त कर सकेंगे कि एक शहर कुछ साल बाद वीराने में बदल जाय ?

मेरी अपनी सरकार यहां बनकर आयी है। मकान बन जायं और खेत उजड़ जायं, मैं समझती हूं कि ऐसा मेरी सरकार नहीं सोच सकती। तब क्या यह सोचने की बात नहीं है कि रामपुर सिर्फ बिजली के मसले में कितना पिछड़ा हुआ है। पावर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम में सन् ५६ ई० में सिर्फ तीन मुकामात पर बिजली दी गई और ५७ में सिर्फ ५ मुकामात पर बिजली दी गई। सन् ५७ से लेकर सन् ६२ तक सिर्फ दो तीन ही नये मुकामात पर बिजली में इजाफा हुआ है। यह रामपुर डिस्ट्रिक्ट का हाल है। उसके पड़ोसी जिले मुरादाबाद का भी मुलाहिजा फरमाइये। सन् १९५६ में मुरादाबाद जिले में १० टाउन्स को बिजली दी गई और अगर गांवों को भी शुमार किया जाय तो ८५ गांवों को बिजली दी गई। मुरादाबाद को अगर रामपुर से तीन गुना भी जिला मान लिया जाय तब भी ३ और ८५ में कोई मुनासिबत नहीं है और हम इसको इन्साफ नहीं कह सकते बल्कि सन् १९५७ के बाद से मुरादाबाद जिले के १०२ मुकाम पर बिजली सप्लाई की गई जब कि रामपुर के सिर्फ ५ मुकामों पर बिजली दी गई। यह महकमे की तरफ से जो किताब निकली है उसके बुनियाद पर फिगर दिये हैं। जाहिर है कि इनमें कोई गलती का इमकान नहीं होगा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है ? मैं मिनिस्टर इन्चार्ज का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि बिजली रोजगार मुहइया करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। इससे हजारों किस्म की काटेज इंडस्ट्रीज आगे बढ़ सकती हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इन सबकी जहां मुल्क को जरूरत है और जहां हमारे प्रान्त को जरूरत है वहां हमारे छोटे से शहर रामपुर को भी जरूरत है।

इसके अलावा मैं जनाब आली से यह भी गुजारिश करूंगी कि रामपुर में बिजली का फेल हो जाना, कई कई मिनट के बाद दोबारा जारी होना एक ऐसा मसला है जो मखसूस तवज्जह का मुस्तहक है। इस तरह से प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचता है। जब मुहकमे की तरफ से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने इसका सबब यह बताया कि चूंकि लाइन कमजोर है और वह ज्यादा लोड नहीं उठा सकती इसलिये थोड़ी-थोड़ी देर के बाद करेन्ट रुकना जरूरी है। इस तरह से कन्ज्यूमर को जो तकलीफ हो सकती है वह जाहिर है। कारखानों और सिनेमा हाउस जो सरकार को लाखों रुपया सालाना देते हैं उनको भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

बेगम किश्वर आरा—अभी कैसे समय समाप्त हो गया ? बहुत मुद्दत के बाद तो आपने मुझे मौका दिया है। मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब रामपुर की इस मखसूस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। पावर हाउस की शहर में मुख्तलिफ लाइनें जो आज से कम से कम १०–१२ साल तक कारामद हो सकें बनाना जरूरी हैं। बिजली का कंजम्पशन बराबर बढ़ रहा है। इसलिये इन लाइनों के बढ़ाने के लिहाज से करेन्ट का ठीक रखना जरूरी है। अगरचे करेन्ट में काफी सहूलियत है लेकिन पावर के सिलसिले में कनेक्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा खासा लम्बा चौड़ा रूटीन है। अगर ५० किलो वाट की पावर ग्रान्ट करने का अख्तयार मुकामी अफसरों को दे दिया जाय तो इससे सहूलियत बढ़ सकती है। यों पावर का डिसेन्ट्रलाइजेशन भी सोशलिज्म की बुनियाद है। डिमोक्रेसी का अवाम से मुतारिफ करना इन्तहाई जरूरी है ताकि अवाम को जम्हूरियत के करीब पहुंचा सकें और वह इससे फायदा हासिल कर सके। बहरहाल, कनेक्शन चाहे कारोबार के लिये या घरेलू कन्जम्पशन के लिये हो, मेरी गुजारिश यह है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो, चूंकि किसी भी मुल्क के

[बेगम किश्वर आरा]

लिये बिजली न सिर्फ स्टैंडर्ड आफ लिविंग को बढ़ाने का जरिया है, बल्कि प्रोडक्शन बढ़ाने का भी जरिया है। हमारे मुल्क के लिये काटेज इंडस्ट्रीज की जो अहमियत है वह जाहिर है। काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिये छोटे पावर के कनेक्शन बहुत जरूरी हैं। मुझे आपके द्वारा आनरेबिल मिनिस्टर से यह भी गुजारिश करना है कि बिजली के करेन्ट के रेट में जो फर्क है वह मुझे बड़ा अजीब लगता है। यह फर्क किसी भी हैसियत से हो किसी तरह से भी इस्तेमाल की जरूरत हो, लेकिन रेट में यूनिफार्मिटी की जरूरत है।

जहां बड़े कंज्यूमर्स को कम रेट पर बिजली दी गयी वहां छोटे कंज्यूमर्स को ज्यादा रेट पर बिजली दी जाती है और यह एक अजीब बात है। मैं सरकार को मुबारकबाद देती हूं कि रामपुर में पड़ोसी जिलों के मुकाबले जो ज्यादा बिजली के रेट्स थे उनको अब सरकार ने कम कर दिया है। मैं आनरेबिल मिनिस्टर से गुजारिश करूंगी कि अगर कुमायूं की नदियों को हाइड्रोएलेक्ट्रिक स्कीम में इस्तेमाल किया जाय तो वे ज्यादा कारामद हो सकती हैं। अगर यू० पी० की गवर्नमेन्ट सेंट्रल की इमदाद से इन नदियों की ताकत को काम में लायें तो इनमें इतनी गुन्जायश है कि वे सारे शुमाली यू० पी० की मुश्किलात को हल कर सकती हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेन्ट को जल्द अज जल्द अपनी स्कीम मुकम्मिल कर लेनी चाहिये। मेरी राय है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये इसलिये कि इसके जरिये सूबे के अनइम्प्लायमेन्ट के सवाल को हल करने में भी मदद मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

बेगम किश्वर आरा---अब थोड़ा-सा रह गया है। इसके अलावा सैलाबों की रोकथाम के लिये पूरी कार्यवाही होनी चाहिये। रुहेलखंड और मेरठ डिवीजन आज कल सैलाब के अड्डे बने हुये हैं जिससे वहां करोड़ों मन गल्ला बर्बाद हो जाता है। सैलाब रोकने से वहां काफी फायदा हो सकता है।

बिजली के सामान की बढ़ती हुई मांग के सिलसिले में अगर एक कारखाना हल्के बिजली के सामान का रामपुर में पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कायम हो जाय तो रामपुर के अवाम का अनइम्प्लायमेंट का प्राबलम हल हो सकता है किसी न किसी हद तक।

श्री नेकराम शर्मा---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बनारसी दास जी आपके और माननीय सदस्या के बीच में हो कर आये हैं। यह नियमों का उल्लंघन है और यह नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---यह ठीक है।

श्री उग्रसेन---तो इस पर व्यवस्था क्या हुई ?

श्री उपाध्यक्ष---यह सही है कि इस तरह से बनारसीदास जी को नहीं आना चाहिये था।

बेगम किश्वर आरा---अगर हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स का कारखाना रामपुर में कायम न हो सकता हो तो लाइट एलेक्ट्रिकल गुड्स का एक कारखाना वहां कायम कर दिया जाय तो उसके लिये रामपुर की जनता बड़ी शुक्रगुजार होगी और वह बड़ी उम्मीद से इसके लिये यू० पी० की सरकार की तरफ देख रही है और यू० पी० की सरकार से उम्मीद कर रही है कि वह इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर देगी।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

बेगम किश्वर आरा---अभी एक मिनट और बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया

बेगम किश्वर आरा—रामपुर जितनी तेजी से रियासत के जमाने में तरक्की कर रहा था कम से कम उतनी ही तेजी से इसे अपनी सरकार के निजाम में भी तरक्की करना चाहिये और वहां की इंडस्ट्री को तो और ज्यादा तेजी से तरक्की करना चाहिये। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी सरकार इस मांग को जल्दी पूरा कर देगी, क्योंकि जिस कदर जल्द पूरा हो जाय उतना ही अच्छा है—

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जायंगे हम तुम को खबर होने तक।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, नेकराम शर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, सब से पहले मैं उस रेणुका सागर का जिक्र करना चाहता हूं कि जिसका नाम बदल कर अब आपने भी सुना होगा, "गोविन्द बल्लभ पन्त सागर" कर दिया गया है। उस सागर और बांध के निर्माण में हमारे प्रदेश की जनता का ४६ करोड़ रुपया व्यय किया गया है और ४५ हजार व्यक्तियों को इस सागर ने शरणार्थी बना दिया है और आज उनमें से ३,००० परिवार ऐसे हैं कि जिनको एक बिस्वा जमीन और घर बनाने के लिये भी कहीं ठिकाना नहीं है। वह पता नहीं किस जंगल में और कहां मारे-मारे फिर रहे हैं? इसके अलावा, श्रीमन्, आप देखेंगे कि उनको जो मुआविजा दिया गया है वह सिर्फ ८१ लाख रुपया है जब कि उनकी सम्पत्ति २५ करोड़ के करीब पानी के अन्दर विलीन हो गयी और ४५ हजार एकड़ जमीन उस डूब के अन्दर चली गयी है। इसलिये मैं आज इस सवाल को सिद्धान्ततः सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं कि सरकार इस मसले पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करे क्योंकि आये दिन यह सवाल उठता रहेगा और लोगों को शरणार्थी बनना पड़ेगा। इसलिये मानवता और न्याय दोनों दृष्टिकोणों से जहां कहीं भी निर्माण-कार्य हो वहां के निवासियों को बसाने, उनके खाने, उनकी पढ़ाई तथा उनके रोजी-रोजगार की व्यवस्था पहले होनी चाहिये तभी यह कार्य सुचारुरूप से चल सकेगा। इसलिये मैं इस मसले पर एक कमेटी की मांग करता हूं कि रेणुका सागर पर जो ४५ हजार लोग गृहविहीन हो गये उनको कैसे मुआविजा दिया जाय।

इसके बाद मुख्य मंत्री जी ने रिहंद डैम की बिजली की भी चर्चा की कि बिड़ला को सस्ते दर पर बिजली इसलिये दे रहे हैं कि वह देश के पैमाने पर जहां अल्यूमीनियम पैदा हो रहा है, वह कम्पेटीशन पर चल सके। क्या मैं यह जान सकता हूं कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी प्राइवेट कम्पनी को इस प्रकार की छूट दी गयी है? ऐसी कोई मिसाल हो तो मुख्य मंत्री जी या उनके डिप्टी मिनिस्टर साहब बतावें। अगर यह मान भी लिया जाय तो एक उसूल उनके साथ यह भी होना चाहिये कि हम उसके मुनाफे पर क्या कंट्रोल करने जा रहे हैं? क्या मुख्य मंत्री जी का इरादा है कि अल्यूमिनियम जितनी पैदा होगी उनके मुनाफे पर कोई कंट्रोल करें? मैं यह मांग करता हूं कि जो पैदावार और बिक्री हो उस पर भी सरकार का कंट्रोल हो। अगर यह सब बातें मुख्य मंत्री जी सदन के सामने लावें और वह विश्वास दिलावें तो एक बात न्यायसंगत मानी जा सकती है कि उनको कम्पीटीशन में आने के लिये सस्ते दर पर बिजली दी जा रही है। इसी के दूसरी तरफ राबर्ट्सगंज में ७ आने यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। मिरजापुर में जो लाइसेंसी रिहंद डैम के हैं उसको ५ पैसे प्रतियूनिट की दर से बिजली दी जा रही है, लेकिन वही लाइसेंसी

[श्री ऊदल]

४० नये पैसे प्रति यूनिट की दर से जनता को बेचता है जब कि नियम यह है कि ६ प्रतिशत से ज्यादा कोई मुनाफा नहीं ले सकता है। बनारस और इलाहाबाद में मार्टिन कम्पनी कितना मुनाफा कमा रही है ? मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह वही मार्टिन कम्पनी है जिसके खिलाफ तमाम मुकदमे चल रहे थे, जिस मार्टिन कम्पनी ने सन् ४८ के ऐवार्ड के मुताबिक जो मजदूरों और कम्पनी के बीच समझौता हुआ था उसको तोड़ा और उसके सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर पर हजारों रुपया जुर्माना हुआ है और जो कलेक्टर तक की बात को नहीं मानता है। फिर क्या वजह है कि उसी मार्टिन कम्पनी को ५ करोड़ रुपया साढ़े ४ प्रतिशत ब्याज के हिसाब से कर्जा दिया गया है ? यही नहीं, किसानों को कर्जा ९ प्रतिशत के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन मार्टिन कम्पनी, साहू जैन और बिड़ला वगैरह को ढाई प्रतिशत और ४ प्रतिशत पर। क्या मैं इसको न्यायसंगत मान सकता हूं ? मैं चाहता हूं कि इस मसले पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाय, क्योंकि यह सवाल पूरे प्रदेश की जनता का है। इतना ही नहीं, जब रिहंद डैम का निर्माण हुआ था तो सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि पूर्वी इलाके के १३ जिलों को बिजली दी जायगी, लेकिन आज मुश्किल से ८ जिलों को ही बिजली मिलने वाली है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर सोचे।

इतना ही नहीं, आज प्राइवेट कम्पनी किस तरह से मजदूरों का शोषण करती है, किस तरह से बिजली लेने वालों की बत्तियां गुल करती हैं, क्या इसके ऊपर कभी सरकार ने विचार किया है ? मैं मांग करता हूं कि जब कि विद्युत बोर्ड है तो प्राइवेट कम्पनियां उसकी देखरेख में चल रही है या नहीं, क्या सरकार ने उसके ऊपर विचार किया या नहीं किया ? इतना ही नहीं, रिहंड डैम को बोर्ड से अलग कर रखा गया है यह क्यों ? आप सदन को आश्वस्त करें कि रिहन्द बांध को विद्युत परिषद् के अधीन कर देंगे। आज सारे उपनिवेशन पीलीभीत आदि जगहों में जहां लाखों रुपया लगाकर पावर प्लांट लगाया गया था वे तमाम बन्द पड़े हैं और लाखों रुपया पानी में चला गया उल्टे, तो आपने विद्युत् परिषद् को दे दिया तो क्या वजह है कि रिहन्द को आप विद्युत् बोर्ड को नहीं देते ? रिहन्द डेम से हमें करोड़ों रुपया का मुनाफा हो सकता है। इतना बड़ा पावर स्टेशन है जो विद्युत बोर्ड से अलग करना मेरी राय में ठीक नहीं है और न इसकी कोई वजह हो सकती है। इसलिये इस मसले पर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा। यही नहीं, मैं एक यह मांग करता हूं कि जब विद्युत बोर्ड बन गया है तो जो इस बोर्ड के चेयरमैन हैं वे इस समय सिंचाई विभाग के और विद्युत विभाग के भी आयुक्त हैं, तो यह ठीक नहीं है क्योंकि विद्युत बोर्ड स्वयं एक बड़ा बोर्ड है, इसलिये जो इस के चेयरमैन हैं वे केवल विद्युत बोर्ड का ही काम अगर देखेंगे तो इसका काम अच्छी तरह से चलेगा।

श्रीमन्, मुझे तीन मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप दो मिनट ले लीजिये।

श्री ऊदल—श्रीमन्, इतना ही नहीं है बल्कि इस माननीय सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि हम हिन्दुस्तान के पैमाने पर बिजली के लिहाज से पैदावार के तथा और सूबों से बहुत पीछे हैं। गत वर्ष इस विभाग का बजट पेश करते हुये मन्त्री जी ने कहा था कि हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हरदुआगंज, माताटीला और जमुना जल विद्युत योजना जिनको दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाना चाहिये था वे पूरे नहीं हो पाये। क्या मैं जान सकता हूं कि बहुत-सी हमारी योजनायें सन् १९४४, १९४६ और १९५४ में बनीं तो उनमें इतना विलम्ब क्यों हुआ ? जो योजनायें पांच साल पहले पूरी हो जानी चाहिये थीं वे पांच साल बाद पूरी हुई हैं। और उन पर जो खर्चा हुआ है अगर आप आंकड़ों को देखें, प्राक्कलन को देखें तो यह पायेंगे कि वे बहुत बढ़ गये। चाहे आप माताटीला को ले लीजिये, चाहे जमुना जल विद्युत योजना को ले लीजिये और चाहे किसी अन्य आयोजना को उठा कर देख लीजिये, कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें १००, ३०० और ३०० फीसदी

तक खर्चा न बढ़ गया हो। रख रखाव पर भी इतना खर्चा बढ़ गया है कि उस पर भी कन्ट्रोल की आवश्यकता है। मैं आप से मांग करना चाहता हूं कि जो आप के स्पेशलिस्ट्स हैं या जानकार लोग हैं उनको नक्शा और प्लान बनाने के लिये रखना चाहिये। बहुत से अनुभवहीन लोग आपने रख दिये हैं जिनकी वजह से हमारे प्लान ठीक नहीं बन पाते हैं और उन प्लान्स को बराबर बदलना पड़ता है। इसी तरह से सामान खरीदने के सम्बन्ध में भी एक बोर्ड होना चाहिये। वह विचार-विमर्श करने के बाद ही सामान को खरीदे।

कोयले के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसकी खपत ज्यादा हो गई है जिस से बिजली ज्यादा महंगी हो गई है। हमारे यहां रद्दी किस्म का कोयला आ रहा है जिसकी वजह से बिजली के दाम बढ़ गये हैं। मऊ के पावर हाउस को आप देखिये। वहां की हालत आज बहुत खराब है। आज कोयले की कमी की वजह से और मशीनरी की खराबी की वजह से बहुत से बिजली घर बन्द हो रहे हैं। हमारे यहां बिजली की बहुत कमी है। हमारे यहां के लोग औद्योगीकरण करना चाहते हैं और छोटे-छोटे उद्योगों को भी लगाना चाहते हैं। लेकिन बिजली के अभाव में कुछ नहीं हो पाता। आप सेंट्रल बिजली बोर्ड के कहने से दिल्ली के पास एक ग्रिड लगाना चाहते हैं। आप दूसरे सूबों को तो बिजली देना चाहते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है सरकारी प्रतिनिधियों की मार्च ६२ में एक बैठक दिल्ली में हुई थी उसमें हमारे यहां के भी प्रतिनिधियों में इस प्रकार का समझौता हो गया है कि दिल्ली के पास एक ग्रिड लगाया जाय और यह काम सेंट्रल विद्युत् बोर्ड के मातहत होगा। मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि जब स्वयं हमारे यहां बिजली की कमी है तो क्या वजह है कि दामोदर घाटी, मध्य प्रदेश और दिल्ली को बिजली दी जा रही है? मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाय, बिजली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, और मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिये एक वेतन आयोग की स्थापना की जाय। इन शब्दों के साथ मैं शर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सरकार की ओर से जो विद्युत् विभाग की रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें उसके लेप्सेज और प्राप्तियों का पूरा जिक्र है, उसका यहां पेश किया जाना नितान्त आवश्यक था। सरकार इतनी साफ रिपोर्ट पेश करेगी, इसकी विरोधी दल को कभी आशा न थी। सरकार ने जो जो काम किये हैं और विभाग में जो जो कमियां हैं उनका स्पष्ट उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। साफ तरीके से सरकार ने यह माना है कि किन किन दिक्कतों का सरकार को रिहन्द और माताटीला बांध के सम्बन्ध में सामना करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, और उन सब के होते हुये सरकार ने क्या काम किया, उस सब का जिक्र इस रिपोर्ट में है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज सदन में जो बिड़ला या माताटीला बांध आदि के सम्बन्ध में आलोचना की गई और जिस किस्म की आलोचना की गई, ठीक है, आलोचना होनी चाहिये, मगर इस प्रदेश की सकार ने, इस विद्युत विभाग ने, विद्युतीकरण के जो जो काम किये हैं, जो प्रगति की है, उसकी भी चर्चा माननीय सदस्यों को करनी चाहिये थी।

१,५०० गांवों को बिजली देने के वायदे की बात कही गई। यह वह गांव होंगे जो प्रदेश के ग्रिड सेंटर में होंगे और जहां पर कुछ आबादी होगी और जहां पर लघु उद्योग स्थापित करने से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जे० पी० मिश्र]

मार्टिन कम्पनी के बारे में भी आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने कार्य किया। सरकार ने लोगों को सजा भी दी। सरकार सख्त से सख्त सजा देने के लिये भी आज तैयार है और वह उसको ग्रांट भी देती है ताकि जनता को कोई दिक्कत न होने पाये। तो आपने देखा कि सरकार उस कम्पनी को एक तरफ ग्रांट भी देती है और दूसरी तरफ सजा भी देने को तैयार रहती है। जहां तक आपकी मांग राष्ट्रीयकरण की है, समय आने पर वह भी होगा। जब भी आवश्यकता होगी, बिजली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण भी अवश्य किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बिड़ला आदि के सम्बन्ध में जितनी बातें कही गई हैं वे सभी बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र इस सदन में पहले भी कई बार किया जा चुका है और उनका उत्तर भी माननीय उप मन्त्री जी द्वारा दिया जा चुका है। तो जिन बातों को यहां पर पहले कहा जा चुका हो, जिनका जवाब भी यहां पर दिया जा चुका हो, उन बातों को यहां बार-बार कहने से कोई लाभ नहीं होगा। आप एक बार जितने भी मामले हैं सब माननीय सदस्य के सामने रख दीजिये। बार-बार उन्हीं बातों का रेफरेंस देने से कोई लाभ नहीं। अमेरिका और रूस की बात कही गई। मुझे यह निवेदन करना है कि १९०३ में एक छोटा-सा बिजली घर आया। १९०६ में, १९२६ में और १९६२ में जबसे इस प्रजातंत्रात्मक गणतन्त्र की स्थापना इस देश में हुई है कितने ही बिजली घर बन चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने किस तरह से पैसे लिये हैं, मुझे दावा है और गर्व है विरोधी दल के एक एक क्वेश्चन का जवाब देन एंड देयर मिल सकता है, इतनी जानकारी विभाग की उनको है। इस प्रकार के तजुर्बेकार अधिकारी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि जनता इतना खर्चा होने के बावजूद लाभ उठा सके तो यह इस प्रदेश के लिये महान हितकर होगा और समाजवादी समाज की स्थापना में यह प्रथम कदम होगा।

अन्य प्रदेशों का मुकाबला उत्तर प्रदेश से करना कहां तक उचित है, इस पर आप विचार कर देखें। दूसरे प्रदेश पहले से कुछ बिजली का काम कर रहे थे और वहां सुविधायें पहले से थीं, यहां केवल इन्हीं योजनाओं का सहारा है। पहली और दूसरी योजनायें क्यों नहीं, उनके भी कुछ कारण हैं, लेकिन उसमें प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी कितनी है यह आपको स्वयं पता लग सकता है।

अब मैं अपने जिले के बारे में सरकार और मुख्यमन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में मैंने देखा है कि खीरी, शाजहांपुर, हरदोई और उन्नाव, इन चार जिलों में इस वर्ष में केवल एक नगर का विद्युतीकरण होगा। वैसे ही हम बहुत पिछड़े हुये हैं, राजधानी के पड़ोस में रहते हैं। राजधानी से दूर के इलाके रोशन हैं और माननीय मुख्य मन्त्री के घर के पीछे हम अन्धेरे में हैं। कृपा करके आप इनकी ओर विशेष ध्यान दें। हमें शिकायत नहीं है, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष या सन् ६४ में, पर इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका ध्यान इन जिलों की तरफ बना रहे तो उचित होगा। हरदुआगंज पावर स्टेशन से बिजली मिलने में अब कोई रोक नहीं है। मेहरबानी करके सिंचाई के कुओं के लिये, काटेज इंडस्ट्रीज के लिये आप एक लाइन खींच दें, एक योजना बना दें ताकि जिन जिलों में अब तक बिजली प्राप्त नहीं है वहां पूर्ण मात्रा में मिल सके। हम को सब्र है, हम सब्र कर सकते हैं, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारी योजना पूरी हो जानी चाहिये।

*श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् योजना पर जो अनुदान की मांग प्रस्तुत है उसके विरोध में विरोधी पक्ष ने जो विरोध का प्रस्ताव प्रस्तुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है, मैं उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं। वास्तव में किसी कवि का वचन कितना सार्थक है :

कल पुर्जों का ठाट-बाट जो भारत में दिखलाता है,
बन्धन है पराधीनता का जो हमें जकड़ता जाता है।

वास्तव में कल-पुर्जों का ठाट-बाट जो दिखलाई पड़ रहा है और जिसको देश में गौरव की चीज समझी जा रही है, वह पराधीनता का बन्धन है। आज इस बिजली के कारण ही चारों तरफ देश में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, ये सिनेमा वगैरह बिजली की ही देन हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि १५०० गांवों में बिजली लगेगी, उसको सुनकर मुझे वास्तव में बड़ा आघात पहुंचा। आज इस बिजली के कारण धनी धनी होता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। कानपुर शहर पर आप दृष्टि डालिये, पैसे वाले लोग करोड़पति होते चले जा रहे हैं और गरीब को किसी भी प्रकार से भोजन का सहारा भी नहीं मिलता। इन बिजली के पंखों के स्थान पर छोटे-छोटे बच्चों को पंखे खींचने को मिलते थे और उनकी रोटियों का साधन हो जाया करता था। एक कवि ने कहा है—

मान्य मनु के शास्त्र पर जब शस्त्र का अधिकार होता,
और ब्रह्म ज्ञान पर विज्ञान का जब वार होता,
क्षुब्ध मानव दानवों से जबकि नूतन हार खाता,
साधु दर-दर मार खाता चोर जग का प्यार पाता,
निराधार निरीह तक नर रूप धर साकार होता,
तब यहां भव भार हरने को सदा अवतार होता।

लंका में जब विज्ञान बहुत बढ़ गया तो वास्तव में भगवान को जन्म लेना पड़ा। कवि ने यह कहा है कि जब विज्ञान बढ़ता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। मेरी दृष्टि से वही समय अब आ रहा है। भारतवर्ष में बिजली बढ़ रही है, मैं इसके बिलकुल विपरीत हूं। मेरी भावना है कि इस अनुदान को किसी प्रकार से स्वीकार न किया जाय।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विद्युत् अनुदान के लिये विद्युत मन्त्री जी को बधाई देता हूं और उसका समर्थन करता हूं। हमारे यहां जो बिजली की योजनायें हैं उनसे हमारे प्रान्त को बहुत लाभ पहुंचा है। १९४६ में हमारे यहां बहुत कम बिजली और पावर हाउस थे लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने उसको बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया और बड़े-बड़े पावर हाउस बनवाये जिससे किसानों और उद्योग-धंधों को काफी राहत मिली। हमारे यहां थोड़ी-सी नहरों को छोड़ कर सिंचाई के और साधन बहुत कम थे लेकिन आजकल बहुत से ट्यूबवेल्स विद्युत् से चलाये जा रहे हैं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ रहा है।

माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल्स निल हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पूर्वी जिलों में सरकार ने ६५ हजार ट्यूबवेल्स पर खर्च करके बहुत से ट्यूबवेल्स लगवाये लेकिन वहां के लोगों ने उनका सही प्रयोग नहीं किया, नतीजा यह हुआ कि सरकार को उनसे कोई लाभ न हो सका, यहां तक कि उन पर जो कीमत लगाई जा चुकी थी वह भी वसूल न हो सकी। वे पूर्व पश्चिम की बात कहते हैं लेकिन पश्चिमी जिले कमाते हैं और पूर्वी जिलों को देते हैं। पश्चिमी जिले मेहनत करने वाले हैं और उनका कमाया हुआ रुपया लगाया जाता है पूर्वी जिलों पर। फिर भी माननीय सदस्य विरोधी दल के सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह]

पर दोषारोपण करते हैं। जब कि सरकार ने काफी उद्योग-धन्धों का और काफी सिंचाई का प्रबन्ध किया है फिर भी जब इस कल्याणकारी सरकार पर दोषारोपण किया जाता है तो तकलीफ होती है। फिर भी मैं बुराई नहीं मानता। जो विरोधी पक्ष वालों को कमी दिखाई देती हो वह कहें लेकिन जब कोई बात ठीक भी होती है फिर भी दोषारोपण किया जाता है तो दुख होता है।

रिहन्द डैम के बारे में माननीय सदस्यों ने आलोचना की लेकिन उनको यह भी नहीं मालूम कि कितनी मात्रा में जनहित के लिये बिजली दी जा रही है। उनको न जाने कहां से मालूम हो गया कि दिल्ली और दूसरे प्रदेशों को बिजली दी जायगी जब कि हमारी आवश्यकता ही उससे पूरी नहीं हो रही है। पूर्वी जिलों में इतना प्रबन्ध करने के बाद भी सरकार पश्चिमी जिलों को जिनको बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है बिजली नहीं दे पाई है। हां, थोड़े दिनों में प्रयत्न करने के बाद हमारे पास इतनी बिजली अवश्य हो जायगी कि हम उसका उपयोग न कर पायेंगे।

मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि लाइसेंस पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसको उठा लिया जाय और उद्योग-धन्धों के लिये प्रार्थना-पत्र देने पर बिजली दी जाय। लेकिन आज बराबर दरख्वात देने पर भी बिजली लोगों को नहीं दी जाती है, उद्योग-धन्धे वाले लोग परेशान हैं। उद्योग-धन्धों को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि उनके प्रार्थना-पत्र देने पर अवश्य बिजली दी जाय। इसी प्रकार से ट्यूबवेल्स को भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है जिससे सिंचाई के काम में बड़ी बाधा आती है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को बिजली के अनुदान के लिये बधाई देता हूं और आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस अनुदान को पास करे।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से पेश हुआ है तथा माननीय सदस्य श्री नोकराम शर्मा ने पेश किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, किसी देश की तरक्की के लिये यह आवश्यक होता है कि यह देखा जाय कि वह देश कितना पावर पैदा करता है, कितना कोयला पैदा करता है और कितना इस्पात पैदा करता है और उसके आंकड़े से ही हम यह जान सकते हैं कि उस देश की और उस प्रदेश की औद्योगिक प्रगति क्या है।

हमने १५ अगस्त, १९४७ को स्वराज्य पाया और तब से लेकर आज सन् ६९ के अन्दर तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण से हम गुजर रहे हैं, हमको यह जरूर उम्मीद थी कि इस चरण के गुजरने के बाद हमारा प्रदेश भारतवर्ष के और प्रदेशों के मुकाबले सही तरीके से अपना एक स्थान रखेगा, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े तृतीय पंचवर्षीय योजना की इस किताब में दिये गये हैं, श्रीमन्, मुझे बहुत खेद होता है कि जो हमारी आज प्रगति है वह बहुत धीमी है। हम बहुत धीमे तरीके से औद्योगीकरण की तरफ, बिजली के उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपसे और आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो तालिका दी गई है उसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली का उपयोग कितना किया गया, अगर उसको देखा जाय तो हम देखेंगे कि ८०.८०० औसत उपयोग पश्चिमी बंगाल में, गुजरात और महाराष्ट्र में ६०.१०० औसत उपयोग हमने बिजली का किया और इस प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम अर्थात् १२.७०० किया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश में उद्योग-धन्धे सरकार ज्यादा खोलना चाहती है, बावजूद इसके कि और प्रदेशों के मुकाबले में इस प्रदेश के किसानों से सबसे ज्यादा मालगुजारी ली जाती है, लेकिन जहां तक बिजली के उत्पादन का सम्बन्ध है और उसके उपयोग का सम्बन्ध है, और प्रदेशों के मुकाबले हमारे प्रदेश में बहुत कम है। यही इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से औद्योगीकरण के रास्ते पर बढ़ रही है, और पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहती है? (व्यंग्य) श्रीमन्, आपके द्वारा मैं बहुत अदब के साथ

निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में आज ऐसी-ऐसी चीजें पैदा की जा रही हैं इस बिजली के जरिये कि चमत्कार हो रहा है। आज स्पुतनिक पैदा की जा रही है जिससे हम दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं। आज बड़े-बड़े ऐसे थर्मल पावर प्लान्ट लगाये जा रहे हैं लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश में और खास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नक्शा इस तालिका में पेश किया गया है, उस तालिका से हमें बड़ी निराशा हो रही है। मेरे यहां जो हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर स्टेशन गोरखपुर में है, उसके साथ ही साथ गोरखपुर में झांसी बिजली कम्पनी का भी पावर स्टेशन है। दोनों पावर स्टेशनों के द्वारा जो बिजली का वितरण होता है, इसके बावजूद कि हजारों आदमी गोरखपुर के शहर के आज बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं लेकिन वहां पर भी वितरण में राजनीति बरती जाती है और बिजली देने में इस तरीके से उन उपभोक्ताओं को जो सालों से प्रार्थना-पत्र दिये हैं दिक्कत उठानी पड़ रही है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि आज बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। आप कहते हैं कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में १,५०० गांवों का विद्युतीकरण करेंगे लेकिन अभी तो आप जो बड़े-बड़े शहर हैं और जहां म्युनिसिपैलिटीज हैं वहीं आप उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे पाते हैं तो आपसे क्या उम्मीद करें कि आप उन गांवों के रहने वाले निरीह किसानों को बिजली दे सकेंगे जिनको कि उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के लिये आज बिजली की सख्त जरूरत है। बहुत से माननीय सदस्यों ने जो उधर बैठे हैं कहा कि यह जो तालिका और पुस्तक बटी है यह इस बात का सबूत है कि हम बिजली के क्षेत्र में कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर माननीय सदस्य ध्यान से देखें तो साफ साबित हो जायगा कि यह बिजली के जो आंकड़े इकट्ठा किये गये हैं, वह सिर्फ हर जगह से लेकर कूड़ा-कर्कट इकट्ठा कर दिया है, कुछ फोटो उस में लगा दिये गये हैं और सब की एक सुन्दर जिल्द बनवा दी गई है और इसी को आधुनीकरण का नाम देकर कह रहे हैं कि प्रदेश तरक्की की तरफ जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से यह बिजली के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था चल रही है उसके लिये एक हाई पावर कमीशन की आवश्यकता है कि जो इस सारे मसले पर जांच करे जिससे कि हम सही तरीके से उन लोगों के पास जो आज चाहते हैं कि हमें औद्योगीकरण के लिये बिजली मिले और जो अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना चाहते हैं उनको हम बिजली दे सकें। लेकिन आज बिजली किस को दी जाती है? आज बिजली बिड़ला कम्पनी को दी जायगी, ऐसे लोगों को दी जायगी जो मन्त्रियों के रिश्तेदार होंगे, जो उनके हितैषी होंगे, दोस्त होंगे या जिनकी सिफारिश किसी मंत्री ने कर दी होगी लेकिन जो गरीब आज माननीय मंत्री जी की खस की टट्टी में नहीं पहुंच सकते उनको बिजली देने के लिये कोई समाजवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। इसलिये मैं कहता हूं कि आज इस बात की जरूरत है कि एक हाई पावर कमेटी बनाकर जांच कराई जाय कि बिजली का वितरण किस तरह से हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि आज बिजली का जो सब से बड़ा करिश्मा है वह देखने को मिलेगा उन नलकूपों पर जहां कि ८ घंटे ७ घंटे या ३-४ घंटे ही बिजली मिलती है और उसके बाद बिजली बन्द हो जाती है और वह निरीह किसान जो अपने खेतों में पानी के लिये तरसते होते हैं और जो पानी के लिये आशा लगाये होते हैं उनकी बुरी हालत हो जाती है और बिजली की कमी के कारण उन के खेतों को पानी नहीं मिलता और वह सूख जाते हैं। स्थिति यह होती है कि उनसे अलग से सरचार्ज लिया जाता है और जबरदस्ती सिंचाई एक्सट्रा रकम के रूप में वसूल की जाती है। हालांकि उसके खेत में पूरा पानी नहीं पहुंच पाता।

[श्री नरसिंह नारायण]

मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं कि यह जो दोषपूर्ण सिस्टम चल रहा है वितरण का उसके लिये एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो सारे सूबे की जांच करे कि किस तरह से वितरण हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के समक्ष इस समय प्रस्तुत है, अनुदान संख्या ३३, ३४, ३५ और ५०, उनके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार की योजनायें बहुमुखी योजनायें हैं और उन्हें चारों तरफ देखना है। किस क्षेत्र में किस दिशा में कितने कार्य करने हैं इन सब पर ध्यान देना पड़ता है। मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने विस्तार पूर्वक बिजली योजना के सम्बन्ध में सारी बातें रखीं और बताया कि हमने अपने सीमित साधनों के द्वारा जितने भी प्रयत्न विद्युत् योजनाओं के लिये कर सकते थे, किये। यह बात सही है यह सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है प्रत्येक दिशा में तेजी से काम करना चाहती है लेकिन साधन सीमित हैं। कहने की बात दूसरी होती है लेकिन उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिये अनेक बाधायें सामने उपस्थित हो जाती हैं। जिस दिशा में हमारी योजनायें चल रही हैं, जो हमारे पास साधन हैं योजनाओं को चलाने के लिये जो वस्तुयें हैं वे बहुत थोड़ी हैं। यह अच्छी तरह मालूम है कि हम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले थोड़ा-सा पीछे अवश्य हैं लेकिन साथ ही यह बात भी अपनी जगह सही है कि जो भी हमारा कदम हो चाहे उसमें तेजी न हो जो कुछ हम करते हैं या कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, जिस तरह से हम सोच रहे हैं, उसमें बहुत मजबूती है और पूरी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह बात सही है जितनी विद्युत् की हमें आवश्यकता है उतनी पूरी नहीं हो सकी। पर साथ ही यह भी सही है कि सरकार उसकी पूर्ति में लगी हुई है लेकिन साधनों की कमी हमारे मार्ग में रोड़ा बन कर खड़ी हो जाती है। जितने विकास के हमारे कार्य हैं वे अभी पूरे नहीं हुए। तो कैसे हम कह सकते हैं कि विद्युत योजना हमारी पूरी हो चुकी है। लेकिन यह बात जरूर है जिस दिशा में हमने कार्य किया है जिसकी मिसाल रिहन्द बांध है, वह इस बात का प्रमाण है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तीसरी योजना में १,५०० गांवों में बिजली पहुंचाने की हमारी योजना है। इस समय १९३ स्थानों पर बिजली देने की योजना पूर्ण हो चुकी है और बिजली देने जा रहे हैं। इसलिये हमारी नीयत पर हमला करना गैरमुनासिब है।

आलोचना प्रजातंत्र में आवश्यक है क्योंकि इससे सरकार की कमियां सामने आती हैं जिन्हें सरकार दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी एक बुनियाद होनी चाहिये जो बात कहें उसका सबूत होना चाहिये क्योंकि हम बहुत जिम्मेदार व्यक्ति यहां चुनकर आये हैं। हर बात को जिम्मेदारी से कहना चाहिये।

कहा गया कि बिड़ला जी को हमने सस्ते रेट पर इतनी बिजली दे दी और सार्वजनिक कार्यों के लिये बिजली हम नहीं दे रहे हैं। यह आक्षेप सही नहीं है। बिड़ला जी को जो बिजली हमने दी है वह भी सार्वजनिक कार्यों के लिये दी है। वह बिजली हमारे सार्वजनिक कार्यों में ही खर्च होने जा रही है। उसका फायदा हमारे प्रदेश के किसान और रहने वाले लोग ही उठायेंगे। यह बात मुनासिब नहीं मालूम होती है कि एक तरफा यह बात कह दी जाय कि हमारी नीयत ठीक नहीं मालूम होती। हमारे माननीय दोस्त विरोधी दल के यह सोचें कि आज हमारा प्रदेश किस स्थिति में है? इस प्रदेश में जितनी योजनायें हैं वे बहुत पीछे हैं और यह दावा कभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया कि हमारी योजनायें सब सफल हो गयीं, किसानों की तकलीफें दूर हो गयीं, विद्या, मकान, भोजन तथा दवा के क्षेत्र में जितनी आवश्यकतायें इंसान की होती हैं उनको हमने पूरा कर लिया। हां, यह दावा जरूर है कि हम ईमानदारी से इस बात की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्य इन क्षेत्रों में करें और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली के क्षेत्र में हमने संतोषजनक कार्य किया है। जिस स्थिति में आज हम प्रदेश में हैं जो हमारी मालीहालत है, हम उसे देखते हुए विद्युत मंत्री को बधाई देंगे कि उन्होंने संतोषजनक कार्य इस क्षेत्र में किया है और आगे भी उम्मीद है कि ५,६ योजनायें जो हमारे सामने हैं वे तीसरी पंचवर्षीय योजना में सफल हो गयीं तो हमारी बिजली की शक्ति बहुत बढ़ जायगी जिसकी वजह से हम उन क्षेत्रों में तेजी के साथ आगे बढ़ सकेंगे जिन क्षेत्रों में चल कर हमें प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति को आगे बढ़ाना है।

मैं सुलतानपुर का रहने वाला हूं। उसमें चार तहसीलें हैं। सदर तथा कादीपुर तहसील में तो बिजली है लेकिन अमेठी तथा मुसाफिरखाने में बिजली नहीं पहुंच पाई है वहां भी माननीय मंत्री बिजली पहुंचाने की कृपा करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा जो लक्ष्य है उससे हम आगे बढ़ सकेंगे और पूर्ण रूप से तरक्की करके बिजली की कठिनाई को भी हम पूरा कर सकेंगे।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली ऐसी चीज है जिसके पैदा होने से प्रकाश आ जाता है और प्रकाश को कौन नहीं चाहेगा? इस विषय पर जितना भी अधिक खर्च माननीय मुख्य मंत्री जी करें, कम है और हम उस पर जो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं वह एक विरोधाभास अलंकार के रूप में है। यों तो आप स्वयं प्रकाश दे रहे हैं लेकिन जब आप गुप्त हो जाते हैं तो आपकी बिजली ही बड़े जोर का प्रकाश देती है, चमक जाती है और चकाचौंध कर देती है। लेकिन बिजली का कितना अधिक उत्पादन किया जाय, कम खर्च से कितनी अधिक बिजली बनाई जाय, उसका कितना सही वितरण किया जाय और हर जगह उसको समाजवादी सिद्धान्तों के अनुरूप बांटा जाय, पूंजीपतियों को ही लाभान्वित न किया जाय तो अच्छा होगा। समाजवाद का सिद्धान्त है कि प्राकृतिक साधनों पर मानव का समान अधिकार होना चाहिये। जल से विद्युत प्रकट होती है। माननीय नेकराम जी ने कहा कि पहाड़ पर ही बिजली क्यों खर्च की जाती है? जब पहाड़ से गंगा निकलती है, जमुना निकलती हैं, उससे जल निकलता है और उससे बिजली निकलती है जो सब जगहों को प्रकाश देती है तब चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री जी भी अपने दो प्राकृतिक प्रकाशमान नक्षत्रों के होते हुए बिजली का उत्पादन वहीं से होने के कारण वहीं उसको अधिक खर्च करते हैं। मेरी समझ में तो उनका यही तर्क आता है। लेकिन प्रश्न यह है कि आपने जितनी बिजली पैदा की वह अन्य प्रदेशों से कम है। आपने स्वयं अपनी पुस्तिका में अपनी गलतियों को माना है। आपकी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के ३८ से ५६ पेज तक मैंने पढ़ा कि कितना रुपया आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफार्मर ले जाने में और उसके अनुपयुक्त रहने में व्यर्थ खर्च किया गया, किस प्रकार से आप ऐसे पूंजीपतियों के पीछे चले, सस्ते में कन्ट्रैक्ट उनसे किये, और काम नहीं भी हुआ। कितनी योजनायें आपने शेख-चिल्ली की तरह बनायी और छोड़ीं। इसी में आपका समय बरबाद हुआ। ये चीजें आप दोबारा न दोहराइये। आप में विद्युत् जैसी शक्ति है। विद्युत् से ही सारी शक्तियां प्रस्फुटित होती हैं, कारखाने चलते हैं और आटा चक्की तक देहात में चलती है। इसलिये इस बड़ी भारी शक्ति को जिसे मुझ जैसा व्यक्ति, जो ईश्वर पर उतना विश्वास नहीं करता, भगवान मानता है, आपको भगवान को अपने कंट्रोल में करने वाला समझ कर यह चाहूंगा कि आप इस विद्युत् रूपी भगवान को इस प्रकार से सब को दीजिये कि किसी को शिकायत करने का मौका न रहे। मेरे फतेहपुर जिले में आपने ७ आने प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी है। बड़ी मुश्किल से कानपुर से सप्लाई होती है। लेकिन वहां शाम को ही बिजली के खम्भों से प्रकाश बन्द हो जाता है। लखनऊ में तीन आने प्रति यूनिट बिजली मिलती है। पिछड़े हुये जिलों को सस्ती बिजली दे कर आप एक नया नाम कमा सकते हैं। मेरे जिले में कई जगह आपने बिजली की योजनायें रखी हैं लेकिन

[श्री दीपनारायण सिंह]

गांव ऐसे चुने हैं जो नेताओं के गांव हैं। उन गांवों में न उद्योग-धन्धों की सम्भावना है, न विकास की सम्भावना है। मेरे जिले में किशनपुर मंडी है जहां दुकानदार बनिये लोग रहते हैं और खागा से पक्की सड़क से कनेक्टेड (नत्थी) है। वहां के लिये आपकी कोई योजना नहीं है। मैं मानता हूं कि सन् ६१ में जो योजना फतेहपुर के लिये बनी वह आपके समय में नहीं बनी, लेकिन आप उसको सुधार लीजिये और इस तरह की गड़बड़ियां जिन जिलों में हुई हों उनको ठीक करके प्रकाश दीजिये ताकि कारखाने चल सकें और वहां की जनता खेती से हट कर उद्योग-धंधों में लगायी जा सके। मुझे आशा है कि मुख्य मंत्रीजी इस दिशा में ध्यान देंगे।

दूसरे, माननीय ऊदलजी ने बात सही कही और वह उस कहावत को चरितार्थ करती है कि "अन्धा पीसे कुत्ते खायं"। ऐसा न हो कि बिड़लाजी और दूसरे बड़े-बड़े पूंजीपति आपकी द्वारा उत्पन्न की हुई बिजली को हज्म करते जायं और आपको शक्ति देने वाले जनता के लोग उससे महरूम रह जायं। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि अपने लिये स्वयं और प्रान्त की जनता के विकास के लिये इन पूंजीपतियों से इस दिशा में नाता तोड़ लीजिये। आप अच्छी बिजली उत्पन्न करते हैं। लेकिन पूंजीपतियों को सस्ती देते हैं और हमको तेज देते हैं। हम आपको शक्ति देने चले आये हैं और आप हमारे रहनुमा हैं। इसलिये माननीय ऊदल की बात सही है कि अगर आप एक ही आइटम को लेकर राष्ट्रीयकरण करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो समाजवादी समाज का नया आदर्श उपस्थित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इतने कम समय में मेरे कम सुझावों को माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनके हाथ में सर्वशक्तिमान बिजली आ गई है और रहेगी, पूरे तरीके से कार्यान्वित करेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्यों कि बेकार की आलोचना करना ठीक नहीं है।

*कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के ऊपर काफी देर से दोनों पार्टियों की तरफ से बहस हो रही है और इस पर काफी आलोचना भी की जा चुकी है हमारी सरकार की। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश में बिजली की बहुत कमी थी और कोई देश जब ही तरक्की कर सकता है जब भारी मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सके। इन १०-१५ वर्षों में हमारी सरकार बिजली की योजनायों में ही संलग्न रही, जैसे मातातीला रिहन्द, यमुना जल विद्युत योजना, राम गंगा जल विद्युत योजना तथा कानपुर के थर्मल स्टेशन्स आदि। मालूम होता है कि इनको पूरा करने में हम लोग कामयाब रहे। विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण हमारी योजनाओं में विलम्ब हुआ और साथ ही हमारी नातजुर्बेकारी थी और हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की थी और हमको शासन करने का तजुर्बा नहीं था इसलिये इससे विलम्ब हुआ और गलतियां हुईं, जिनको हम बाद में सुधार पाये।

मैं आपके सामने थोड़ा-सा स्टेटमेंट मंथली 'भागीरथ' जो मार्च, १९६२ का है, उसमें से पढ़कर सुनाता हूं, इसको यादवमोहन जी ने लिखा है। इसको मैं इसलिये पढ़ रहा हूं कि इससे मालूम होगा कि हम कितनी तरक्की कर पाये हैं। वह इस प्रकार है कि—

"The power development programme envisaged in the Third Plan is such that by the close of the Plan period, the aggregate capacity of the Plants in commercial service and under erection is expected to be about 13½ million kW. This represents an increase in the installed generating capacity of 123 per cent over this at the end of the Second Plan. With the completion of this programme, the per capita consumption would rise from 45 units in 1961 to 95 units in 1966, and the demand in the country might be met to a very large extent."

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब विदेशी मुद्रा के बारे में दो पंक्तियां और लिखी हैं उनको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि :—

"We are in a position that almost all the power projects included in the Third Plan have been tied with one or another."

इससे यह स्पष्ट होता है कि हमको विदेशी मुद्रा इतनी भारी मात्रा में मिल रही है कि हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वे सब सम्पूर्ण हो जायंगे। तो श्रीमन्, यह विरोधी दल की आलोचना है कि हम बिजली पैदा नहीं कर सके, यह सत्य से परे है। इस पुस्तिका में ज्यादा बिजली उत्पन्न होने की सम्भावना के कारण ही जिलाधीशों को अधिकार दे दिया गया है कि वे २५ किलोवाट तक बिजली के कनेक्शन अपने यहां दें।

श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि कि अक्सर यह देखा गया है कि लाइसेंस के मिलने और कार्यान्वित होने में बहुत विलम्ब होता है। उसका कारण क्या है? मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि क्या हमने यह सोचा है कि जिलाधीश महोदय जब यह सब लाइसेंस देंगे तो उसके लिये कोई प्लान इस तरीके का किया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन या मीटर या और साधन पर्याप्त मात्रा में वहां उपलब्ध हो सके हैं, या नहीं? परसनल तजुर्बे से मुझे मालूम है कि यदि एक लाइसेंस मिल जाता है तो उसमें बड़ी कठिनाइयां और अड़चनें पड़ जाती हैं। इसलिये परम आवश्यक है कि ट्रांसमिशन लाइन और मीटर वगैरह हम वहां उपलब्ध करें।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि १५०० गांवों में केवल बिजली देना और वह भी १२ वर्ष के अन्दर, यह वाकई मेरी समझ से अपर्याप्त होगा। प्रदेश के जिन हिस्से में ट्यूबवेल्स बहुत बड़ी मात्रा में लगाये गए हैं, मेरा सुझाव है कि वहां ५० परसेंट पर यूनिट का कन्सेशन उनको देवें तो कृषकों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। इस बिजली से उनको जो प्रोत्साहन मिलेगा उससे उद्योगीकरण की तरफ उनका दिमाग बढ़ सकेगा।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चरल कन्ज्यूमर और इंडस्ट्रियल कन्ज्यूमर दोनों में कोई अन्तर नहीं किया गया है। उनके रेट्स एक रखे गये हैं। मेरा सरकार से और राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन है कि ऐग्रीकचरल कन्ज्यूमर्स को रेट्स में ५० परसेंट कसेशन मिलेगा तभी ऐग्रीकल्चरिस्ट इसकी तरफ चल सकेगा। ऐग्रीकल्चरिस्ट्स हमारे प्रदेश के एक बहुत पिछड़े हुए कन्जर्वेटिव लोग हैं। उनको जब तक प्रलोभन और एन्करेजमेंट नहीं मिलेगा तब तक वह किसी हालत में भी बिजली लेने के लिये तैयार नहीं होंगे। तो श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि इसके लिए सबसिडाइज्ड रेट्स पर ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को बिजली दी जावे ताकि वह अधिक मात्रा में बिजली लेने में समर्थ हो सके।

अन्त में, मेरा निवेदन श्रीमन्, यह जरूर है कि हम जो वायदे करें उनको इम्प्लीमेंट करने के लिये हम ट्रांसमिशन लाइन्स इत्यादि की जो उनकी आवश्यकतायें हैं उनके लिये भी प्रबन्ध करें। साथ में मुझे यह भी मालूम हुआ है कि हमारे यहां लाइन इंसपेक्टर आदि की और स्टाफ की बहुत कमी है। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इलेक्ट्रिसिटी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज बहुत खुश हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया है जिसके लिये मैं बहुत आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी से बिजली पैदा होती है और जिसमें पानी न हो उसमें प्रकाश नहीं हो सकता है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, जो पानीदार हैं यह प्रार्थना करता हूं कि.....

एक सदस्य—यह आप पढ़ रहे हैं ।

श्री प्रेमसिंह—मैं पहली दफा बोल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, एक मर्तबा आप बोल चुके हैं । खैर बोलिए ।

श्री प्रेमसिंह—मैं प्वाइन्ट देख रहा हूं ।

तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, जो पानीदार हैं, यह प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी पैदा की हुई बिजली को हम सबको कम दामों पर देने की कृपा करें । यहां पर मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं जो माननीय सदस्य महोदय के जवाब में है ।

श्री अध्यक्ष—देखिये, यहां का तरीका शेर पढ़ने का नहीं है । आप अपनी बात कहिये ।

श्री प्रेमसिंह—हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक ।

अब मैं आगे चलता हूं । मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । बिजली रोजमर्रा के कामों में ही नहीं बल्कि हमारे रोजगार और उद्योगधन्धों को तरक्की देने का भी एक साधन है । लेकिन इस महत्वपूर्ण दिशा में सरकार की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है वह सोचने की बात है । बड़े बड़े मिल मालिकों को बिजली सस्ते दाम पर दी जाती है लेकिन गरीब किसान को, जो बिजली दी जाती है वह बहुत ही महंगी होती है जिसकी वजह से गरीब किसान बिजली लेने में अपने को असमर्थ पाता है । इतना ही नहीं वह अपने रोजमर्रा के कामों के लिये, अपने छोटे-मोटे उद्योग-धन्धों को चलाने के लिये बिजली लेने की हिम्मत ही नहीं करता है । क्योंकि बिजली की दर इतनी महंगी है कि वह गरीब किसान उस बिजली को नहीं ले पाता है । इस तरह से हमारी १५ साल की आजादी के बाद भी, गरीब बिजली के सहयोग से वंचित है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिये, उनके उद्योग-धन्धों में तरक्की करने के लिये और इस सम्पूर्ण समाज की रचना के लिये, किसान और मजदूरों को भी उसी कीमत पर बिजली देनी चाहिये जितनी कीमत पर यह जितनी प्रदेशीय सरकार बिजली टाटा और बिड़ला को कम कीमत पर देती है । आज यह होता है कि अगर कोई किसान विद्युत शक्ति के द्वारा अपना कोई कारोबार चलाना चाहता है तो यह प्रदेशीय सरकार बिजली की मन्जूरी देने में सालों लगा देती है जब कि मिल-मालिकों और सेठ-साहूकारों को यह सुविधा केवल कुछ ही दिनों में मिल जाती है । इस प्रजातंत्र के युग में जब तक यह सामाजिक विरोधाभास का अन्त नहीं होता है यानी गरीब जनता और मिल-मालिकों को एक भाव यानी एक दाम पर बिजली नहीं मिलती है तब तक न इस समाज की उन्नति हो सकती है और न इस प्रदेश की उन्नति हो सकती है और न इस देश की उन्नति हो सकती है । अतः देश, प्रदेश औसर समाज की उन्नति के लिये एक दाम पर सबको बिजली देनी चाहिये ।

पांचवी बात, आज हम देखते हैं कि हमारी गरीब जनता जब अपने घरों में एक दीपक भी नहीं जला पाती, वहीं दूसरी तरफ हमारे इस सचिवालय में तथा अन्य सरकारी भवनों में असंख्य बिजली के बल्ब २४ घन्टे बेकार जला करते हैं । इस व्यवस्था से भगवान ही बचाये । अगर यही विद्युत शक्ति को जो बेकार में नष्ट होती है उसे इसी तरह लखनऊ के उन मोहल्लों में पहुंचा दिया जाता जिसमें की गरीब मजदूर रहते हैं और जिनको आज तक अपने घरों में बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं तो उनको सुविधा मिल जाती ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि बिजली के विषय में जितनी शिकायतें हैं उनको सरकार दूर करने की कोशिश करे तथा जो कर्मचारी बिजली के कारखानों में काम करते हैं उनकी भलाई के लिये सरकार कोई निश्चित कदम उठाये । तब ही इस प्रदेश की जनता का कल्याण हो सकता है यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम चाहे जितनी योजनायें बनायें इससे कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पावर की कमी है यह उस तरफ के साथियों ने कहा और इस बात को हम मानते हैं। श्री उग्रसेन जी और श्री नेकराम शर्मा जी ने यह बात कही कि यह बताना चाहिये कि किस कारण यह कमी है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बतलाया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक काल में हमारी बिजली बनाने की जो स्कीमें थीं वह हमारे नहीं बल्कि किन्हीं अन्य कारणों से चल नहीं सकीं । जमुना की एक स्कीम जो हमने १९४८ में प्रारम्भ की थी पैसे की कमी की बजह से एक बार बंद करनी पड़ी । फिर दूसरी बार जब हमने वह स्कीम चलायी तो हम को बतलाया गया कि पंजाब सरकार जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने भी बतलाया कौंच जमुना के नीचे एक बड़ा भारी रिजरवायर बनाना चाहती है और उससे बहुत पानी और बिजली का इंतजाम हो सकेगा । उस स्कीम के चलने से हमारी जमुना की स्कीमें जो पावर हाउस वगैरह बनने वाला था वह सब डूब जाता और इसलिए हमारे लिये यह आवश्यक था कि हम उस अपनी स्कीम को न चलावें और इस कारण हमारी वह स्कीम पिछड़ गयी । इसमें हमारा या हमारे इंजीनियर्स का क्या दोष ? गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलायी थी और अगर वह कौंच बांध की स्कीम पूरी हो जाती तो हमारे प्रदेश में जो बिजली की कमी थी वह दूर हो जाती । इसके अतिरिक्त हमने माताटीला की एक स्कीम प्रारम्भ की थी । हमारा बांध वहां बन गया और हमारे पावर हाउस के लिये चैनेल आदि भी बन गया लेकिन देश की स्थिति कुछ ऐसी हो गयी कि हमको फारेन एक्सचेंज नहीं मिल सका। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमको पैसा नहीं दिया तो हम उसे कैसे आगे चलाते ? यही हरदुआगंज की स्कीम में भी हुआ । लेकिन आज हमारी वह मुसीबत के दिन कट गये हैं । किसी दिन जरूर हमारे प्रदेश में बिजली की कमी थी । जैसा कि श्री नेकराम जी और दूसरे साथियों ने कहा, यह जरूर है कि पहले हमारे पास इतनी बिजली नहीं थी कि हम प्रदेश के सारे कुओं को भी बिजली दे सकते, लेकिन इसके बावजूद हमने उनको बंद नहीं किया । हमने उनके लिये रोस्टरिंग किया । कुछ घंटों के लिये ही बिजली दी, लेकिन हमने उनको बिजली दी । हमने उनको भले ही रात में बिजली दी, किसी को दिन में बिजली दी, लेकिन बिजली दी और उनको बंद नहीं होने दिया । कुछ पुराने डीजिल सेट्स का हमने इंतजाम किया, कुछ नये डीजिल सेट्स लगा कर हमने कुछ कुओं को बिजली दी और उनको चलाया और इसके अलावा मेरे पास फीगर्स हैं । पिछले जमाने में हमने काफी मात्रा में जो हमारी लाइसेंसिंग कम्पनियां हैं उनके एरिया में और कानपुर के एरिया में निरंतर बिजली दी है । आज वह रोस्टरिंग का दिन दूर हो गया है और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम यहां यह एलान कर सकें कि हमने हरदुआगंज में अपना पावर स्टेशन चलाना प्रारम्भ कर दिया है और उससे हमें करीब करीब १०,००० किलोवाट बिजली मिल रही है । जो बिजली हमने तीन रोज में गंगा शारदा ग्रिड को दी है उसके फीगर्स में आपको बतलाना चाहता हूं । १४ तारीख को १०२.७ मेगावाट बिजली हमने दी । उसमें १४ मेगावाट का रोस्टरिंग हमने किया । १५ तारीख को ११४.७ मेगावाट बिजली हमने ग्रिड को दी जिसमें २ प्वाइंट कुछ का रोस्टरिंग हमने किया और १६ तारीख को १०६.३ मेगावाट बिजली हमने गंगा शारदा ग्रिड को दी और १२ मेगावाट का रोस्टरिंग हमने किया । उसके बाद ११६.६ मेगावाट बिजली हमने दी है और कुल ३.६ मेगावाट का रोस्टरिंग हमने किया है ।

यह आप जानत हैं कि आज वर्षों से हमारे इस प्रदेश में रोस्टरिंग हुआ करता था। इससे पहले हमने यह वायदा किया था कि हम यह प्रयत्न करेंगे कि कम से कम ट्यूबवैल्स में रोस्टरिंग न हो । जैसा अभी मैंने कहा कि केवल ३·६ वाट्स का रोस्टरिंग हुआ है और हमें विश्वास है कि आगे आने वाले ४, ५ दिनों में रोस्टरिंग बिल्कुल बंद कर देंगे और पर्याप्त मात्रा में हमारे यहां बिजली मिलने लगेगी ।

श्री उग्रसेन—रोस्टरिंग जरा समझा दीजिये कि क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—रोस्टरिंग उसको कहते हैं कि जब बिजली पर्याप्त मात्रा में न हो तो एक जगह दो चार घंटे देकर, वहां पर बन्द करके दूसरी जगह उस को दें। यह प्रथा बहुत दिनों से चल रही थी। लेकिन अब हम उस प्रथा को खत्म करने जा रहे हैं। हमने यह भी किया है कि जिलों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया है कि वे १० से ५० हार्स-पावर तक की बिजली दे सकेंगे। इसके साथ ही जो बहुत से प्रोसेस थे जैसे आटा चक्की, धान कूटने की मशीन और आरामशीन इनको हम बिजली नहीं दिया करते थे, अब हमने वह पाबन्दी भी हटा ली है और अब उसके लिये भी बिजली दे सकेंगे। धीरे-धीरे ऐसा भी हमारा विश्वास है कि जो पावर हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी है उसे हम पूरा फ्री कर देंगे। कानपुर में हमने बिजली बहुत इकट्ठा की और वहां हमने यह आदेश दे दिये हैं कि ५० किलो-वाट तक बिजली कम्पनी फ्री दे सकेगी यानी वह अपने आप दे सकेगी। अभी तक वहां काफी कमी थी शहरों और देहातों में। अब वहां जैसा मैंने बताया मुख्य मंत्री जी ने आदेश दे दिये हैं ५० किलोवाट तक बिजली कम्पनी अपने आप दे देंगी।

रिहन्द डेम की बिजली बन जाने से बनारस और इलाहाबाद में पर्याप्त मात्रा में बिजली हो गयी है और हमने आदेश जारी कर दिया है कि २५ किलोवाट तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और १० किलोवाट्स तक कम्पनी खुद दे दिया करेंगे। आज तक कम्पनियों के देने पर रोक लगी हुई थी।

लखनऊ में बड़ी कमी थी बिजली की, लाइट तक के लिये हम बिजली नहीं दे सकते थे आप को मालूम है कि २५० वाट बिजली देने में बड़ी मुशकिल पड़ा करती थी लेकिन अब हमने ऐसा इन्तजाम किया है कि हरदुआगंज से मार्टिन को १ हजार किलोवाट मिलेगी और दो हजार किलोवाट तक हमने बिजली उस को फ्री कर दिया है और अब पंखों और किसी और काम के लिये लखनऊ में बिजली कम्पनी अपने आप दे दिया करेगी और हमें विश्वास है कि तीन चार महीने में हम लखनऊ में भी पर्याप्त मात्रा में बिजली दे सकेंगे। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया कि हमारी दूसरी मशीन हरदुआगंज में तैयार होने वाली है और जैसे ही उसकी बिजली मिल जायगी तो गंगा और शारदा ग्रिड में भी बिजली की कमी नहीं रहेगी। जब बरसात शुरू हो जायगी उस वक्त हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं उसके लिये बिजली की आवश्यकता नहीं रहेगी उसके बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि जून के महीने तक हमारे शारदा और गंगा ग्रिड में बिजली की कमी नहीं रहेगी। आपके द्वारा में अपने साथियों को यह भी बताना चाहता हूं कि जहां तक शारदा और गंगा ग्रिड का सवाल है कि बिजली की कमी समाप्त हो जायगी और जो लोग बिजली चाहेंगे उनको हम पर्याप्त मात्रा में बिजली दे सकेंगे।

हमने यह भी किया है कि जहां हम रात में बिजली देते थे खास तौर से कोल्ड स्टोरेज और दूसरे प्रोसेस के लोगों को, अब हमने उन पर से पाबन्दी हटा ली है। और अब वह लोग जिनको रात में बिजली मिली हुई थी कोल्ड स्टोरेज के लिये वे अब दिन में भी बिजली को इस्तेमाल करेंगे।

उग्रसेन जी ने एक सवाल उठाया कि हमारी समझ में यह पालिसी नहीं आती है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में आप कोई भेद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी मदद देते हैं और पब्लिक सेक्टर को भी चलाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो बिजली है, जैसा हमने कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमारे पास कुल ढाई लाख किलोवाट बिजली थी और करीब ८० हजार किलोवाट बिजली इन प्राइवेट कम्पनियों के पास थी। यह पालिसी बनाने की बात है कि करोड़ों रुपये लगा कर हम इन प्राइवेट कम्पनियों को खरीद लें और हमारे यहां बिजली उतनी ही रहे जितनी कि इस समय है तो इससे क्या लाभ होगा। हमने यह पालिसी बनायी है कि जो कम्पनियां बिजली पैदा नहीं करती हैं और केवल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उन को धीरे-धीरे खरीद लिया जाय। मेरे पास

आंकड़े हैं कि इन पिछले दिनों में हमने किन-किन कम्पनियों को खरीदा है। इन प्राइवेट लाइसेन्सीज में से हमारे प्रदेश में ७ ऐसी कम्पनियां हैं जो केवल बिजली बनाती हैं, ११ कम्पनियां ऐसी हैं जो बिजली भी बनाती हैं और हमसे लेकर भी बांटती हैं और २५ कम्पनियां ऐसी हैं जो केवल हमसे बिजली ले कर बांटती हैं। हमने प्रदेश की बेहतरी की दृष्टि से यह अच्छा समझा कि जिस कम्पनी का इन्तजाम खराब नहीं है उसको रहने दिया जाय और जिस का इन्तजाम खराब होता है उसको हम ले लेते हैं। आप को याद होगा कि बान्दा की एक ऐसी बिजली कम्पनी थी जो बिजली बनाती भी थी और बांटती भी थी। लेकिन उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें थीं। हम ने कम्पनी की मर्जी के खिलाफ उस को ले लिया और वहां पर शीघ्र ही सरकार अपना इन्तजाम करने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमने अपर गंगा वैली बिजली कम्पनी, मुरादाबाद और लोअर गंगा बिजली कम्पनी, अलीगढ़ जो कि मार्टिन बर्न की थी उनको खरीद लिया। हमने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि जिन-जिन कम्पनियों के पास केवल डिस्ट्रीब्यूशन के ही लाइसेन्स हैं तो जैसे ही उनके लाइसेन्स समाप्त होते जायं हम उन को लेते जायं।

एक माननीय सदस्य ने झांसी की बात कही है तो उस को भी लेने की बात हम सोंच रहें हैं लेकिन सभी कम्पनियां को नहीं ले सकते हैं। इस के लिये कुछ नियम हैं। अगर किसी बिजली कम्पनी को उस का लाइसेन्स समाप्त होने के पहिले ले लें तो नियामानुसार हम को ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। इसलिये हम ऐसा काम क्यो करें कि हम २५ प्रतिशत दाम ज्यादा दें और उससे ज्यादा बिजली भी न चला सकें तो यह ठीक नहीं है। फिर भी हमारा यह प्रयास है कि जिस का लाइसेन्स समाप्त हो जायगा हम उस को लेते जायेगें।

श्री बलवानसिंह—गाजीपुर भी इस में शामिल है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—गाजी पुर और हरदोई ऐसे हैं जिनको हम लेने की सोच रहें हैं। जब एस्टीमेट बन जायेंगे तो हम इनको ले लेंगे। हम यह भी काम करते हैं कि जो बिजली की कम्पनियां हैं तो उनके लिये हमारे यहां नियम है कि वे ६ प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकते हैं। हमारा एक इन्सपेक्टरोरेट है जो इस बात की जांच करता है। अगर वह देखते हैं कि जो मुनाफा है वह रीजनेबुल रिटर्न से ज्यादा है तो हम रेट कम कर देते हैं। पिछले दिनों में हमने बाराबंकी, किशोर बिजली कम्पनी बदायूं, मेरठ की बिजली कम्पनी, फतेहगढ़ की बिजली कम्पनी म्युनिसिपल बोर्ड अल्मोड़ा की बिजली कम्पनी और मिर्जापुर बिजली सप्लाई कम्पनी के हिसाब की जांच की और वहां पर बिजली के रेट हमने कम कर दिये हैं।

एक सदस्य—जौनपुर के बारे में भी बतलाइये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जौनपुर के बारे में भी बतलाऊंगा। तो मैं यह कह रहा था कि उसमें यह नियम है कि अगर उनको मुनाफा ६ प्रतिशत से कम हो तो उनको यह अधिकार है कि वे रेट बढा लें। अभी आप लोगों को मालूम है कि मार्टिन कम्पनी ने एक नोटिस दे दिया था और बिजली के रेट को बढ़ा दिया था। उनका कहना था कि उनको मुनाफा कम हो रहा है। मगर हमने इसकी जांच की और उनको एक नोटिस सर्व किया और यह कहा कि आप रेट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे हिसाब से मुनाफा आप को ठीक हो रहा है।

जौनपुर के बारे में यह दिक्कत है कि वहां एक डीजेल सेट है और डीजेल पर दाम ज्यादा पड़ते हैं। हम मार्टिन कम्पनी से यह कह रहे हैं कि वे रिहन्द की बिजली ज्यादा मात्रा में ले और डीजल से कम। जब डीजल से बिजली वे कम लेगें तो बिजली सस्ती हो जायेगी।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

रिहन्द डाम की बिजली बिड़ला और रेलवे को देने की बात कही गयी और यह कहा गया कि हमारे जिलों को बिजली नहीं मिली। यह बात ऐसी नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने बार-बार यह कहा है कि हम ऐसी स्कीम बना रहे हैं कि रिहन्ड की बिजली को हम मऊ से कनेक्ट करें, गोरखपुर से कनेक्ट करें, इलाहाबाद से कनेक्ट करें और इलाहाबाद से जाते हुये कानपुर से कनेक्ट करें और माताटीला बांध की बिजली को भी काम में लायें। इस तरह से हमारी जो स्कीम है उससे उत्तर प्रदेश में एक ग्रिड हो जायगा। और फिर उससे आपके उन चारों जिलों को बिजली मिलने लगेगी। उन जिलों में रिहन्ड की बिजली पहुंचेगी और इसके लिये हमारी सरकार दो और स्कीमें एक ओवरा थर्मल और दूसरी ओवरा हाईडल-बना रही है। जब यह स्कीमें पूरी हो जायेंगी और एक ग्रिड हो जायगा, तो सब को बिजली मिल सकेगी।

थोड़ी सी गलतफहमी यह है कि आप कहते हैं कि हम कहीं ५ पैसे पर बिजली देते हैं और कहीं आठ आने पर देते हैं। मैं कहता हूं कि उसमें सामान्जस्य क्या है? बिड़ला को १७५ रुपये पर किलोवाट बिजली देने के बावजूद भी, जैसा कि आप कहते हैं हम नुकसान में देते हैं, हम नुकसान में कभी उनको बिजली नहीं देते। यह जो ५ पैसे हमने फिक्स किये हैं वह तो नो प्राफिट नो लास के हिसाब से रखे हैं। बिड़ला वालों को जो बिजली हम देते हैं वह तो वहीं देते हैं जहां पर हम बिजली बनाते हैं और फिर वह उसको निरन्तर एक वर्ष तक लेते हैं। अगर हम एक किलोवाट बिजली देते हैं एक साल में तो उसका मतलब हुआ कि १७६० यूनिट और उसके १७५ रुपये वे हमको देते हैं। इसी तरह से अगर एक यूनिट भी वे ले तो १७५ रुपये हमको देगें और एक यूनिट आप लें एक वर्ष में तो इसका मतलब यह हुआ कि करीब १४ रुपये माहवार आपको देना पड़ेगा। तो बिजली की तो ऐसी स्थिति है कि हमको सब बातों को देख कर ही निश्चय करना पड़ता है और रेट फिक्स करना होता है। जितना हमारा पावर स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुये और जनता की ज्यादा से ज्यादा सुविधा को ध्यान में रख कर ही हम रेट तय करते हैं।

ट्यूबवेल को जो बिजली दी जाती है उसके देने में उत्तर प्रदेश को सरकार को घाटा भी काफी रहा है। कारण यह है कि उसके लिए लाइन खींचनी पड़ती है और निरन्तर बिजली नहीं ली जाती। जब इलेक्ट्रोसिटी बोर्ड बना तो उस समय छोटी छोटी कम्पनियां थीं। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने बड़ी मेहनत की और यह कोशिश की कि कोई बिजली हमारी खराब न जाय। ऐसी बिजली को दिन में और दूसरे वक्त प्रयोग में लाया जाय और इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इस बात के लिए प्रयत्न-शील है कि उसमें घाटा न हो और नयी नयी स्कीमें देहातों में जायं।

श्री ऊदल---मिर्जापुर लाइसेंसी की जांच करा लीजिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---वह हमने की है और फिर करा सकते हैं। वहां के रेट हमने कुछ घटाये। कल कुछ सदन में कहा गया कि शाहजहांपुर में बड़े भारी रेट हैं। हैं, ज्यादा, लेकिन आप को देखना पड़ेगा कि वहां छोटी कम्पनी है, उनका उसमें ९ लाख रुपये के करीब लगा हुआ है अगर कोई भी रेट फिक्स करे तो ९ लाख का कुछ न कुछ सूद तो लगेगा ही। ट्रांसमिसन लाइन के लाने में, ट्रांसफार्मर के लाने में कुछ खर्चा तो होता ही है, वह सब रेट के साथ ऐडजस्ट करना होता है। लेकिन फिर भी हमारा यह प्रयत्न है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कम्पनियों को खत्म करके उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने हाथ में ले और बिजली का काम चलावे।

एक बात यह कही गयी कि रिहन्द को हम अपने आप क्यों चला रहे हैं, दे क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को....।

श्री उग्रसेन---जब सारे असेट्स और लाइबिलिटीज रही हैं....।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—रिहन्द हम बनाने जा रहे थे और इरिगेशन डिपार्टमेंट बीच में आता था। आधा काम हमने बनाया, उनका अकाउंन्ट करना था। बीच में दूसरे डिपार्टमेंट थे। सरकार का इरादा है कि जब यह पूरा हो जाय और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काम करने लगे तो उसको भी ट्रांसफर करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ-साथ हमने एक कंसल्टेटिव कमेटी बनायी हुई है जो हर तीसरे महीने मीट करती है, गाहे बगाहे सलाह दिया करती है। हमने १५०० गांवों को बिजली देने की बात की है और जो लिस्ट निकाली है उसमें सदन को कुछ गलतफहमी रह गयी। वह लिस्ट उन्हीं की है जहां सर्वे कराके बिजली देने की इजाजत दे दी गयी। जैसे-जैसे सर्वे होता जायगा हम बिजली देते जायंगे। भाई नेकराम जी का आफर बड़ा अच्छा है कि अगर कोई अपने यहां बिजली लगाना चाहें और कंट्रीब्यूट करे तो इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन जब गांव में बिजली लगाते हैं तो दो चीज तय करते हैं। एक तो देखते हैं कि बिजली की कितनी खपत होगी और दूसरे यह कि कितना खर्चा आयेगा। अगर ज्यादा खर्चा न हो और बिजली की अधिक मात्रा में खपत हो जाय तो बिजली लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—समय का ध्यान रहे। दो मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—हम १,५०० गांवों में बिजली देने जा रहे हैं। सब को मालूम है कि हमारे यहां ८०० ट्यूबवेल्स बनने जा रहे हैं। देहातों में भी बिजली दी जायगी और धीरे-धीरे बिजली को हम बढ़ाते भी जायंगे।

केसा की बात कही गई। यह एक ऐसी संस्था है जो अच्छे रूप से काम कर रही है। वहां के मैनेजमेंट ने काफी सुधार करने की कोशिश की है। मजदूरों की बात कही गई, मैं समझता हूं उसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। वहां दो तरह के मजदूर हैं, एक तो वे जो रेगुलर काम करते हैं और दूसरे वे जो सीजनल रख लिये जाते हैं। मिसाल के लिये आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वहां पर पानी की कमी हो गई थी जिसके कारण ५ हजार मजदूर लगाने पड़े थे नहर खोदने के काम में। इस प्रकार के मजदूर तो जब जरूरत पड़ती है, तभी रखे जाते हैं। मैंने बहुत सी बातों का जवाब देने की कोशिश की। अब चूंकि मैंने बहुत समय लिया इसलिये समाप्त करता हूं।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश में जितना भार खेती पर है उसको हल्का करने के लिये और प्रदेश की गरीबी को कम करने के लिये आवश्यकता है कि इस प्रदेश की गांव-गांव में बिजली फैलाई जाय और जो सरकार की आज गति है उसमें तेजी लायी जाय। साथ ही साथ जो प्राइवेट कम्पनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। मेरे खयाल में दो प्राइवेट कम्पनियां हैं जिनको सरकार जितनी जल्दी अपने हाथ में ले ले, उतना ही अच्छा है और उससे विद्युतीकरण में सहायता मिलेगी। मैं आपके सामने एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे यहां मऊ पावर हाउस है जहां से आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया, तीन जिलों को बिजली दी जाती है। गाजीपुर की चर्चा माननीय उपमंत्री जी ने की। गाजीपुर में दोहरा प्रबन्ध है, एक तो मऊ पावर हाउस का प्रबन्ध है और दूसरे एक सेठ की कम्पनी है जिसकी साठ-गांठ उधर के लोगों से है, उसका प्रबन्ध है। मऊ पावर हाउस का रेट ६ आना है और सेठ की कम्पनी का रेट ९ आना प्रति यूनिट है। सरकार उसकी जांच करे। माननीय कमलापतिसिंह जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि दिन भर में ९-१० बार सेठ की बिजली फेल होती है। माननीय मंत्री जी

[श्री रामसुन्दर]

न कहा कि ६ परसेंट से ज्यादा लाभ नहीं लेते लेकिन यहां डेढ़ गुना लाभ लिया जा रहा है। अब आप गलत हैं या माननीय कमलापतिसिंह जी गलत हैं, लेकिन कमलापतिसिंह जी भुक्तभोगी हैं, आप उनकी बात से इनकार करते हैं यहां लखनऊ में बैठे हुये। मैं कहता हूं कि प्राइवेट हाथों से उस कम्पनी को छीनिये तभी प्रदेश का विद्युतीकरण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बड़े-बड़े शहरों में बिजली फैलाई जाती है लेकिन जो शहर नहीं हैं, बड़े बड़े गांव हैं, जो कि बीच में पड़ते हैं और जिनके पास से लाइन जा रही है उन गांवों को बिजली देने का सरकार के पास कोई प्रबन्ध नहीं है। श्रीमन्, बड़े बड़े उद्योग धंधे कुछ स्थानों पर खोले गये हैं लेकिन छोटे उद्योग जो गरीब लोग चलाते हैं उनके लिये बिजली नहीं दी गयी है। सुहावल, गोरखपुर और मऊ पावर हाउस में उसके लिय कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरे यहां घोसी कस्बे के पास सड़क के किनारे बिजली लगी हुई है लेकिन कस्बे में बिजली नहीं है, स्कूल और अस्पतालों में बिजली नदारत है। जब वहां के लोग बिजली मांगते हैं तो उनसे कहा जाता है कि बिजली नहीं है। उद्योग मंत्री जी ने बताया है कि थोड़े दिनों में वे सारे प्रान्त का विद्युतीकरण कर देंगे। लेकिन जिस गति से वे चल रहे हैं उससे मुझ भरोसा है कि ऐसा वे ३०–४० साल से पहले नहीं कर सकते हैं।

केसा कम्पनी के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने इशारा किया। इस कम्पनी को इतना लाभ होता है लेकिन वहां के मजदूरों की हालत बहुत शोचनीय है। श्रीमन्, मैं इस उस में बहुत बुरा मानता हूं, इस पर कि जब किसी मंत्री का बजट पेश होता है तो वह माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनना पसन्द नहीं करते। यही कारण है कि मंत्री जी उन्हीं बातों को कहते हैं जो बातें दफ्तर से नोट बन कर आता है, उसमें होती है। या तो मंत्री जी अपने दफ्तर की फाइलों को ही देखा करते हैं या आपस में बातचीत करते रहते हैं। मैं देखता हूं ऐसा माननीय मुख्य मंत्री बहुत करते हैं। वे माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनना नहीं चाहते हैं। तो श्रीमन्, केसा के बारे में मांग होने पर एक वेतन आयोग की नियुक्ति की गयी थी। केसा कम्पनी में इतना अधिक लाभ होता है लेकिन वहां के मजदूरों को न तो कोई बोनस दिया जाता है और न महंगाई भत्ता ही दिया जाता है। ओवर टाइम लिया जाता है लेकिन उसका भुगतान समय पर नहीं किया जाता। प्राविडेंट फण्ड नहीं दिया जाता। निकल जाने के बाद बसियों बरस तक उसका हिसाब नहीं किया जाता है। उस कम्पनी के खिलाफ जो शिकायतें हैं सरकार ने उनकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

रिहन्द बांध में लाखों किसानों की जमीन ले ली गयी है। उन गरीब किसानों की हालत बहुत खराब है। उन्हीं की पार्टी के ग्रामवासीजी का बयान मंत्री जी जरा देखें। वहां के किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है, वे खानाबदोश हो रहे हैं। दस बीघा वालों पर केवल एक बीघा खेत है। न खाने को अन्न उसके पास है, न पीने को पानी है और न पहनने को कपड़ा ही है। रिहन्द बांध से प्रभावित किसानों की हालत को सुधारने के लिये सरकार को शीघ्र ही कोई कदम उठाना चाहिये, नहीं तो वहां कोई घटना हो सकती है।

श्रीमन्, मऊ, सुहावल और गोरखपुर पावर हाउसेज में निकट भविष्य में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मेरी निजी जानकारी है कि इन पावर हाउसेज में बिजली पैदा करने की शक्ति बहुत कम हो रही है। नलकूप जो बिजली से चलते हैं उनके भी बन्द हो जाने की संभावना है। इसका कारण यह है कि वहां कोयले की कमी हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में शीघ्रता से प्रबन्ध करे, नहीं तो वहां की जनता और किसानों को नलकूपों के बन्द हो जाने से बड़ा कष्ट होने की सम्भावना है। इससे प्रदेश के पूर्वी जिलों की जनता जो वैसे ही गरीब और पिछड़ी हुई है वह बड़ी मुसीबत में पड़ जायगी। मैं समझता हूं कि इस तरफ सरकार को सक्रिय कदम तेजी के साथ उठाना चाहिये ताकि कोयले के अभाव में जो बिजली कम्पनियां बन्द होने जा रही हैं वे बन्द न होने पावें। इलाहाबाद के नैनी में जो औद्योगिक कालोनी बनी है, उस कालोनी को आपने बिजली नहीं दी जिससे वहां बहुत से

उद्योग चालू नहीं हो पाये। श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने भी इलाहाबाद की प्रशंसा की लेकिन जरा बतलायें तो सही कि क्या कारण है कि नैनी के उद्योग अभी तक चल नहीं पाये ? सरकार को स्थिरतापूर्वक इस पर सोच विचार करना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिहन्द बांध का इन्तजाम वे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना चाहते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी आप उसे दे सकें, देने की कृपा करें।

माननीय हरीसिंह जी ने पूरब और पश्चिम का सवाल उठाया, लेकिन मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। हो सकता है कि पूर्वी जिलों में कुछ धनी मानी लोग हों, कुछ बड़े लोग हों और पश्चिमी जिलों में कुछ गरीब आदमी हों लेकिन यह पूरब और पश्चिम का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि पूरब के या पश्चिम के जो गरीब आदमी हैं उनको राहत मिले, जो बेकार लोग हैं उनको काम दिया जाय, छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगाने का सवाल हमारे सामने होना चाहिये और उसके लिये जल्दी से जल्दी सारे प्रदेश में विद्युत शक्ति पैदा करके हर गांव में विद्युत को फैलाया जाय ताकि हर गांव में बेकार लोगों को भी काम मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस कटमोशन का समर्थन करता हूं।

(श्री नेकराम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—श्रीमन, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को माना है कि बुन्देलखंड इस प्रदेश में सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां झांसी में जो बिजली कम्पनी है वह वहां की जनता के साथ बड़ी ज्यादती करती है। उपाध्यक्ष महोदय से मैंने निवेदन किया था कि मुझे भी बोलने के लिये थोड़ा समय दिया जाय, तो उन्होंने मेरी इस बात को स्वीकार भी किया था। इसलिये मैं आपस निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिस जगह पर सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही हो वहां के प्रतिनिधि को बोलने के लिये समय न दिया जाना मेरे विचार से गम्भीर प्रश्न है। इसलिये मुझे कम से कम ५ मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपको ५ मिनट मिलेगा। श्री नेकराम जी, आप कितना समय लेंगे ? ५ मिनट में आप समाप्त कर देंगे ?

श्री नेकराम शर्मा—मुझे ५ से १० मिनट के बीच में समय दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री लखपतराम जी, आपको ४ मिनट मिलेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने बुन्देलखंड जैसे पिछड़े प्रदेश के बारे में बोलने का मुझे सुअवसर दिया। अभी माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि जिस बिजली कम्पनी की शिकायत होती है उस बिजली कम्पनी को या तो सरकार मुआवजा देकर अपने कब्जे में कर लेती है, या जब ऐग्रीमेन्ट को बढ़ाने का समय आता है तो उस समय एग्रीमेन्ट को आगे के लिये बढ़ाया नहीं जाता। मैं समझता हूं कि यह हो सकता है कि माननीय मंत्री जी का स्वयं का ऐसा विचार हो लेकिन मिसाल के तौर पर मैं दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं झांसी के एक मामले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी २३ फरवरी, १९६२ को झांसी बिजली कम्पनी के पास सरकार का एक आदेश पहुंचा है कि एग्रीमेंट की मियाद को ५ साल तक और बढ़ा दिया गया है। जहां तक मेरी जानकारी की बात है, हो सकता है कि यह गलत हो चूंकि मैं सरकारी कागजात देख नहीं सकता लेकिन बिना बिजली कम्पनी की दरख्वास्त के बिजली कम्पनी का समय ५ साल के लिये बढ़ा दिया जाय। मैं सरकार के ऊपर यह इल्जाम लगाता हूं।

[श्री लखपतराम शर्मा]

दूसरा एक और संगीन इल्जाम मैं लगाता हूं कि गोरखपुर के अन्दर जो कहा गया है कि जब शिकायत होती है तो उसके टाइम को नहीं बढ़ाया जाता, या तो उसे जब्त कर लिया जाता है या मुआवजा देकर उसे अपने कब्जे में कर लिया जाता है, मेरी यह जानकारी है कि गोरखपुर की गरीब जनता पर उसके लिये लाठीचार्ज तक किया गया। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब से बड़ा आन्दोलन गोरखपुर की झांसी बिजली कम्पनी के विरुद्ध हुआ है। गोरखपुर और झांसी बिजली कम्पनी का मालिक एक ही है। इस सम्बन्ध में हजारों सफे की फाइलें उत्तर प्रदेश की सरकार और जिलाधीश के आफिस में मौजूद होंगी। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि ८ आने फी यूनिट घरेलू कामों के लिये लिया जाता है और २५ नये पैसे फी यूनिट पावर के लिये लिया जाता है। जब कि इसी सदन में मैंने सवाल किया था तो जो मुझे लिखित जवाब दिया गया था उसमें माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि झांसी कम्पनी से मिलता जुलता रेट चार और जगहों पर है। वे चार जगहें हैं, हरदोई, मैनपुरी, हल्द्वानी और उन्नाव। यह नहीं कहा गया है कि वहां ८ आने यूनिट के हिसाब से रेट है बल्कि मिलता जुलता बताया गया है जब कि उन स्थानों की आबादी भार से बहुत कम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि झांसी की जनता की आवाज को दबाने का कारण क्या है? उसका कारण केवल एक ही हो सकता है और वह यह है कि जब मंत्री जी कांग्रेस फंड के नाम पर चुनाव के जमाने में लम्बी-लम्बी रकमें उनसे लेते हैं तो किस तरह से वह उनको लाइसेंस न दें और किस तरह से वह गरीब जनता की आवाज को सुनें और उसकी मांग को पूरा करें। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसी कम्पनियों को सरकार कब्जे में ले ले और झांसी की बिजली कम्पनी की एक निष्पक्ष जांच कराई जाय। अगर ऐसा किया जाय तो मैं विश्वास दिलाऊंगा कि झांसी बिजली कम्पनी के अकाउन्ट्स में लम्बी-लम्बी रकमें चुनाव फंड में लिखी हुई मिल जाना मुमकिन हो सकता है और यही कारण है कि झांसी की जनता की आवाज को यह सरकार बराबर ठुकराती चली जाती है। देश की तरक्की, सूबे की तरक्की और किसी शहर की तरक्की तभी हो सकती है जब कि वहां के लोगों के लिये बिजली और पानी की व्यवस्था सही रूप में हो।

जहां तक माताटीला बिजली योजना की बात है, इस योजना पर लाखों रुपया व्यय हुआ है और लाखों रुपए का सामान और मशीनें आई हैं और कितना ही सामान वहां पर लापरवाही से पड़ा हुआ बरसात खाकर बेकार हो गया लेकिन कोई लाभ आज तक जनता का उससे नहीं हुआ है। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी को कुछ बड़े-बड़े शहरों में प्रकाश दिखाई देता हो और उनके घरों में उजाला हो, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि प्रकाश की आवश्यकता क्या केवल उनके बड़े बंगलों में ही व महलों में ही है और जो गरीब झोपड़ियों में गांव व शहरों में रहते हैं उनको बिजली के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है? क्या बड़े-बड़े मिलमालिकों के घरों में ही प्रकाश चाहिये और जो बदनसीब आदमी गरीब लोग गांव के घरों में और झोपड़ियों में रहते हैं जो नहीं जानते कि प्रकाश क्या होता है उनको अंधेरे में ही हमेशा रखा जायगा? जिनको प्रकाश के नाम पर लूटा जाता है और प्रकाश के नाम पर आज ८ आना यूनिट जिससे लिया जाता है उनकी तरफ भी सरकार की नजर नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया, मैं उन सभी का आभारी हूं। विरोधी दल की ओर से और सरकारी पक्ष से सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को माना कि प्रदेश में जितनी भी बिजली शक्ति पैदा हो सके वह जल्द हो। माननीय उपमंत्री जी ने सदन में जो घोषणा की उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि ग्रिड सिस्टम को समाप्त करके एक ग्रिड बनायेंगे। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि रोस्टरिंग के तरीके को हमने कम किया है और जो थोड़ा रह भी गया है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जब पर्याप्त बिजली पैदा हो जाय तो उसको भी बन्द कर दिया जाय और कम से कम नलकूप या अन्य अन्न उत्पादन के विषयों के लिये तो

वह अवश्य ही रोस्टरिंग का तरीका बंद कर दें। तीसरे उन्होंने आज यह भी घोषणा की कि अगर गांव सभायें या गांव के लोग कन्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहां बिजली लगाई जा सकेगी। इन तीनों घोषणाओं के लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इसके अलावा मैं २-३ बातें और माननीय मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं एक तो यह कि जितने मिल मालिकों और पूंजीपतियों पर कानपुर में २७ लाख रुपया बिजली का बकाया है वह उससे वसूल किया जाय। आज यदि कोई आम कंज्यूमर अपना माहवारी बिल वक्त से नहीं देता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है लेकिन यह मसला गत वर्ष भी नोटिस में लाया गया था लेकिन वह रुपया अभी तक इन लोगों से वसूल नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से उसकी वसूली के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये और उसकी वसूली में क्या दिक्कत है?

दूसरे बिजली के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जिलाधीशों को आदेश दिये हैं उनमें वह यह और जोड़ दें कि अगर कृषि के लिये, सिंचाई के लिये या नलकूप के लिये कोई बिजली मांगे तो सब से पहले इन अन्न उत्पादन के साधनों के लिये ही वे बिजली ग्रान्ट करें। उसके बाद औद्योगिक परपज के लिये भी वे बिजली जनता को दें।

एक बात उन्होंने यह भी कही कि जो लाइसेंस्ड कम्पनियां हैं उनमें से कुछ को गवर्नमेंट ले रही है। सभी सदस्य चाहते हैं कि इन कम्पनियों को बीच से हटाया जाय और वह प्राइवेट इन्टरप्राइज न रह कर गवर्नमेंट के विभाग का ही काम हो जाय और विभाग ही बिजली का वितरण करे। दस पांच कम्पनियों की बात नहीं है। यह कहां की बात है कि बिजली सरकार पैदा करे और यह कम्पनियां उसका वितरण करें। वह हमारे लाइसेंसी लेकर बेंचे और जैसी शिकायत है अधिक दामों पर बेंचते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं इन लाइसेंसीज को सरकार जरूर समाप्त कर दे और अपने हाथ में कंट्रोल ले ले।

रिहन्द बांध पर २१ लाख रुपया बाटिका के लिये खर्च हो रहा है। मैं समझता हूं इकोनामी के जमाने में इतना अधिक रुपया बाटिका के लिये अधिक है। अगर वहां फलों के बाग इसी रुपये से लगाये जांय तब तो ठीक है, लेकिन बाटिका के लिये इतना रुपया खर्च करना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता।

चौथी बात, मैं चाहूंगा मन्त्री जी घोषणा कर दें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर रिहन्द बांध को लेकर और सारे विभागों को मर्ज कर दें तथा जितना प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन है बिजली का वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मातहत हो तथा बोर्ड के चेयरमैन को कुछ समय तक न हटाया जाय। उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाय कि अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन में कुछ गलती होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिम्मेदार होगा उसके लिये। श्रीमन, नेशनल लास होता है, जैसा मैंने कहा और कन्स्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर में, जब कि प्लान बनता है, उसके डिटेल्ड एस्टीमेट्स बनते हैं फिर २ परसेंट कंटीजेंसी क्यों रखा जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता, इसको क्या जरूरत है। इस कंटिजेन्सी का मिसयूज होता है इस को बिलकुल बन्द कर देना चाहिये।

हमको स्टेन्डर्डाइज्ड गुड्स मार्केट में मिलने चाहिये जिससे लीकेज बन्द हो। आज कल के गुड्स पर कोई लाइसेंस नहीं है। सरकार को चाहिये कि लाइसेंस उन लोगों को दें वह जिनसे सामान मिल सके और जो लाइन प्लाइंट आफ प्रोडक्शन से प्वाइंट आफ कंज्यूमर तक जाती है उस लाइन में जो वेस्टेज होती है एनर्जी उसको रोका जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो ३०, ४० फीसदी बिजली उद्योगीकरण के लिये बचायी जा सकती है। श्रीमन्,

[श्री नेकराम शर्मा]

छोटे-छोटे बल्ब अगर जलें, सरकार ऐसी कोशिश करे, तो हजारों किलोवाट बिजली हम बचा सकते हैं और रोस्टरिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम इस मामले में इकोनामी ड्राइव करें तो निश्चित है कि हमारे पास काफी बिजली बच सकती है।

इसके अलावा श्रीमन, मुझे यह भी कहना है कि प्राइवेट सेक्टर पर कन्ट्रोल बहुत जरूरी है। जब तक नेशनेलाइजेशन नहीं होता और सरकार को फंड्स नहीं मिल पाते, मार्टिन बर्न के बारे में इतनी शिकायतें सदन में आयीं, केसेज भी चले, उनको लोन भी दिया गया और उनके खिलाफ केसेज वापस लिये गये और आप उनको कोई सजा नहीं दे पाये, इस धांधली को सरकार को रोकना चाहिये।

माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा कि हमने कंसल्टेटिव कमेटी बना रखी है। मैं चाहता हूं प्रदेश में एक कन्सल्टेटिव बोर्ड बनाया जाय जिसमें कंज्यूमर्स के नुमाइन्दे हों, मर्चेन्टस एसोसियेशन जो इलेक्ट्रिकल गुडस बनाने वालों की है, उसके प्रतिनिधि हों और इस सदन के भी माननीय सदस्य उसमें हों, जिसका काम सलाह देने का हो, और उसका सम्बन्ध इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हो। इस तरह से अगर संगठन हो जायगा तो जितनी बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं उसका सदुपयोग होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी और भी कुछ घोषणायें करेंगे और आश्वासन देंगे कि बिजली की जो इम्पार्टेन्स है, जिसको वह स्वयं भी मानते हैं, उतनी बिजली प्रदेश में पैदा होने लगेगी और हमारा प्रदेश बिजली के मामले में अन्य प्रदेशों से आगे बढ़ जायगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैंने विभिन्न सुझावों और आलोचनाओं को जो इस अनुदान पर इस सदन में की गई, सुना। बहुत सी आलोचनाओं का उत्तर हमारे उप-मन्त्री जी ने दे दिया है और उन बातों पर प्रकाश डाल दिया है जिन बातों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता थी तथा जिनके सम्बन्ध में इस सदन के सदस्यों के बीच कुछ भ्रांति थी।

पहली बात तो मैं माननीय नेकराम जी के उस प्रश्न के उत्तर में कह देना चाहता हूं जो उन्होंने अपने पहले भाषण में कही थी और जिसमें यह कहा था कि सरकार ने इस बात का पता नहीं लगाया कि कितनी बिजली की आवश्यकता आने वाले सालों मे इस प्रदेश को पड़ेगी और इस बारें में न कोई इन्तजाम किया, न इस प्रकार का कोई अन्वेषण किया जिसके द्वारा प्रदेश का नागरिक जान सके कि प्रदेश की कितनी आवश्यकता इस समय बिजली के विषय में है। मैं माननीय नेकराम जी का ध्यान उस पुस्तक की ओर आमन्त्रित करूंगा जो एक बड़ी पुस्तिका है और जिसका नाम है "Report of the Heavy Industries Plan Committee and development of large and medium large industries in U. P. during the Third Five Year Plan." यदि वह इस पुस्तिका का अध्ययन करेंगे तो उनको भलीभांति विदित हो जायगा कि कितनी बिजली की आवश्यकता हमें आगे आने वाले प्लान के तहत में होगी? यह तमाम बातें दो तीन वर्षों के बीच में आंकी गई हैं और उनको आंक करके ही वह निर्णय लिया गया है जिस निर्णय की तरफ मैंने संकेत किया था, यानी उत्तर प्रदेश के ४९७ करोड़ की योजना में १०७ करोड़ रुपये का व्यय बिजली की पैदावार के सिलसिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया जाय। जो १०७ करोड़ रुपये का निर्णय लिया गया उसका मुख्य कारण यह था कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उस कमी को पूरा कर लें जो कमी हमारे बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत थी और उतनी मात्रा में बिजली न पैदा करने के कारण पैदा हो गई थी। हमारी तो अभिलाषा और आकांक्षा ऐसी थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली से संबंधित उन योजनाओं को पूरा कर लें

जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था। लेकिन हमारे बीच दिक्कतें और परेशानियां आईं और उन परेशानियों ने हमें मजबूर कर दिया कि हम उन योजनाओं को तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित नहीं कर सके। इसलिये यह किसी माननीय सदस्य को नहीं समझ लेना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां तक बिजली पैदा करने का विषय है, सोई हुई है। वह अपने उत्तरदायित्व को निभाने की चेष्टा कर रही है। उस उत्तरदायित्व को निभाने में गलतियां भी हुई हैं, भूलें भी हुई हैं और कमियां भी हमारे नजरों के सामने आई हैं लेकिन उत्तरोत्तर यह प्रयास रहा है कि कमियों पर विजय पाई जाय, व्यक्तियों के अनुभव से फायदा उठाते हुये अधिक मात्रा में बिजली के पैदा करने का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश में करें और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है कि हमारे इंजीनियर्स ने रिहन्द डेम योजना के अन्तर्गत बिजली के पैदा करने के प्रश्न को वक्त से पहले हल कर दिया और हरदुआगंज में भी बिजली को वक्त से पहले तैयार कर दिया। हम सब अपने इंजीनियर्स तथा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अनुग्रहीत हैं कि उन्होंने इस कार्य को सम्पादित करके जो बिजली की कमी हम जगह ब जगह महसूस कर रहे थे उस कमी को काफी मात्रा में कम करने का उन्होंने प्रयास किया।

माननीय नेकराम जी ने यह भी कहा था कि हमें जगह ब जगह इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि कहां हम खर्च में कमी कर सकते हैं और कहां कमी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि बिजली के जो दाम हैं कानपुर के मिल मालिकों ने उन्हें नहीं दिये हैं और वे काफी मात्रा में अभी बकाया हैं। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हमने यह कार्य सौंपा था और जो ४७ लाख ५६ हजार २२ रुपये उनके पास रुके हुये थे उनमें से इस योजना के अन्तर्गत ३० लाख रुपये मिल मालिकों से वसूल कर लिये गये हैं और बाकी सब रुपया धीरे-धीरे किस्तों में उनसे वसूल किया जा रहा है। नेकराम जी ने यह भी कहा कि कोई प्राइवेट व्यक्ति यदि उसके पास रुपया बाकी रह जाता है तो उसके खिलाफ विभिन्न प्रकार के तरीके बरते जाते हैं। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि फैक्टरीज के साथ वह बर्ताव नहीं किया जा सकता। वह इसलिये नहीं किया जा सकता कि फैक्टरी मिल के मालिक की सम्पत्ति तो है नहीं। आखिर फैक्टरी में मजदूर काम करता है। मिल का मालिक पैसा न दे और वह फैक्टरी को बन्द करवा दे और यदि फैक्टरी बन्द हो जाती है तो क्या मजदूर का कोई फायदा हो सकेगा? क्या वे अपनी रोजी कमा सकेंगे? क्या वे ला ऐंड आर्डर का प्रश्न हमारे बीच में प्रस्तुत न कर देंगे? तो कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब एक दूसरे दृष्टिकोण से फैक्टरियों के विषय में सरकार को काम करना पड़ता है और उसे करना भी चाहिये क्योंकि हजारों की रोजी फैक्टरी के द्वारा चलती है। यदि मिल मालिक कोई गलती करता है तो हमें कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे मिल ही बन्द हो जाय। तो जो योजना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बना रखी है और जिसकी तहत में मिल मालिक बकाया धनराशि दे रहे हैं। हम समझते हैं कि वह एक माकूल योजना है और उसके अन्तर्गत धीरे-धीरे सब बकाया रकम उनसे ली जा रही है। अक्सर मिल मालिकों के ऊपर रुपये इत्यादि के बकाया के बारे में चर्चा की जाती है और इस सदन को ऐसा बताया जाता है कि या तो उस रुपये को छोड़ दिया गया या सरकार उसे वसूल नहीं करना चाहती। तो मैं नम्रता से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास सरकार का रुपया बाकी है, चाहे वह मिल मालिक हो, चाहे किसी और स्थान पर हो उस रुपये को मार नहीं सकता और न अधिक दिन तक उसे अपने पास ही रख सकता है। सरकार और उसके अधिकारियों का यह कर्तव्य रहता है कि समय के अनुसार कार्य कर के उसको वसूल करें। और मैं यह कहता हूं कि एक-एक पैसे को जो किसी मिल मालिक के ऊपर बकाया है मय सूद के यह सरकार वसूल करेगी और एक कौड़ी भी इस प्रदेश की

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जनता की गाढ़ी कमाई का जो उनको देना है छोड़ी नहीं जायगी। इसमें कोई कोताही होने वाली नहीं है। यदि कोई यह समझता है कि उस रुपये को छोड़ दिया जायगा तो उसे इस भ्रांति को अपने मन से निकाल देना चाहिये।

एक बात और यहां कही गई कि समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये इस बात को आवश्यकता है कि हम शीघ्रता से जो कम्पनियां चल रही हैं, जो बिजली पैदा करने वाली कम्पनी हैं उनका भी राष्ट्रीकरण कर लें। (व्यवधान) मैं इस सदन के सामने यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस सरकार का यह दृष्टिकोण नहीं है। जब तक हमने यह नीति अपना रखी है कि एक मिक्स्ड एकोनामी के तहत में हम देश का विकास करेंगे, हम अपना यह परम और पुनीत कर्त्तव्य समझते हैं कि हम अपने प्रदेश के साधनों को उन कार्यों में पहले लगायें जिनके द्वारा बिजली की पैदावार अधिक बढ़ सकती है बजाय इसके कि हम उसे उन कम्पनियों को मुआविजा देने में खर्च करें। मैं इसे समाजवाद नहीं मानता। क्या हम गुर्बत को बांट कर समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं? हमारे समाजवाद का दृष्टिकोण यह है कि हम इन चीजों को अधिक पैदा करें जिनके द्वारा गरीब से गरीब आदमी को राहत मिल सकती है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि गुर्बत को ही बांट कर हम समाजवाद को ला सकते हैं तो मेरा और इस सरकार का दृष्टिकोण इससे भिन्न है और तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जिन्होंने लिखी है उनका भी दृष्टिकोण इससे भिन्न है। आज समाजवाद की लम्बी चौड़ी बात तो हम करेंगे लेकिन समाजवादी व्यवस्था किस तरह से अपने प्रदेश में लायें उसकी तरफ हम ध्यान देना भूल जाते हैं। इसलिये हर विषय पर समाजवाद की चर्चा करना और हर विषय में एक पोलिटिकल दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना मैं समझता हूं कि यह राजनीतिक बुद्धिमता नहीं है बल्कि राजनीतिक अदूरदर्शिता है कि बार-बार इस बात की चर्चा करना कि एक फैक्टरी से जिसे बिड़ला चलाते हैं कम चार्ज किया जा रहा है। जो इंडस्ट्रीज के लिये हम रेट देंगे वह कम होगा बनिस्बत उसके जो पंखे के लिये, रोशनी के लिये और उन कामों के लिये जिनमें पैदावार बढ़ती नहीं है। जो औद्योगीकरण चाहते हैं उन को हमें अपनाना है। हर समय यह कहना कि यह चीज बराबर क्यों नहीं होती है, ठीक नहीं है। एक माननीय सदस्य ने तो यह कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन नेताओं के गांवों में होता है। मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि किस नेता के गांव में हुआ। महज एक नेता कहता है और उस में गांव इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, यह बात नहीं है बल्कि इसके कुछ हमारे नियम हैं, कायदे हैं और हम उन जगहों पर इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे जो जगहें ग्रिड के नजदीक होंगी, जहां बिजली ले जाने में अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जहां बिजली के लेने वाले ज्यादा होंगे। हम बिजली का उत्पादन बढ़ा दें और उसमें घाटा उठायें तो ऐसी हालत में क्या हम बिजली को प्रदेश भर में फैला सकेंगे?

मैं अत्यन्त नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम विषयों के सम्बन्ध में व्यावहारिक होना चाहिये। आदर्श को साथ लेते हुये जो व्यावहारिकता का तकाजा है ऐसा दृष्टिकोण हमें प्रस्तुत करना चाहिये। जब वह दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मुझे आपत्ति होती है और दुख होता है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जो कि इस से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करके इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई है, इसको उन गरीब किसानों का ख्याल नहीं है और यह सरकार किसानों की चिन्ता नहीं करती है। सिर्फ किसानों का ठेका तो सामने बठने वालों ने ही लिया है। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि मैं इस दृष्टिकोण के विरुद्ध हूं।

श्री राधेश्याम—श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब मुख्य मन्त्री जी भाषण करते हैं तो इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि मेरी समझ में यह बात नहीं आती है . . . .

श्री अध्यक्ष—अच्छा, आप बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—श्रीमन, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में लिखा हुआ है कि भाषण करते समय नम्रता रखनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इतना ही माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक बिजली पैदा करने का सम्बन्ध है प्रदेशीय सरकार की यह नीति है और उसके बरतते हुये वह दिवस जल्दी लाना चाहती है जब हम आने वाले वर्षों में गांव-गांव तक बिजली पहुंचा सकें और छोटे-छोटे घरेलू उद्योग धन्धे अपने यहां गांव-गांव में विकसित करने में सहायता प्रदान कर सकें। यह हमारी सरकार की बिजली के उत्पादन की नीति है। इसी को आधार मानकर इस योजना के अन्तर्गत और आगे आने वाली योजनाओं के अन्तर्गत हम कार्य करेंगे। इतना ही निवेदन करते हुये, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन अनुदानों को मैंने सदन में प्रस्तुत किया है, सदन उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—अनुदान संख्या ३३ के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव मैं रख रहा हूं, जो माननीय नेकराम जी ने इस सदन के समक्ष रखा है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त, ४५,९८,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करनें का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—विद्युत योजनायें (अधिष्ठान छोड़कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, १,७४,६५,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई। इस बीच निम्न कार्यवाही हुई।)

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---नहीं, व्यवस्था का प्रश्न इस दौरान में नहीं उठाया जा सकता।

श्री नेकराम शर्मा---इसी सम्बन्ध में है। उस वक्त आप खड़े हो गये थे.....

श्री अध्यक्ष---प्लीज, आप बैठ जायं। कायदा यह है कि जब घंटी बजती हो तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता।

(घंटी बंद होने के पश्चात् प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्य ३५---विद्युत योजनायें (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त ३५,५९,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री अध्यक्ष---जब तक यह प्रक्रिया चलेगी तब तक यह सदन बैठेगा।

(घंटी बन्द होने के पश्चात प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में---१३५,
विपक्ष में---५९।)

श्री अध्यक्ष---जब तक मैं इस अन्तिम प्रस्ताव पर मत न ले लूं तब तक यह सदन बैठेगा और उसी के अनुसार सदन का समय बढ़ाया जाता है।

अब मैं माननीय नेकराम जी शर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५० सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०---विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, २,३७,६१,९०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१ मई, १९६२ से गन्ने का निम्नतम मूल्य घटाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश के बारे में नियम ५३ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विवाद

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)---श्रीमन, आपसे निवेदन यह करना है कि दफा ५३ के अन्तर्गत मेरा भी एक प्रस्ताव था गन्ने के बारे में और इसमें उस बारे में कुछ लिखा नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष—तो आप बोल सकेंगे। इसमें कौन सी बात है। अब आइटम १२ जो माननीय गेंदासिंह जी द्वारा सदन के समक्ष आया है, प्रस्तुत होता है। माननीय गेंदासिंह जी!

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत पेचीदा नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं बहुत ही छोटी-मोटी दो, तीन बातें माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस वर्ष कुछ दिन पहले से, पहली मई से भारत सरकार ने यह आदेश लागू कर दिया कि जिसका गन्ना मिलों में पेरा जायगा उसको उसकी कुछ कम कीमत मिलेगी। वह कीमत कितनी कम होगी उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। वह कमी तीन आने मन से ज्यादा न होगी।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य जाना चाहते हैं वे कृपा कर शांति पूर्वक चले जांय।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन, तीन आने मन के हिसाब से भी, मैं समझता हूं कि कई करोड़ रुपया किसानों का नुकसान होगा। इसलिये नुकसान होगा कि फैक्टरियां जून में भी चलेंगी। श्रीमन, ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? क्यों ऐसी बात करने की जरूरत पड़ी कि गन्ने की कीमत में कटौती की जाय यह ऐसा है कि जिस पर विचार करना जरूरी है। मैं बहुत तफ़सील म न जा कर दो, तीन बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इस वर्ष शुरू में मिलें कुछ देर से चलीं। इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है? मिलें पिछले साल जब चली थीं या १९५९-६० में जब चलीं थीं तो उनको चलाने के लिये राज्य सरकार और भारत सरकार, दोनों ने कुछ पैसा दिया था इंसेंटिव के तौर पर और यह कहा था कि किसानों के गन्ने का दाम तो कम न होगा रिकवरी चाहे जितनी कम हो, लेकिन अगर कोई घाटा हो तो वह एक्साइज ड्यूटी से और केन सेस से, इन दोनों से उन मिलों का पूरा कर दिया जायगा। इसका नतीजा यह था कि हमारा जो प्रोडक्शन १९५९-६० में चीनी का था १० लाख टन के करीब वहां वह १९६०-६१ में आ कर हो गया १५ लाख टन। दो वर्षों में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और उसे बढाने के लिये जो इंसेंटिव मिल वालों को दिया गया उसका परिणाम यह भी हुआ कि गन्ना के काश्तकारों को चाहे मालिकों की तरफ से हो या सरकार की तरफ से, हर तरफ से यह एन्करेज किया गया कि गन्ने की खेती बढ़ाओ और इस बीमारी में कोई गरीब काश्तकार ही नहीं फंसा, बड़े-बड़े काश्तकारान, मिलमालिकान और सरकार ने भी, इन तीनों ने गन्ने की खेती को बढ़ाया। इसमें संदेह नहीं है कि १९ लाख १४ हजार एकड़ जो १९५९-६० में रिजर्व्ड और एसाइंड एरिया का गन्ना था वह इस वर्ष २४ लाख एकड़ से कुछ ज्यादा हुआ, यानी ५ लाख एकड़ की वृद्धि हुई। इस वृद्धि की जिम्मेदारी किसकी है? इसके लिये सरकार पहले अपने दिल को टटोले कि सरकार ने अपने फार्मों में कितना गन्ना बढ़ाया। उसी के साथ-साथ मिल मालिकों ने कितना गन्ना अपने फार्मों में बढ़ाया और उसके बढ़ाने के लिये किसने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की। क्या भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री पाटिल ने यह बात नहीं कही थी कि यह जो इंसेंटिव का करोड़ों रुपया मिल मालिकों को दे रहे हैं इसमें किसानों को भी हिस्सा मिलेगा और क्या किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एन्करेज किया गया कि गन्ने की खेती बढ़ाओ? चाहे वह चीनी का एक्सपोर्ट करने और फारेन एक्सचेंज अर्न करने के लिये कहा गया यह बात भी कही गयी इस सम्बन्ध में कि जो ज्यादा पैसा देना पड़ता था उसको भी कम देना पड़े और चीनी उचित मूल्य पर बिके। यह ख्याल था और बहुत उचित ख्याल था. लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति हुई तो सिर्फ सारे यू० पी० के किसानों ने भारत सरकार और इस राज्य सरकार की इच्छा को पूरा किया और श्रीमन्, काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने तरक्की की और जो फैक्टरियां तीन या चार महीने चल करके बन्द हो जाती थीं वह पिछले साल में २ सौ, सवा २ सौ दिन चलीं। इसमें कुरबानी किसकी हुई यह देखना है। कौन इस बात को नहीं जानता कि जब गन्ना अधिक

[श्री बेंदासिंह]

दिनों तक खेत में खड़ा रहेगा तो वजन में नुकसान काश्तकार को उठाना पड़ेगा। दिसम्बर में यदि गन्ना बिकेगा और यदि जून में वही गन्ना बिकेगा तो क्या वही वजन होगा? इसके लिये एक्सपर्ट की राय की बात नहीं है, यह तो एक लेमैन भी कह सकता है कि दिसम्बर में जो गन्ना होगा उससे ४० प्रतिशत् गन्ने का वजन जून में कम हो जायगा। इस नुकसान के लिये तो किसान को सब्सिडी देनी चाहिये इसलिये कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये वह कुर्बानी कर रहा है। सफेद चीनी बन सकती है इसके लिये गन्ने को खड़ा रखना होगा। कानून मांग करता है कि किसी भी हालत में वह दूसरी फैक्टरी में बेच नहीं सकता। हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं कि सरकार जिसके हाथ कहे उसके अलावा दूसरे के हाथ हम बेच नहीं सकते। अगर उसको कहीं अच्छा दाम मिले और वह बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता। तो हर तरह से कानून अपने हाथ में रखा और एन्करेज किया बढ़ाने को और बढ़ जाने के बाद आज यह कहा जाता है कि जून तक अपना गन्ना खड़ा रखो। अब यह किसकी जिम्मेदारी है खड़ा रखवाने की, लेकिन अब यह कहा जाता है कि तुमने मई तक खड़ा रखा। इसलिये तुम्हारे गन्ने में कम रिकवरी आ रही है, इसमें शुगर कन्टेन्ट कम हो गया है। ऐसा विरोधाभास श्रीमन् कहीं नहीं देखा। आज २० लाख किसानों के परिवार उत्तर प्रदेश के इस कानून के कारण छटपटा रहे हैं। बड़ी भारी ताकत सरकार की है। चुनाव तो बीत गया है। पिछले साल ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि सन् १९५९-६० और १९६०-६१ में कितने करोड़ रुपये मिलों को दिये गये ताकि वे सफेद चीनी को बनायें और काश्तकारों को इन्करेज करें कि वह ज्यादा गन्ना पैदा करें? माननीय मुख्य मंत्री जी अपने विभाग से मालूम करें कि क्या पिछले साल उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों को ६,७ करोड़ रुपया नहीं दिया गया है? आज हमसे कहा जाता है कि चूंकि शुगर प्रोडेक्शन बढ़ गया है इस लिये हम काश्तकारों को बचाने के लिये, उन पर दया करने के लिये और उन पर रहम करने के लिये इन चीनी की मिलों को बचाना चाहते हैं और इसी वजह से उसकी कीमत कम करदी है। श्रीमन्, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार के पास हिसाब है। अगर सरकार समझती है कि मिल मालिकों को नुकसान पहुंचता है तो क्या यह बात सही नहीं है कि एक मन चीनी पर १४ रुपये सरकार का टैक्स है जिस में से कुछ रुपया राज्य सरकार का है और बड़ा हिस्सा केन्द्रीय सरकार का है? सरकार के पास बड़ा भारी टेक्निकल ज्ञान है। उसके पास कानपुर में शुगर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट है उस से पता लगायें कि कितना घाटा मिल मालिकों को होता है और वह घाटा इस टैक्स से पूरा किया जाय। इस टैक्स को देने के लिये जो काश्तकार सफर कर चुका है, जो बरबाद हो चुका है उसको अब अधिक बरबाद करने की जरूरत नहीं है। श्रीमन्, आज सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी उद्योग मंत्री भी हैं। वह इस बात का पता लगायें कि कितना रुपया ट्रान्सपोर्ट का मिल मालिक वसूल करते हैं। जो दो आना था वह अब ६ आना हो गया है। यह ६ आना हमारे यहां लिया जाता है। यही बात सारे सूबे में भी है। यह तो एक पक्ष की बात मैंने कही है।

दूसरे पक्ष से यह कहा जाय कि मिल मालिकों को बड़ा भारी नुकसान होता है तो उस को भी आप के सामने और माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने लाना चाहता हूं। कानपुर और दूसरे शहर से कुछ ऐसे पत्र निकलते हैं जो कि फाइनेन्शियल एक्सपर्ट होते हैं और इन अखबारों को लिखने वाले भी बड़े फाइनेन्शियल एक्सपर्ट हैं। उनके जो फीगर्स हैं तो क्या यह सही नहीं है कि कलकत्ता के बाजार में ४५ रुपये मन चीनी बिक रही है। कानपुर के बाजार में जो हमारी रेगुलेटेड प्राइस थी वह ३७ रुपये ८५ नये पैसे थी। ३७ रुपये ८५ नये पैसे प्रति मन आज का मार्केट है। श्रीमन्, आप की सेवा में रखना चाहता हूं कि कलकत्ता के बाजार में हमारी देवरिया की चीनी का क्या भाव है। कप्तानगंज ४२ रुपये २५ नया पैसा, छितौनी ४२ रुपये २५ नया पैसा, देवरिया ४२ रुपये, गौरी बाजार ४२ रुपये ६२ नया पैसा, खंडा ४१ रुपये ७५ नया पैसा और सरदारनगर ४२ रुपये २५ नया पैसा। इसी तरह से मुजफ्फरनगर का भाव भी सुन लीजिये। मंसूरपुर ४० रुपये २२ नया पैसा, सकौली ३९ रुपये २५ नया पैसा और

खाली भी यही भाव है। तो श्रीमन्, हम तो चीनी ३६ रुपये मन के हिसाब से बेचने के लिये चले, लेकिन भाव जो है वह मैंने आप को बतला दिया है।

श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—रेल का भाड़ा भी बतला दीजिये।

श्री गेंदासिंह—कहीं भी आप चीनी भेजिये दो रुपये मन से ज्यादा भाड़ा नहीं है। हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में आप चीनी पहुंचा दीजिये, लेकिन भाड़ा दो रुपया से अधिक नहीं पड़ेगा।

श्री बसन्तलाल—यह कैसे हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—बीच मे बातचीत नहीं होनी चाहिये।

श्री गेंदासिंह—मुजफ्फरनगर की मिलों की चीनी कानपुर और दिल्ली के बाजार में बिकती है और उसका भाव मैंने बतला दिया है। वहां पर देखिये कि ४० रुपये मन पर है या नहीं? जरा लखनऊ में पूछ लीजिये कि किस भाव पर चीनी बिक रही है। यकीन न हो तो अपने बच्चों से बीबी से पूछ लीजिये कि क्या १८ आने सेर पर चीनी नहीं मंगायी जाती है? तो कन्ज्यूमर को तो कोई राहत नहीं मिली। मिल मालिक के हिसाब को नहीं देखा गया लेकिन, किसान के गन्ने की कीमत कम कर दी गयी। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि उसे भारत सरकार की चेरी नहीं बनना चाहिये। भारत सरकार का इरादा यह मालूम होता है कि वह चाहे किसी की मदद करे या न करे मगर वह यू० पी० के काश्तकार को बरबाद कर देना चाहती है। इन कानून से जो नुक्सान पहुंचता है मैं पूछता हूं क्या वह उत्तर प्रदेश के अलावा भी किसी अन्य प्रदेश को पहुंचता है? आज १० परसेंट प्रोडक्शन में जो कट किया गया उससे किस प्रदेश को नुकसान पहुंचेगा। उससे महाराष्ट्र मैसूर मद्रास या आन्ध्र को नुक्सान नहीं पहुंचेगा। नुक्सान इस प्रदेश को पहुंचेगा। केवल इस प्रदेश को नुक्सान पहुंचाने के इरादे से यह किया गया। यह जो रिकवरी को लिंक किया गया यह सिवाय यू० पी० और बिहार के अन्य किसी प्रदेश को नहीं किया गया। सरकार को खबर हो तो वह बताये कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा भी अन्य किसी प्रदेश को इस हुक्म से नुक्सान पहुंचाने वाला है? हमारी यह हैसियत थी कि हम सारे देश को शूगर पहुंचा सकते थे और उस कीमत पर जिसको आल इंन्डिया बेसिस पर तय किया जाता लेकिन आज यहां शूगर इन्डस्ट्री को बरबाद किया जा रहा है और दक्षिण भारत में उसको आबाद किया जा रहा है। फारेन एक्सचेंज की जब कमी है तो उस कमी के कारण दक्षिण भारत में शूगर इंडस्ट्री खोली जाय, वहां पर लोगों को लाइसेन्स दिये जायें और यह कहा जाय कि दक्षिण भारत उसके लिये मौजू जगह है और जहां पर पहले से अंग्रेजों ने जिस जगह को मौजू समझा वह ठीक नहीं है वह गैरमौजू है, तो यह बात समझ में आने वाली नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भारत सरकार कमर कसकर हमें नुक्सान पहुंचाने पर तुली हुई है तो हमें भी उसके लिये सख्त होना चाहिये। मैं यह नहीं जानता कि किस तरह यू० पी० की सरकार को शख्त होना चाहिये मगर उसको भारत सरकार की चेरी नहीं बनना चाहिये। यह उसके लिये वाजिब नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश के हित में है।

श्रीमन्, मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से कहा कि एक्साइज में छूट कर दीजिये मगर यह कहा गया कि यह नहीं हो सकता, छूट नहीं दी जा सकती। तो गन्ने की कीमत में कमी की जा सकती है मगर एक्साइज कम नहीं हो सकती। क्या वजह है? जब महाराष्ट्र में किसान को गन्ने की कीमत सवा दो रुपये मिल सकती है, मद्रास और मैसूर आदि प्रदेशों में ज्यादा कीमत मिल सकती है तो यहां के किसानों को क्यों नहीं मिल सकती? मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भारत सरकार इस मामले में दबाती है। लेकिन

उत्तर प्रदेश सरकार को या तो कमर कसकर खड़ा होना होगा वरना यह शुगर इंडस्ट्री बरबाद होगी और जब तक काश्तकार रा मैटीरियल पैदा नहीं करेगी ७-८ महीने तक, मैं चेतावनी से कहना चाहता हूं कि ४० रुपया बाजार में कीमत है और लखनऊ के मार्केट में अठारह आना सेर पर चीनी नहीं मिल पाती है उसी तरह से साल दो साल में यह हालत होगी कि बाहर से मंगानी पड़ेगी। जैसा कि जूट और काटन में होता है कि अरबों रुपये का काटन मंगाकर हमें अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ती है उसी तरह से किसानों को बरबाद करके सरकार पछतायेगी। सरकार चेते और जो हुक्म भारत सरकार ने दिया है उसको वापस कराने की चेष्टा करे और जो गन्ना खड़ा है उसको जल्दी से जल्दी पेरवाने की व्यवस्था करे।

श्री नरसिंहनरायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे दफा ५३ के प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव में नहीं शामिल किया, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, आज यह प्रदेश के किसान और मजदूरों की जिन्दगी से बड़ा संबंधित प्रश्न है। आज गन्ने की कम कीमत से उत्तर प्रदेश के २० लाख किसान और चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों पर असर पड़ने जा रहा है। सबसे मुख्य समस्या यह है कि केन्द्रीय सरकार कहती है कि रिकवरी कम होने के नाते हम ९ प्रतिशत से कम पर फी परसेंट डेढ़ नये पैसे से १९ नये पैसे तक गन्ने की कीमत में कमी करेंगे। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जो नार्दन इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन ने यूनियनों को बोनस के संबंध में आंकड़े दिये हैं उनको पेश करना चाहता हूं। वैसे तो मेरे पास ४२ मिलों के आंकड़े हैं, लेकिन मैं बन्द मिलों के फिगर्स पिछले सालों के इसलिये पढ़ देना चाहता हूं कि जो रिकवरी का सवाल है उसका पूरा ज्ञान हो जाय कि किस तरह से घपला करके कीमत कम की जाती है, अतः एम्पलायर्स एसोसिएशन के विभिन्न चीनी मिलों से सम्बन्धित पेश करता हूं १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ के आंकड़े। उसके साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि यह रिकवरी कितने दिनों के औसत मिल चलने के ऊपर है।

देवबन्द में ११८ दिन की १९५८–५९ में ड्यूरेशन थी मिल चालू होने की और उसमें रिकवरी थी ९.८८। इसी मिल का १९५९–६० में १५१ दिन का ड्यूरेशन था और रिकवरी थी ९.९६। फिर १९६०–६१ में इसी मिल का १९४ दिन का ड्यूरेशन था और रिकवरी ९.८१ थी। मोहिउद्दीनपुर का १९५८–५९ में ड्यूरेशन १३८ दिन का और रिकवरी ९.५६, १९५९–६० में ड्यूरेशन १५१ दिन का और रिकवरी ९.६६, १९६०–६१ में ड्यूरेशन १७५ दिन का और रिकवरी ९.६८।

इसी प्रकार से मेरे पास ४२ मिलों की फीगर्स हैं जोकि मिल ओनर्स एसोसिएशन ने दी हैं उसके द्वारा मैं साबित कर सकता हूं कि १९६०–६१ में मुतवातिर जो रिकवरी रही है वह ९.०० से ऊपर रही है बावजूद इसके कि मिलें ज्यादा दिनों तक चलीं। लेकिन आज जबकि मिलें एक महीने बाद चलीं फिर भी कहा जाता है कि रिकवरी ७.०० तक पहुंच गई। मैंने आपकी आज्ञा से उस दिन माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये यह निवेदन किया था कि आखिर कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि मिल मालिकान और केन्द्रीय सरकार ने रिकवरी का बहाना लेकर किसानों के गन्ने का दाम कम करना शुरू कर दिया? इसमें केवल किसानों के गन्ने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इसका असर मजदूरों के बोनस पर भी पड़ने जा रहा है। मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि मिल मालिकान दो तरह से रिकवरी कम करते हैं। एक तरीका तो यह है कि मिल में जो एक्साइज स्टाफ रहता है उसको मिलाकर मिल में जो चीनी पैदा होती है उसको निकाल देते हैं, उनको घूस देकर निकालते हैं और दूसरे यह कि रिकवरी कम दिखाते हैं गलत तरीके से दिखला देते हैं कि इतना गन्ना पेरा गया इतनी चीनी बनी इसलिये इतनी रिकवरी हुई। इसी कारण मैंने पहले निवेदन किया था कि एक हाई पावर कमेटी बनायी जाय और जांच कराई जाय कि किस तरह से रिकवरी आंकते हैं। मैं आंकड़ों के द्वारा साबित कर सकता हूं कि आज रिकवरी ठीक है, औसत दर्जे की रिकवरी ९.०० से ज्यादा चल रही है।

एक तरफ तो मिल मालिकान और गन्ना विभाग की तरफ से पर्चे बांटे जाते हैं कि गन्ने की खेती बढ़ाओ, तुम्हारे गन्ने को लिया जायगा। मेरे पास पर्चा है जो बांटा गया था सहकारी गन्ना यूनियन में जो कि फरेंदा तहसील में पड़ती है....

श्री अध्यक्ष—उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण—केन कनिश्नर का सर्कुलर गया और एक पर्चा बटा कि इस साल गन्ना कम बोवो, लेकिन उसके बाद गनेश शुगर मिल और सहकारी गन्ना समिति, ब्रजमनगंज फरेंदा, मानीराम तथा कम्पटियागंज की तरफ से प्रचार होता है कि गन्ना ज्यादा, बोवो नया प्लान्ट लगने जा रहा है, जितना भी गन्ना होगा सब ले लिया जायगा। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि जिस समय किसान गन्ना बोता है तो गन्ना सहकारी समितियां जांच कराती हैं। उस समय टिटिहरिया गन्ना दिखाई नहीं देता, लेकिन आज टिटिहरिया गन्ना पैदा हो गया, पता नहीं कहां से आ गया। पता नहीं यह गन्ना मंत्री के दिमाग की उपज है या गन्ना विभाग के उच्चाधिकारियों के दिमाग की उपज है। जब आप पड़ताल कराते हैं कि फलां खेत में फलां नम्बर का गन्ना बोया है, एक असेसमेन्ट कराते हैं और उसी के हिसाब से कन्ट्रैक्ट होता है मिलों से उस समय टिटिहरिया नाम की कोई चीज नहीं रहती, लेकिन आज किसान के खेत में वह गन्ना आ गया। वही गना जिसको मिलें सबसे ज्यादा पसन्द करती थीं उसको टिटिहरिया के नाम से पुकारा जाने लगा, और उसको डिप्थीरिया गन्ना कह कर छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें चीनी की मात्रा कम है। गोरखपुर में ऐग्रीकल्चर विभाग में मैंने उसकी जांच करायी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गन्ना है। लेकिन आज किसानों का गन्ना टिटिहरिया गन्ना कह कर मंजूर किया जा रहा है, और उसी प्रकार का मिलों के फार्म का गन्ना खरीदा जा रहा है। इसके अलावा आउट स्टेशन्स पर १०-१२ और १४ आना मन गन्ना किसानों से खरीदा जा रहा है। आज इस स्थिति में मैं माननीय सदस्यों से और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी से जो उत्तर प्रदेश के लौह पुरुष कहे जाते हैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार में आपकी पहुंच है वे यहां के बीस लाख किसानों की तरफ से केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें और यहां के मिल मालिकों की जांच करायें, आवश्यकता हो तो हम लोगों के बयान लें और यह देखें कि यह रिकवरी क्यों कम हो रही है। मैं मिलों के आंकड़ों से ही यह साबित कर सकता हूं कि बावजूद इसके कि ड्यूरेशन ज्यादा रही है, फसल ज्यादा है फिर भी रिकवरी क्यों कम हो गयी है। इसलिये मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि रिकवरी कम हो गयी है यह मिल मालिकों का एक जाल मात्र है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा इस बात को भी देखें कि उनका यह आर्गुमेंट माननीय गेंदासिंह जी के आर्गुमेंट के विरोध में जाता है क्योंकि वे कहते हैं कि रिकवरी कम है और आप कहते हैं कि कम नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमान् जी, मैं जो जानता हूं वह कह रहा हूं। श्रीमन्, आज कितना डेवलपमेन्ट हो रहा है.....

श्री अध्यक्ष—आप तीन मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमन्, केन डेवलपमेन्ट सोसाइटीज सन् १९३४ से बराबर काम कर रही हैं, लेकिन जब मुल्क आजाद नहीं था तो हमारे यहां साढ़े चार सौ मन फी एकड़ गन्ना होता था, लेकिन अगर आप केन डेवलपमेंट सोसाइटीज की फिगर्स देखें तथा प्रति एकड़ औसत उपज देखें तो आपको मालूम होगा कि वह केवल ढाई सौ मन फी एकड़ हो गया है। करोड़ों रुपया केन सेस का खर्च करते हैं, डेवलपमेन्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, अनेक प्रकार के खाद डालते हैं, लेकिन पैदावार घट गयी। यह क्यों कम हो गयी? क्या कभी मंत्री जी ने इस ओर विचार किया?

श्री अध्यक्ष—यह आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमन्, इसका सम्बन्ध रिकवरी से है। आप जरा सुन लें। इसके लिये एक हाई पावर कमेटी बैठायी जाय जो डेवलपमेंट सोसाइटीज की जांच करे, मिलों की रिकवरी की जांच करे और इसकी भी जांच करे कि आज रिकवरी क्यों कम हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी इन तमाम चीजों पर प्रकाश डालेंगे। मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि गन्ने के दाम में जो कटौती हो रही है उसके बारे में केन्द्र से अनुरोध करें कि ऐसा न होने पाये।

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो चर्चा सदन के सामने है उसके सिलसिले में यह चीज देखने की जरूरत है कि आज हमारे प्रदेश में गन्ना पैदा करने वालों और शुगर मिलों के लिये बड़ी क्राइसिस (संकट) का समय है। लेकिन इसकी वजह यहां की किसी बदइंतजामी से नहीं है। यह एक वाकया है जिसका हमें सामना करना है और यह वाकया यह है कि दक्षिण भारत के अन्दर जो गन्ना पैदा हो रहा है उसकी रिकवरी यहां के मुकाबले में २ परसेंट ज्यादा है। दक्षिणी प्रदेशों में आज एक एकड़ में जितना गन्ना पैदा हो रहा है वह यहां से कहीं ज्यादा पैदा हो रहा है, करीब-करीब तिगुना पैदा हो रहा है। दक्षिण भारत में जो गन्ना पैदा होता है वह मई और जून के महीनों में जब कि यहां गन्ना सूखने लगता है उसमें शुगर की मात्रा कम होने लगती है। वहां ऐसी अवस्था पैदा नहीं होती, बल्कि वहां फैक्टरीज ७–८–९ महीने तक चलती रहती हैं। तो यह वाकया है जो आपके देश में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बड़ी लम्बी-चौड़ी काश्त होती है। आज यहां का जो आर्थिक ढांचा है वह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तकरीबन आधी चीनी यहां बनती है। इसलिये सब को चाहिये कि इस तरफ ध्यान दें जिससे गन्ने की पैदावार बढ़ती रहे और इंडस्ट्री भी बढ़ती रहे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दक्षिण के मुकाबले में आप नहीं ठहर पावेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय गेंदा-सिंह जी व विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि वे इस तरह से सरकार की नुकताचीनी करें व उसका दोष निकालें, उनको चाहिये कि वे पूरी तरह से सरकार को सहयोग दें कि किसी तरह से हमारे गन्ने की जो समस्या है वह हल हो सके। एक तो यह कि जो हमारे गन्ने की किस्म है वह बेहतर हो, और वह किस्म ऐसी बेहतर हो कि चीनी की मात्रा बढ़ जाय। बजाय उसके कि इस तरह की चर्चा की जाय और ऐसी बात की जाय जिससे किसानों में ख्वाहमख्वाह के लिये उत्तेजना पैदा हो। मैं समझता हूं कि न इससे किसानों का भला हो सकता है और न प्रदेश का ही भला हो सकता है। बहुत-से लोग विरोधी दल के यही समझते हैं कि इस तरह की चर्चा करके वे किसानों की भलाई कर रहे हैं और इधर वाले किसानों का नुक्सान चाहते हैं, लेकिन होता उसके बरअक्स है। यहां पर जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे आंकड़े से सिद्ध करूंगा इस सीजन में रिक्वरी बेसिस पर जो गन्ने की कीमत कम की गई है उसकी बड़ी चर्चा व नुक्ताचनी की गई है। पिछले १० वर्ष के अन्दर की हालत को देखा जाय। मैं आपके सामने आंकड़े पेश करूंगा और अगर आपने पिछले सालों का अध्ययन किया होगा तो उससे पता लग जायगा कि वास्तविक स्थिति क्या है।

सन् १९५१–५२ में रिकवरी को लिंक किया गया गन्ने की प्राइस से और उस पर जरा गौर कर लिया जाय कि बेस ९.६ परसेंट का था जब कि सन् १९६१–६२ का बेस ९ परसेंट रिकवरी का रखा गया कि अगर ९ परसेंट से नीचे रिकवरी शुगर की हो जाय तो गन्ने की कीमत कुछ कम की जाय। सन १९५१–५२ में इसके बरअक्स था कि ९.६ परसेंट से अगर नीचे रिकवरी आयेगी तो गन्ने की कीमत में कमी होने लगती थी। सोचेंगे, ९.५ परसेंट होने से एक आना मन कम हो जाता था और ९ परसेंट से कम रिक्वरी पर केवल तीन आने मन कम कीमत होती थी। जबकि सन् १९५१–५२ में ७ परसेंट रिकवरी होने पर सवा ११ आने मन गन्ने की कीमत कम हो जाती थी, जब कि उसके खिलाफ १९६१–६२ में सरकार ने जो रिकवरी का उसूल बनाया है वह यह है कि गन्ने की कीमत तीन आने से अधिक कम तो किसी

हालत में हो ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी रिकवरी गिर जाय। तो इस पर जरा गौर कर लिया जाय कि आज जो किसानों की हालत है वह पहले के मुकाबले में फेवरेबिल है।

इसी तरह से सन् १९५२-५३ में गन्ने की प्राइस को रिकवरी से लिंक किया गया। सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ में भी गन्ने की प्राइस को रिकवरी से लिंक किया गया, १९५६-५७ में भी गन्ने की प्राइस को रिकवरी से लिंक किया गया। तो आप गौर कर लीजिये कि जो इतना शोर मचाया जाता है और इस तरह से नुक्ताचीनी की जाती है उसमें कहां तक वास्तविकता है।

एक बात और हुई कि १९५६-५७ में नवम्बर में पेरे जाने वाले गन्ने का रेट मुकर्रर हुआ और किसानों के गन्ने को पेरने के लिये फैक्टरीज ने एक आना मन की कमी किसानों के गन्ने में कर दी। सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में छोटा सीजन हुआ और शकर कम बनी और हमें दूसरे देशों से यहां चीनी मंगानी पड़ी और ऐसा संकट उस समय देश में आया। उसके बाद १९५९-६० और १९६०-६१ में केन्द्र ने इस बात पर गौद्द किया कि बाहर से हमें चीनी लानी पड़ रही है, देश में चीनी की कमी है और उन्होंने जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि फैक्टरीज को कुछ कनसेंशन्स दिये। उस का नतीजा यह हुआ कि चीनी की पैदावार बढ़ी, लेकिन १९५९-६० और १९६०-६१ में यह चीनी की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई कि उसको घटाना मुश्किल हो गया और हमारे यहां की चीनी की एक्सपोर्ट प्राइस भी अन्य देशों की चीनी के मुकाबले में ज्यादा थी, लिहाजा उस को सेंटर को सब्सिडाइज करना पड़ा, तब काम चला।

अब सन् १९६१-६२ में हमने रिकवरी की बात चलाई है तो उसके खास कारण हैं। हमारे यहां गन्ना जो पेरने के लिये बाकी है उसका अन्दाजा है कि १९६१-६२ के कुल ३४ करोड़ मन गन्ने में से ३० करोड़ मन गन्ना ३० अप्रैल तक पेरा जा चुका है और केवल ४ करोड़ मन गन्ना ३० अप्रैल को पेरने के लिये बाकी था जिस के लिये बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि २०,००,००० परिवार बरबाद हो रहे हैं और गन्ना किसानों की कमर टूटी जा रही है। यह ठीक है कि कीमत कम होने पर थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन उस के लिये ऐसा शोर मचाना उचित नहीं है, इस से तो एक दूषित वातावरण ही पैदा होता है। साफ जाहिर है कि ३० अप्रैल तक ३० करोड़ मन गन्ना तो किसान का पूरी कीमत देकर पेरा जा चुका है और केवल ४ करोड़ मन ही बाकी है जो कि १ मई या कुछ आगे तक पिर जायगा। इसमें भी कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनमें से ६-७ तो मेरे इल्म में हैं, एक तो बाकयादा सूचना आ चुकी है कि १५ मई तक उसकी रिकवरी ९ प्रतिशत से ऊपर है तो उसके मुताल्लिक किसानों के गन्ने का तो एक पैसा भी कम न होगा। इसी तरह से तराई क्षेत्र का फैक्ट्रीज में १४-१५ मई तक बहुत ही मामूली नुकसान किसानों का होगा, अगर होगा तो, और अगर रिकवरी ऊपर ही रही तो वह भी न होगा। मैं अर्ज कर रहा था कि सिर्फ ५-६ जिलों का यह सवाल है कि जहां का ४ करोड़ मन गन्ना बाकी है, जिसके लिये कि कहा जा रहा है कि प्रदेश के २० लाख परिवार बरबाद हो जायेंगे। उनको तो सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिये कि जो गन्ना खेतों में सूख कर रह जाता और पड़ा रह जाता उसको कोशिश करके कि खराब न हो हमने मिलों को किसी तरह से राजी किया है कि वह उसको पेरें, वह उसको पेरना नहीं चाहती थीं, हम उनको मजबूर कर रहे हैं, कानूनन मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन किसी तरह से समझा बुझा कर, किसी तरह से कुछ सहूलियत देकर वह उसको परेंगे। यह जो रिकवरी बेसिस है उससे मिल असन्तुष्ट हैं क्योंकि पिछले ५ सीजन में १२ आने मन तक का नुकसान होता था जिसको हमने केवल ३ आने पर ही लिमिट किया है कि इससे कम नहीं करेंगे। इसलिये हम को चाहिये कि हम आज यहां यह हालत न पैदा होने दें कि देश में या प्रदेश में कोई असन्तोष का वातावरण पैदा हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि लखीमपुर के जिले में एक भीरा रेलवे सेंटर है, वह

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

मन्ना हरगांव मिल को एलाट किया गया। वहां की रिकवरी केवल ८.८ प्रतिशत की है। यह मिसाल मैं सिर्फ इसलिये दे रहा हूं कि इस प्रकार की चर्चा से.....(व्यवधान)

मेरे पर आप के इण्टरप्शन से कोई असर नहीं पड़ता है। श्रीमन्, जिस पार्टी से माननीय सदस्य का ताल्लुक है उनके नेता के जो कारनामे सदन में रहे हैं उससे हम अच्छी तरह अवगत हैं.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इनके नेता के कारनामें सारा देश जानता है।

श्री अध्यक्ष—उग्रसेन जी, आप कृपया बैठें, मन्त्री जी को बोलने दें।

श्री दाऊदयाल खन्ना—भीरा रेल सेंटर का गन्ना हरगांव मिल को डाइवर्ट कर दिया जिससे वहां वह पिर जाय। ८.८ परसेंट रिकवरी है उसकी जिसके कारण किसान को १ रुपये ८ आना मन गन्ने की कीमत मिलनी चाहिये। लेकिन ८.८ परसेंट रिकवरी होने की वजह से सिर्फ ३ नये पैसे फी मन कम कीमत होती है। तो आप देखें एक तरफ तो किसान का गन्ना खेत में खड़ा है, उसको डर है कि अगर मिल बन्द हो जाय तो उसका गन्ना नहीं पेरा जायगा। हम उसका इन्तजाम कर रहे हैं कि दूर की मिलें उस गन्ने को पेरने के लिये तैयार हो जांय, स्पेशल ट्रेन्स से गन्ने को भिजवा रहे हैं। तो ८.८ परसेंट रिकवरी हो जाने के कारण फिर भी ३ नये पैसे फी मन किसान को कम मिलता है। लेकिन उधर विरोधी दल के भाई गांवों में प्रचार कर रहे हैं कि गन्ना मिल को न दो, स्ट्राइक कर दो। चुनांचे हमने अपने अधिकारियों को भेजा है कि वे जाकर किसानों में प्रचार करें कि वे विरोधियों की बातों में न आयें अन्यथा उनका गन्ना खेत में खड़ा खड़ा सूख जायगा। अब अगर सरकार कोई काम किसानों की भलाई के लिये करे तो उसकी नुक्ताचीनी की जाती है जिसका असर किसानों पर बुरा पड़ता है, जिस की वजह से वह ऐसा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं जिससे उनको नुकसान हो जाय।

इसलिये मैं कह रहा था कि माननीय गेंदासिंह जी हों, या दूसरे सदस्य हों, उनका फर्ज है कि शुगर इंडस्ट्री को अच्छी तरह चलने दें जिस पर इस प्रदेश का किसान निर्भर करता है। अगर इसको कोई क्षति पहुंच गई तो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जायगी।

एक बात गेंदासिंह जी ने कहा कि किसान गन्ना खेत में उगाये रहा क्योंकि उसे फैक्ट्री में लाना था उसके अलावा उसको अधिकार नहीं है कि वह उस गन्ने को कहीं बेच सके, तो इस गन्ने के लिये यह सब चीज क्यों है? मैं कहूंगा कि बिल्कुल सच्चाई से दूर है। जो बाण्डेड केन था उसके लिये तो फैक्ट्री मजबूर थी, लेकिन जो गन्ना आज पेरवाने का इन्तजाम हो रहा है, वह गन्ना है जिसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं है, कायदे में। लेकिन उस गन्ने के लिये सरकार ने शुरू से ही ईस्टर्न जिलों में इस बात की पूरी कोशिश की कि लोग कोल्हू लगायें, क्रशर लगायें और उसके लिये १० लाख रुपये तकावी के रूप में सरकार ने किसानों के अन्दर बांटा कि किसान भाई कोल्हू लगाकर, क्रशर लगा कर सरप्लस गन्ने को पेर दें। अगर यह चीज खिलाफ कानून थी, वह कानून तोड़ ही नहीं सकते थे तो १० लाख तकावी क्यों दी? ऐसी बात नहीं है। वाकया यह है कि पश्चिमी जिलों के किसान को आदत है, उसने अहसास किया कि गन्ना क्रश करने में कोई खतरा है तो वह खांडसारी में, गुड़ में और दूसरे तरीके से राब बना कर गन्ने को कन्ज्यूम करने में लग जाता है। पूर्वी जिलों में ऐसी प्रथा है नहीं। इसलिये दिक्कत इन जिलों में ज्यादा है क्योंकि वहां का किसान मिलों पर निर्भर करता है। ऐसी बात नहीं है जैसी कि गेंदा सिंह जी ने बताई।

एक बात यह फरमाई गई कि भारत सरकार यहां पर यू० पी० के किसान को बरबाद करने पर तुली हुई है और यह जो रिकवरी का सवाल है यह यू० पी० और बिहार के लिये है, साऊथ के लिये नहीं है। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि भारत सरकार पर ऐसा लांछन लगाना

मुनासिब नहीं है। जैसा मैंने अर्ज किया वाकया यह है कि मई और जून में यहां का गन्ना सूखने लगता है और शुगर कन्टेंट इतना कम होने लगता है जो कि बम्बई और साउथ में नहीं होता। लेट क्रॉशिंग और रिकवरी का सवाल वहां पैदा ही नहीं होता। वहां मिल सफाई के लिये एक दो महीने के लिये बंद होती है और बराबर चलती रहती है। वहां जा कर देखिये एक गन्ना एक गज दो गज का होता है और यह पता नहीं चलता है कि कौन गन्ना काटा गया है और कौन बोया गया है। रिकवरी का उसूल बिहार और उत्तर प्रदेश के लिये ही लागू होता है ऐसी बात नहीं है। चूंकि गन्ना सूखने लगता है, रिकवरी कम होने लगती है, इसलिये मिलें उसे पेर नहीं सकतीं। समस्या हल हो जाय इसलिये यह चीज यहां पर लागू की गई।

मैंने काफी समय इस सम्बन्ध में लिया और आखिर में मैं यह अर्ज करूंगा जैसा पहले अर्ज कर चुका हूं कि ऐसे मसलों में हमें इस बात की कोशिश नहीं करना चाहिये कि हम यहां पर चर्चा करके, स्पीचेज दे कर थोड़ा-सा किसानों के अन्दर जान पैदा करने की कोशिश करें और पापुलरिटी हासिल करें। इससे प्रदेश को नुकसान हो जायगा। मिलजुल कर सरकार के साथ सहयोग कर के ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे गन्ने की क्वालिटी बेहतर हो, गन्ने की पैदावार ज्यादा हो और हम अपनी समस्याओं को हल कर सकें, जो शुगर की इंडस्ट्री है और गन्ने की पैदावार का जो मसला है उसे हल कर सकें और प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह बेहतरी की तरफ चल सके और उसको किसी वजह से नुकसान न हो।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने जो विवाद प्रस्तुत किया है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण विवाद है। मन्त्री जी को सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि इस रामराज्य में यह जो गन्ना किसानों की दुर्दशा हो रही है उसके जिम्मेदार हम सब विरोधी पक्ष के लोग हैं और ठीक हमारी वैसी स्थिति हो गई जिस तरह से वारेन हास्टिंग्ज पर पार्लियामेंट में चार्ज लगाया गया था और बर्क व शेरीडन ने जो अपने तर्क पेश किये तो उनको सुन कर उसने अपनी डायरी में लिखा—क्या यह सही बात है कि मैंने अवध की बेगमों के साथ लखनऊ में कोई जुर्म किया? उसे यह शंका हो गई। मैं क्या कहूं, मन्त्री जी पर तरस आता है। उनके तर्कों का क्या जवाब दिया जाय। हमें यह मान लेना चाहिये कि तीन आने की जो छूट मिल मालिकों को सरकार ने दे रखी है, हमारे हाड़ व मास की कमाई जो उनको दिलाई जा रही है वह किसानों की बहबूदी के लिये दिलाई जा रही है। मैं उन को दावत देता हूं कि वे अपने इलाके में चलें और इस बात पर मतदान करायें कि मिल मालिक को फायदा पहुंचाने के लिये यह तीन आने की छूट दी गई है या गन्ने के किसान की बहबूदी के लिये। ये मिलमालिक नवेटिया, जयपुरिया, सिंहानिया, खेतान की आज क्या स्थिति है? इन लोगों ने कलकत्ते और बम्बई में ऊंची-ऊंची अट्टालिकायें बना रखी हैं। क्या यह काश्तकार के लाभ के लिये है? "जिन पायन पनही नहीं तिन्ही देत गजराज"। कल इन लोगों की हैसियत क्या थी? आज इन की हैसियत आपने बनाई है। मैंने बराबर मांग की है कि अगर सरकार चीनी मिलों से सम्बन्धित २० लाख गन्ना किसान परिवारों का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की ७ करोड़ आबादी का भला चाहती है तो गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण करें। एक जवाब मन्त्री जी देदें कि इन मिलों में जो गदहेवाली मशीनें सन् १९२९ की जापानी लगी हुई हैं उनके लिये आपने उन्हें कोई नोटिस दिया कि वे अपनी मशीनें बदल डालें। यह शर्म की बात है कि गन्ना मिल मालिकों के लिये और सरकार के लिये जो गन्ना किसान का खून चूसने के लिये तो तैयार हैं लेकिन उसे कोई सहूलियत देने के लिये तैयार नहीं है। कहते हैं कि मार्केट में हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं। जब आपकी चीज ही अच्छी नहीं है तो उसे कौन लेगा। एक छोटा-सा देश क्यूबा है। उसकी चीनी आपकी चीनी से कहीं अच्छी है। मैं तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार पर यह चार्ज लगाता हूं कि मिल मालिकों ने रूलिंग पार्टी को चुनाव में पैसा दिया है इसलिये उनको यह तीन आन

[श्री उग्रसेन]

की छूट देकर मदद दी गई है। इसके अलावा और कोई तर्क नहीं है। माननीय गेंदासिंह और माननीय नरसिंहनारायण ने जो तर्क प्रस्तुत किया कि रिकवरी के साथ गन्ने का दाम क्यों जोड़ा गया इसका कोई जवाब नहीं है। मन्त्री जी को पता है कि दक्षिण में कम गरमी पड़ती है जो विश्वत रेखा के नजदीक है और हमारे यहां ज्यादा गरमी पड़ती है जो विश्वत रेखा से दूर है। मुझे भी ६ महीने तक भटकने को मिला और मैंने देखा कि वहां ज्यादा गरमी पड़ती है। अगर वह समुद्र के किनारे की बात कहते हैं तो वहां पर गन्ना होता नहीं। वह तो महाराष्ट्र में और बीच के इलाके में होता है, जो समुद्र से काफी दूर है। मैं चाहता हूं कि इस साजिश से आप हाथ हटा लें। आपने केन्द्रीय सरकार को कभी लिखा कि गन्ना किसान बड़ी मजबूरी में है, हमने उसको प्रोत्साहन दिया कि काफी गन्ना बोओ? और अगर आपने लिखा और केन्द्रीय सरकार ने नहीं माना तो आपने खुले आम बयान क्यों नहीं दिया और हम विरोधी पार्टियों का आवाह्न क्यों नहीं किया? इसके लिये हम आपको आर्ज करते हैं। आपके पास कोई तर्क नहीं है।

हमारे भाषण से कोई विस्फोट नहीं होता। अगर हमारे भाषण से कोई विस्फोट उन २० लाख गन्ना किसानों में हो जाय तो हमें बड़ा गर्व होगा। जयपुरिया जी को लीजिये, इनके खास दोस्त हैं, उन्होंने अभी आनन्दनगर में ४० लाख मन गन्ना नहीं लिया और नैपाल से १ रुपया २ आने मन में गन्ना ले लिया। केन सेस से छूट पा गये और सस्ता गन्ना लिया गया। मैं तो कहता हूं कि चीनी हमलावर और दूसरे लोग जो अराष्ट्रीय कहे जाते हैं उनसे ज्यादा अराष्ट्रीय ये चीनी मिल मालिक हैं। पहले कहा कि हम प्लांट बढ़ा रहे हैं और जब सरकार ने कहा कि कम गन्ना पेरो तो कहा कि ज्यादा पेरने की आज्ञा दीजिये और जब ज्यादा पेरने के लिये कहा गया तो कहते हैं कि हम नहीं पेर सकते क्योंकि हमारा परता नहीं पड़ता। तीन सुविधायें इन मिल मालिकों को दी गयीं। एक तो जो लाखों रुपया गन्ने का सेस के रूप में बाकी है वह धीरे-धीरे दिया जायगा। बाद में कहा गया कि हम उस में उदारता की किस्त करते हैं, जब मन चाहे, बेटा-बेटी की शादी करने के बाद, दोस्तों को हलुआ पूड़ी खिलाने के बाद दे देना। उसके बाद में फिर तीन आने की छूट दे दी गयी। इस पर भी जब उनका पेट नहीं भरा, इनका पेट तो बहुत बड़ा है और भरने वाली यह माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार है, तो कहा गया कि लीजिये, अब हम रिकवरी से गन्ने का दाम लिंक किये देते हैं। आप तो पुरानी बात के मानने वाले हैं। सन् १९५०-५१ में गन्ने का दाम दो रुपये मन था और चीनी का दाम ३२ रुपये मन था। सोशलिस्ट पार्टी तो कहती है कि जितने आने मन गन्ना उतने आने मन चीनी का दाम हो। सरकार इसे क्यों नहीं मानती है? कहते हैं कि हम बदनीयती फैलाते हैं। हमें तो इस बात पर गर्व होगा अगर हमारी ऐसी मांग के कारण बदनीयती फैले। हम दो रुपये मन गन्ने के दाम की मांग सरकार से करते हैं। इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और इनके मालिकों को पेंशन दे कर मालाबार हिल पर भेज दिया जाय और किसानों की किस्मत को हम अपने हाथ में ले लें और किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य दें। इनके बही-खाते भी गलत होते हैं। हमारी जो गाढ़े पसीने की कमाई है उसे यह लूटते हैं। इसमें आप बहुत बड़े बनिये हैं। श्रीमन्, मैं सच कहता हूं कि छोटे बनिये तो कलकत्ता, बम्बई जैसे शहर में बैठ कर लूटते हैं, लेकिन ये यहां लखनऊ, दिल्ली में बैठ कर लुटवाते हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गन्ने के भाव में मिल मालिकों को तीन आने मन की छूट देने के तो यह मालिक हैं और मिल मालिकों पर गरीब किसानों के दाम बाकी हैं उसके ये मालिक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--उग्रसेन जी, अब आपका समय समाप्त।

श्री उग्रसेन--मैं कहता हूं कि अब भी ये सोचें, इनको अक्ल आ जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--पर्सनल रिमार्क न करिये। अब यह विषय समाप्त होता है।

उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—उठने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं :

"उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रस्ताव आज विधान सभा ने पास किया है। उक्त निर्वाचन से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार किया गया है—

(१) नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय .. २६-५-६२ को सायंकाल ५ बजे तक।

(२) नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय .. २८-५-६२ को २ बजे (सचिव के कमरे में)।

(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय .. .. ३१-५-६२ के सायंकाल ५ बजे तक।

(४) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक .. ४-६-६२ को होगा।

अब हम उठते हैं और २३-५-६२ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे २३ मई, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ मई, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३५ पर)

जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी में कलेक्शन विभाग में अमीन और चपरासी और उनमें से हरिजन अमीन और चपरासी की संख्या निम्नलिखित है:—

क्रम-संख्या	कर्मचारियों का विवरण	कुल संख्या	हरिजन
१	अमीन साल भर के लिये	४५	..
२	अमीन सीजनल	२२	..
३	चपरासी साल भर के लिये	४६	४
४	चपरासी सीजनल	६८	१२

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३७ पर)

क्रम-संख्या	नाम	पद	तिथि	
			कब से	कब तक
१	श्री घनश्याम दास ..	वासिल बाकी नवीस ..	२४–४–६१	आज तक
२	श्री लखनलाल चौबे ..	मुर्हरिर माल, ..	३–६–६०	२–१०–६०
		मुर्हरिर जुडीशियल ..	३–१०–६०	आज तक
३	श्री मूलचन्द ..	स्याहा नवीस (जेड० ए० सी)	१२–२–५४	१५–३–५५
	..	स्याहा नवीस (रेगुलर) ..	१६–३–५५	६–१–५८
		अहलमद फौजदारी ..	७–१–५८	२८–३–६१
		(एस० डी० ओ० कोर्ट)		
		मुर्हरिर माल . ..	२९–३–६१	आज तक
४	श्री कृष्णानन्द हुन्डेल ..	सहायक वासिल बाकी नवीस	२३–१०–५९	आज तक
५	श्री रामशरण लाल ..	डिपार्टमेंटल क्लर्क ..	१८–३–५५	१७–३–५६
		ए० आर० के० ..	१८–३–५९	३१–३–६०
		(सी० एल० आर० डी०		
		डिपार्टमेंटल क्लर्क ..	१–४–६०	आज तक
६	श्री महबूब बेग ..	सुपरवाइजर कानूनगो ..	१३–३–६२	आज तक
		(स्थानापन्न-छुट्टी के		
		इन्तजाम में)		
७	श्री लाल मनि ..	सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो	१३–४–६२	आज तक।
		(स्थानापन्न छुट्टी के		
		इन्तजाम में)		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४३ पर)

उन नागर क्षेत्रों की सूची जिनमें अभी जमींदारी उन्मूलन होना शेष है

क्रम-संख्या	नागर क्षेत्र का नाम	जिला
	म्युनिसिपैल्टियां—	
१	बलिया	बलिया
२	आंवला	बरेली
३	सोरों	एटा
४	कासगंज	,,
५	बरेली	बरेली
६	मैनपुरी	मैनपुरी
७	मौरानीपुर	झांसी
८	देहरादून	देहरादून
९	मसूरी	,,
१०	ऋषीकेश	,,
११	सहारनपुर	सहारनपुर
१२	हरद्वार यूनियन	,,
१३	देवबंद	,,
१४	मेरठ	मेरठ
१५	बड़ौत	,,
१६	गाजियाबाद	,,
१७	हापुड़	,,
१८	पिलसुवा	,,
१९	मवाना	,,
२०	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
२१	देबई	,,
२२	खुर्जा	,,
२३	सिकन्दराबाद	,,
२४	अनूपशहर	,,
२५	कोल	अलीगढ़
२६	हाथरस	,,
२७	सिकन्दरा बाद	,,
२८	मथुरा	मथुरा
२९	वृन्दावन	,,
३०	कोसी	,,
३१	फीरोजाबाद	आगरा
३२	फतेहपुर सिकरी	,,
३३	जलेसर	एटा
३४	गंज डुंडवारा	,,
३५	मारेहरा	,,
३६	बिजनौर	बिजनौर
३७	बदायूं	बदायूं
३८	उझानी	,,
३९	सहसवान	,,
४०	अमरोहा	मुरादाबाद
४१	सम्भल	,,
४२	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
४३	फर्रुखाबाद कम फतेहगढ़	फर्रुखाबाद
४४	कायमगंज	,,
४५	इटावा	इटावा
४६	औरेया	,,
४७	कानपुर	कानपुर
४८	इलाहाबाद	इलाहाबाद
४९	कालपी	जालौन
५०	वाराणसी	वाराणसी
५१	मिर्जापुर	मिर्जापुर
५२	चुनार	,,
५३	जौनपुर	जौनपुर
५४	गाजीपुर	गाजीपुर
५५	गोरखपुर	गोरखपुर
५६	आजमगढ़	आजमगढ़
५७	मऊनाथ भंजन	,,
५८	लखनऊ	लखनऊ
५९	सीतापुर	सीतापुर
६०	बिस्वां	,,
६१	खैराबाद	सीतापुर
६२	हरदोई	हरदोई
६३	शाहाबाद	,,
६४	संडीला	,,
६५	पिहानी	,,

क्रम-संख्या	नागर क्षेत्र का नाम		जिला
	म्युनिसिपैल्टियां—		
६६	बिलग्राम	..	हरदोई
६७	लखीमपुर	..	खीरी
६८	गोला गोकरननाथ	..	,,
६९	फैजाबाद	..	फैजाबाद
७०	टांडा	..	,,
७१	बहराइच	..	बहराइच
७२	नवाबगंज	..	बाराबंकी
७३	कासीपुर	..	नैनीताल
	टाउन एरिया—		
१	चिट बड़ागांव	..	बलिया
२	अमेठी	..	लखनऊ
३	राबर्ट्सगंज	..	मिर्जापुर
४	गोवरधन	..	मथुरा
५	राधाकुण्ड	..	,,
६	सोंख	..	,,
७	शाहपुर	..	मुजफ्फरनगर
८	बुढ़ाना	..	,,
९	अमानपुर	..	एटा
१०	सहावर	..	,,
११	बिलग्राम	..	,,
१२	रामपुर	..	,,
१३	पटियाली	..	,,
१४	अलीगंज	..	,,
१५	मोहनपुर	..	,,
१६	छत्तारी	..	बुलन्दशहर
१७	काकोरी	..	लखनऊ
१८	मलिहाबाद	..	,,
१९	गोला	..	गोरखपुर
२०	फरीदपुर	..	बरेली
२१	हल्दौर	..	बिजनौर
२२	झालु	..	,,
२३	शेरकोट	..	,,
२४	करहल	..	मैनपुरी
२५	किराअोली	..	,,
२६	जसराना	..	,,
२७	खरगूपुर	..	गोंडा
२८	जसपुर	..	नैनीताल

क्रम-संख्या	नागर क्षेत्र का नाम		जिला
२९	कंकड़खेरा	..	मेरठ
३०	अम्बेहटा	..	सहारनपुर
३१	खेकड़ा	..	मेरठ
३२	अमीनगर सराय	..	,,
३३	फलौंदा	..	,,
३४	मोदीनगर	..	,,
३५	औरंगाबाद	..	बुलन्दशहर
३६	गुलावठी	..	,,
३७	दादरी	..	,,
३८	रघुपुरा	..	,,
३९	जहांगीराबाद	..	,,
४०	दनकौर	..	,,
४१	जलाली	..	अलीगढ़
४२	हरदुआगंज	..	,,
४३	मुरसान	..	,,
४४	मंडू	..	,,
४५	छर्रा	..	,,
४६	बिजयगढ़	..	,,
४७	हसावन	..	,,
४८	कौड़ियागंज	..	,,
४९	पिलसुआ	..	,,
५०	पुरदिल नगर	..	,,
५२	बलदेव	..	मथुरा
५२	सादाबाद	..	,,
५३	सहपऊ	..	,,
५४	राया	..	,,
५५	छाता	..	,,
५६	पिनहट	..	आगरा
५७	बाह	..	,,
५८	अवागढ़	..	एटा
५९	कैरतपुर	..	बिजनौर
६०	बिसौली	..	बदायूं
६१	गवां	..	,,
६२	नगरा सादत	..	मुरादाबाद
६३	दरकी	..	,,
६४	जसवन्त नगर	..	इटावा
६५	फफूंद	..	,,
६६	झूंसी	..	इलाहाबाद
६७	सराय आकिल	..	,,

क्रम-संख्या	नागर क्षेत्र का नाम	जिला
	टाउन एरिया—	
६८	भरतगंज	.. इलाहाबाद
६९	रानीपुर	.. झांसी
७०	मोठ	.. ,,
७१	नरायनी	.. बांदा
७२	कछवा	.. मिर्जापुर
७३	मछलीशहर	.. जौनपुर
७४	मड़ियाहूं	.. ,,
७५	जमनिया	.. गाजीपुर
७६	सैदपुर	.. ,,
७७	सेहटवार	.. बलिया
७८	बांसडीह	.. ,,
७९	मनियार	.. ,,
८०	किसन्दरपुर	.. ,,
८१	रेवती	.. ,,
८२	पिपराइच	.. गोरखपुर
८३	सिसवा बाजार	.. गोरखपुर
८४	सराय मीर	.. आजमगढ़
८५	मोहम्मदाबाद	.. ,,
८६	मुबारकपुर	.. ,,
८७	डलमऊ	.. रायबरेली
८८	लालगंज	.. ,,
८९	बछरावां	.. ,,
९०	जायस	.. ,,
९१	मल्लावां	.. हरदोई
९२	पाली	.. ,,
९३	अकबरपुर	.. फैजाबाद
९४	बाराबंकी	.. बाराबंकी
९५	देवां	.. ,,
९६	दरियाबाद	.. ,,
९७	सतरिख	.. ,,
९८	जैदपुर	.. ,,

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४४ पर)

क्रम-संख्या	नाम गांव	आग लगने की तिथि	जले हुए गांव की संख्या	हानि का विवरण						दी गई सहायता का विवरण			
				मनुष्य	जानवर	गल्ला रु०	नक़द रु०	अन्य रु०	हानि का योग	अहेतुक सहायता	लकड़ी	तकावी	अन्य सहायता
१	२	३	४	५	६	७	८	६	१०	११	१२	१३	१४
१	बरदहवा	२८-३-६२	२२	..	..	२५५	२००	१,६६५	२,४५०	६ व्यक्ति ६५ रु०	..	१,०००	अग्नि पीड़ित मनुष्यों को जंगल विभाग द्वारा लकड़ी मिल चुकी है।
२	,,	१२-४-६२	४८	..	३	१३५	५४	२,६४०	३,१२६	..	..	..	..
३	कमवा	८-४-६२	२५	..	१	८७	३८८	३,६६५	४,४४०	१ आदमी १५ रु०	..	२,४७५	अग्नि पीड़ित मनुष्यों को जंगल विभाग द्वारा लकड़ी मिल चुकी है।
४	अमरहवा	,,	१३	..	..	७६०	२३०	६,१५५	७,१७५	२ आदमी ३० रु०	..	२,३००	,, ,,

क्रम-संख्या	नाम गांव	आग लगने की तिथि	जले हुए गांव की संख्या	हानि का विवरण						दी गई सहायता का विवरण			
				मनुष्य	जानवर	गल्ला रु०	नकद रु०	अन्य रु०	हानि का योग	अहेतुक सहायता	लकड़ी	तकावी	अन्य सहायता
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
५	लेबूड़वा	७–४–६२	३५	..	..	४,८२५	..	१०,६७५	१५,५००	..	३५ आदमी रियायती ३५० रु०	..	..
६	,,	२१–४–६२	१	..	..	७००	..	..	७००	..	..	२००	..
७	लालबोझा	१२–४–६२	५५	..	२	२,४२१	६५७	६,६४५	९,७२४	६ आदमी ९० रु०	..	१,१२५	अग्नि पीड़ित मनुष्यों को जंगल विभाग द्वारा लकड़ी मिल चुकी है।
८	अमवा	,,	६०	..	..	२,४२५	१,०००	१३,५७२	१६,९९७	४ आदमी ६० रु०	२ आदमी ४० रु०	२,०१५	.. ..
											५६ आदमी ७३० रु०		
	योग ..		२५९	..	६	११,६३८	२,५२९	४५,९४७	६०,११४	१९ आदमी २६० रु०	मुफ्त लकड़ी ४० रु० रियायती १,०८० रु०	९,११५	..

अनुपूरक विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

जिला जालौन में तहसीलवार स्थायी कलेक्शन अमीन और उनमें से हरिजन अमीनों की संख्या निम्नलिखित है—

नाम तहसील	स्थायी कलेक्शन अमीन	स्थायी हरिजन अमीन
जालौन	२०	२
कोंच	१२	..
कालपी	११	..
उरई	९	..
योग ..	५२	२

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४६ पर)

जिला	अनुमानतः क्षति (In terms of naya paise in a rupee)
कानपुर ..	.. ९० नये पैसे से १०० नये पैसे तक
फतेहपुर ..	.. ३७ नये पैसे से कम
झांसी ..	.. ८० नये पैसे से अधिक
हमीरपुर ..	.. १०० नये पैसे
बांदा ..	.. ८७ नये पैसे
जौनपुर ..	.. ४० नये पैसे से अधिक
आजमगढ़ ..	.. २५ नये पैसे से कम
लखनऊ ..	.. ५० नये पैसे और उससे अधिक
उन्नाव ..	.. ४० नये पैसे से कम
रायबरेली ..	.. ३७ नये पैसे से कम और ५० नये पैसे और उससे अधिक।
हरदोई ..	.. ५० नये पैसे और उससे अधिक
खीरी ..	.. ५० नये पैसे से अधिक
प्रतापगढ़ ..	.. ४० नये पैसे से ७५ नये पैसे तक
बाराबंकी ..	.. ५० नये पैसे से १०० नये पैसे
बहराइच ..	.. ४० नये पैसे और उससे अधिक

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७६६ पर)

अनुदान संख्या ३३—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें

(लेखा शीर्षक: ४४)

१ श्री भीखा लाल,
श्री चन्द्रजीत तथा
श्री ऊदल
२ श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह
श्री भानु प्रताप सिंह
श्री काशीनाथ बहादुर
श्री प्रेमसिंह,
श्री मुन्नू सिंह,
श्री बलबीर सिंह,
श्री विजय सिंह,
श्री नवरंग सिंह तथा
श्री चैतन्य राज सिंह ।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—शिकायतें करना एवं सुझाव देना ।

३ श्री उग्रसेन

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कम की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्निकल शिक्षा के विस्तार की मांग करना ।

अनुदान संख्या ३४—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है

(लेखा शीर्षक : ४५–विद्युत योजनायें)

१ श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह,
श्री भानु प्रताप सिंह,
श्री काशीनाथ बहादुर,
श्री प्रेम सिंह,
श्री मुन्नू सिंह,
श्री विजय सिंह,
श्री बलबीर सिंह,
श्री नवरंग सिंह तथा
श्री चैतन्य राज सिंह ।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

२ श्री उग्रसेन

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—रिहन्द योजना की बिजली की बर्बादी की आलोचना करना तथा शीघ्रातिशीघ्र पूर्वी जिलों को बिजली देने का सुझाव देना ।

अनुदान संख्या ३५—विद्युत योजनायें—अधिष्ठान

(लेखा शीर्षक:४५ और १०१)

१ श्री उग्रसेन — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की मांग करना ।

२ श्री ऊदल — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—शिकायतें करना एवं सुझाव देना ।

३ श्री कृष्णानन्द राय — मद—जल जनित विद्युत योजनायें—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—रिहन्द जल जनित विद्युत के विभाजन सम्बन्धी नीति पर विचार एवं सुझाव देना ।

४ श्री तेज नारायण — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

५ श्रीमती विनय लक्ष्मी — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध जल-प्रपातों से जापानी तरीके से विद्युत-उत्पादन की कोशिश नहीं की गई है, अपितु बड़ी-बड़ी योजनाओं के मोह में फंसने के कारण विद्युत-उत्पादन में हम ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि बड़ी योजनाओं के संपादन के लिये विदेशी मुद्रा चाहिये, जिसकी हमारे पास कमी है ।

६ श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह,
श्री भानु प्रताप सिंह,
श्री काशीनाथ बहादुर
श्री प्रेम सिंह,
श्री मुन्नू सिंह,
श्री बलबीर सिंह,
श्री विजय सिंह,
श्री नवरंग सिंह तथा
श्री चैतन्य राज सिंह । — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

७ श्रीमती विनय लक्ष्मी — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—टिहरी-गढ़वाल की लसर गाड पर बिजली उत्पादन के लिये सर्वेक्षण हुआ था, ज्ञात हुआ है कि सर्वेक्षणों ने इस गाड को बिजली उत्पादन के सर्वथा उपयुक्त बतलाया था पर अब सरकार ने जिन बिजली योजनाओं को पूरा करने का संकल्प किया है, उनमें सलार गाड की योजना का कहीं नाम भी नहीं है ।

अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी गत लागत

(लेखा शीर्षक: १०१—विद्युत्-योजनाओं पर पूंजीगत लागत)

१	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की मांग करना।
२	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भानु प्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेम सिंह, श्री मुन्नू सिंह, श्री बलबीर सिंह, श्री नवरंग सिंह तथा श्री विजय सिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा